बाघ की खातिर

सरिस्का: वनवासी-विस्थापन.. पुनर्वास और तरुण भारत संघ-एक अध्ययन

सत्येन्द्र सिंह

बाघ की खातिर
सरिस्का : वनवासी-विस्थापन ..
पुनर्वास और तरुण भारत संघ
एक अध्ययन

तरुण भारत संघ
34/46, किरण पथ, मानसरोवर, जयपुर (राज.)
फोन/फैक्स : 0141-2393178
E-mail-watermantabs@yahoo.com

संस्करण
बसन्त पंचमी, 2009

मार्गदर्शन
प्रो. एम.एस. राठौड़
डॉ. वी.डी. शर्मा

प्रकाशक
तरुण भारत संघ
भीकमपुरा किशोरी वाया थानागाजी
जिला : अलवर-301 022 (राजस्थान)
फोन : 01465-225043
ई-मेल

रूपांकन एवं मुद्रण
कुमार एण्ड कम्पनी
जयपुर

मूल्य :
75/- रुपये मात्र

वनवासी एवं वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए समर्पित

विषय सूची

1.	प्राक्कथन	
2.	आमुख	
3.	भूमिका	
4.	बाघ परियोजना का संकट	1
5.	सरिस्का का इतिहास	6
6.	चुप्पी का शिकार : सरिस्का	11
7.	वन विभाग का शिकार : वनवासी	15
8.	सरिस्का संरक्षण में तभासं के प्रयास	21
9.	सरिस्का में बाघ पुनर्वास	30
10.	क्यों नहीं रहे बाघ	36
11.	वनवासी और विस्थापन	40
12.	विस्थापन का विरोधाभास	42
13.	वनवासियों के पुनर्वास की प्रक्रिया	44
14.	वनवासी पुनर्वास और तभासं	64
15.	विवाद और सौहार्द्र	67
16.	सफल पुनर्वास का अनुपम उदाहरण : देवनगर	73
17.	सफल पुनर्वास : वनवासियों की जुबानी	79
18.	पुनवार्सित परिवारों की सूची	82

प्राक्कथन

सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में बाघ और वनवासी लोग सदियों से रहते आ रहे हैं। लेकिन सरिस्का में बाघों का खत्म होना मानवीय दखल का कारण माना गया। मानवीय दखल किस प्रकार का है, इसकी तर्कसंगत कोई विवेचना नहीं हुई। सीधे-सीधे अभयारण्य में रहने वाले लोगों पर निशाना साधा गया। सरिस्का में बाघ कैसे आएं ? इसके लिए बाघ परियोजना में बसे अट्ठाईस गांवों के विस्थापन का सवाल खड़ा हुआ। कहा गया कि सरिस्का को बाघों से दोबारा आबाद करने के सरकारी प्रयास जारी हैं। क्षेत्र में मानवीय दखल पर रोक नहीं लगने से बाघ पुनर्वास योजना में देरी हुई। बाघों के गायब होने और अवैध शिकार पर वर्ष 2003 में काफी हल्ला मचा था। लेकिन तब जंगलात विभाग सोता रहा। जब सरिस्का बाघ विहीन हो गया तब जाकर नींद खुली। शिकारी शिकार कर चुका था। कौन था ? कब शिकार की घटना घटी कुछ अता-पता नहीं ? प्रति वर्ष मई में वन्यजीवों की गणना की जाती थी। उसमें 17-18 बाघ होने की घोषणा सरिस्का अभयारण्य के अधिकारी करते थे। वर्ष 2003 में 21 से 25 तक बाघों के होने का आकलन किया गया था और 2004 में की गयी गणना में भी 17-18 बाघ होने की सार्वजनिक घोषणा की गई थी। जनवरी 2005 में सरिस्का में बाघ न होने के समाचारों ने देश के सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया था कि वन्य जीवों की सुरक्षा में लगा तंत्र क्या कर रहा था ?

विभागीय स्तर, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित जांच कमेटियों ने अपनी-अपनी जांच में सरिस्का को बाघ विहीन बताया। इतने पर भी यह अफवाह फैलाई जाने लगी कि बाघ पहाड़ों पर ऊपर चले गए हैं। खैर! सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य से सबके देखते बाघ विलुप्त हो गया। किसी को कानों-कान भनक भी नहीं लगी। जबकि 250-300 अधिकारी कर्मचारियों की फौज उसकी रक्षा-सुरक्षा में लगी थी। यह कोई छोटी घटना नहीं थी। यह प्रकृति के विनाश के लिए अमानवीय कार्य था। इस घटना से देश-विदेश के प्रकृति प्रेमियों को बड़ा आघात पहुंचा था। संसार से जीवों की प्रजातियां कैसे विलुप्त होती हैं ? सरिस्का वर्तमान पीढ़ी के लिए जीता-जागता उदाहरण था।

राज्य सरकार ने सरिस्का में बाघों को बसाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया और केन्द्र ने विशेष अध्ययन दल भेजा। दल व टास्क फोर्स की रिपोर्ट में

सरिस्का क्षेत्र में मानवीय दखल कम करने और सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। साथ ही इस क्षेत्र को बाघों से आबाद करने की योजना बनाई गई।

सरिस्का में 28 गांव हैं। फिलहाल सरकार ने इनमें से चार गांव का ही विस्थापन कार्य शुरू किया है। सरिस्का में बाघों के पुनर्वास के लिए केन्द्र ने फिलहाल चार करोड़ की राशि स्वीकृत की है। शेष योजना अभी तैयार नहीं हो सकी। योजना के पहले चरण में चार गांव के विस्थापन का निर्णय किया गया। इनमें किरास्का, कांकवाड़ी, ऊमरी व भगाणी शामिल थे। सरकार ने इसकी प्रक्रिया जनवरी 2006 से शुरू कर दी थी। सरिस्का से विस्थापन की प्रक्रिया को समझने के लिए पूर्व मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक श्री वी.डी. शर्मा जी की अध्यक्षता में शिष्टमण्डल बना जिसमें ओमप्रकाश कुलहरि, जगदीश गुर्जर, कन्हैया लाल, सतेन्द्र सिंह थे। अप्रैल में बाघ परियोजना के मुख्य कार्यालय पर सी. सी. एफ. श्री सोमशेखर से मिला। सोमशेखर जी ने पूरी विस्थापन की परियोजना को विस्तार से समझाया।

बाघ परियोजना से गांव के विस्थापन के संबंध में जिलाधीश अलवर की अध्यक्षता में गठित कमेटी में तरुण भारत संघ को भी सदस्य रूप मनोनीत किया गया। संस्था के सदस्यों ने समय-समय पर सरिस्का की विस्थापन प्रक्रिया में अपने सुझावों से अवगत कराया। प्रथम चरण के चार गांव में से दो गांव का पुनर्वास बड़ोंद की रूंध में शुरू किया गया। संस्था के सदस्यों का मानना था कि पहले किरास्का और ऊमरी गांव को ही लें। इन दो गांवों के हटने से लगभग 250 वर्गकिलोमीटर का क्षेत्र व्यवधान मुक्त होगा। लेकिन बाघ परियोजना के अधिकारियों ने भगाणी और कांकवाड़ी को ही चुना। संस्था सदस्यों ने सरिस्का से पूर्व में हुए विस्थापित गांव के विषय में विस्तार से समझाया कि इस विस्थापन में पूर्व में बरती गई लापरवाही दुबारा से नहीं दोहराई जाए तथा विस्थापित होने वाले गांव वासियों को सरकारी स्तर से क्या योजना है ? उसका विस्तार से अध्ययन किया। योजना को ग्रामवासियों के अनुकूल देखते हुए सरकार और ग्रामवासियों का साथ दिया।

सरकारी स्तर पर तीन वर्ष तक चली प्रक्रिया के तहत भगाणी और कांकवाड़ी गांव को ही विस्थापित किया जा सका। दोनों गांवों में कुल मिलाकर 180 परिवार हैं, जिसमें से 125 परिवारों का पुनर्वास किया गया। जिनमें भगाणी गांव के 21 परिवार और कांकवाड़ी गांव के 104 परिवार हैं। उनके लिए मकान, खेती की जमीन, बिजली-पानी सुविधा, बच्चों के लिए स्कूल, सामुदायिक भवन, आने-जाने के साधन उपलब्ध हैं। देवी-देवताओं के लिए पर्याप्त जगह, रोजगार के अवसर हैं। सबसे बड़ी बात अपना आसमान और अपनी जमीन, अपनी चहुंओर जाने की स्वतंत्रता है। किसी की रोक-टोक नहीं है। स्वाधीन भारत के संवैधानिक अधिकारों के तहत

मानवीय जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता हुआ नयी बसावट का गांव देवनगर है। जिसमें सरिस्का के वनवासियों को पुनर्वासित किया गया है।

सरिस्का के वनवासियों को देवनगर में बसाया जाना देश में पूर्व में हुए पुनर्वासों को देखते हुए अब तक के सबसे अच्छे पुनर्वासों में मान सकते हैं। चाहे ... इस प्रकार के विस्थापन प्रक्रिया में परियोजनाओं के अधिकारी-कर्मचारियों को काफी परेशानी महसूस हुई है। यह पुनर्वास, पुनर्वास प्रक्रिया के तहत नहीं हुआ। फिर भी सभी विभागों का समन्वयी प्रयास, भगाणी और कांकवाड़ी गांव के पुनर्वास को अन्जाम दिया गया क्योंकि यह पुनर्वास करना जरूरी था। अब जंगलात विभाग वनवासियों के पुनर्वास प्रक्रिया की इतिश्री न करे।

केन्द्र सरकार वन्यजीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चिन्तित है। अभयारण्यों में बढ़ते मानवीय दखल को वन्यजीवों की सुरक्षा के लिये खतरा मान रही है, इसलिए देश के अभयारण्यों में बसे वनवासियों के पुनर्वास के लिए 4500 करोड़ रुपये की बड़ी योजना बनायी हैं। जिससे वनवासियों को अभयारणों से पुनर्वासित किया जाये। सरिस्का के वनवासियों को केन्द्र सरकार की पुनर्वास योजना का लाभ मिले, इसका विशेष ध्यान रखना होगा। योजनानुसार वनवासियों के पुनर्वास के सतत प्रयास करने चाहिये वरना समय के साथ-साथ पुनर्वासित योजना प्रभावित होती है और वनवासी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं।

संस्था का सुझाव है कि पुनर्वास का सिलसिला चलता रहे। वरना फिर नये सिरे से पूरी प्रक्रिया को अन्जाम देना बहुत ही जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। नये विस्थापन में ऊमरी और किरास्का गांव का पुनर्वास भी भगाणी-कांकवाड़ी गांव की तरह ही किया जाये। भले ही इस प्रकार के पुनर्वास में परेशानी आती हो। इस प्रकार के पुनर्वास प्रक्रिया से पुनर्वासित परिवारों की सन्तानों का भविष्य उज्ज्वल होता है। भगाणी-कांकवाड़ी गांव के पुनर्वास के लिए जंगलात विभाग और अलवर का प्रशासन बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने दोनों गांव के लोगों की मूलभूत व मानवीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वनवासियों को देवनगर में बसाया है।

मैं आशा करता हूं कि अगला पुनर्वास इससे भी अच्छा होगा। इस कार्य में तरुण भारत संघ का सहयोग मानवता के नाते सदैव रहेगा।

राजेन्द्र सिंह
(अध्यक्ष)
तरुण भारत संघ

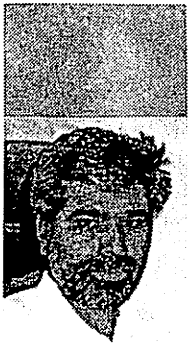

आमुख

सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में बसे गांव को दूसरी जगह विस्थापन करने की कवायद पिछले दो दशकों से चल रही है। इसकी मुख्य वजह जंगल में जंगली जानवरों के स्वतंत्र विचरण में मानवीय दखलन्दाजी माना गया था। जंगल और जंगली जीवों की सुरक्षा को देखते हुए अभयारण्य में बसे गांव को मानवीय मलभूत आवश्यकताओं से वंचित भी रखा गया। इतना ही नहीं जंगलवासियों को जंगलात के कानूनों के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों की अमानवीय प्रताड़नाओं का शिकार होना पड़ा। सरिस्का अभयारण्य की सुरक्षा को लेकर दो दशकों से समय-समय पर समाचार पत्रों में कभी गांव के विस्थापन के समाचार आते तो कभी अभयारण्य के बीच से गुजरने वाले रास्तों को बन्द करने के समाचार आते रहे। इससे सरिस्का की सुरक्षा का वातावरण चाहे बना हो या न बना हो लेकिन सरिस्का अभयारण्य के अन्दर और बाहर बसे गांव में आक्रोश भाव जरूर अकुंरित हो जाता होगा। जिसका परिणाम 2004 के अन्त तक सरिस्का से बाघ जैसे दुर्लभ जीव विलुप्त हो गए। यह सब लालच के कारण प्रकृति के साथ मनुष्य का कुकृत्य कार्य ही था जो अभयारण्य की सुरक्षा में लगे प्रशासन तंत्र की लचीली सुरक्षा व्यवस्था को दर्शाता है।

यह सब देखते हुए एक बार फिर वर्ष 2006 में सरिस्का के अन्दर बसे गांवों को दूसरी जगह बसाने की चर्चा शुरू हुई। इसके लिए केन्द्र और राज्य सरकार के स्तर से त्वरित सक्रियता दिखाई जाने लगी। जिलाधीश अलवर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई। अभयारण्य प्रशासन ने विस्थापित होने वाले गांव को सूचीबद्ध किया, जिसमें प्रथम चार गांवों को प्राथमिकता दी गई, जिनमें से भी भगाणी और कांकवाड़ी गांव को बर्डोद की रूंध में बसाने का तय किया गया। जिलाधीश की अध्यक्षता में एक वर्ष तक सभी प्रशासनिक विभागों के साथ बैठकें आयोजित की गईं। जिलाधीश ने विभागों को अलग-अलग जिम्मेदारी दी। अभयारण्य में बसे गांव की विस्थापन कमेटी में तरुण भारत संघ को भी सदस्य मनोनीत किया गया था। संस्था की ओर से बैठकों में मैंने सक्रियता के साथ विस्थापन प्रक्रिया में पूरा सहयोग दिया।

वर्ष 1974-75 के विस्थापन के अनुभव को ध्यान में रखकर विस्थापितों के मन-मानस को विस्थापित होने के लिए तैयार करना सबसे पहला कदम रहा है। गांव वालों के साथ सहज सम्पर्क करके अपने हक के लिए वाजिब मांग रखने के लिए

अग्रसर करना , प्रशासन व ग्रामीणों के बीच सहज समन्वय बनाने का वातावरण तैयार किया गया है। सरिस्का के संरक्षण को लेकर चलाए गए अभियानों से समाज व सरिस्का प्रशासन में नजदीकी आई। सरिस्का के अन्दर बसे गांव वासियों ने स्वयं सरिस्का के अन्दर रहने से जंगली जीवों के संरक्षण व अपने विकास की आवश्यकता समझी और सौहार्द्र के साथ विस्थापन के लिए तैयार हुए। समाज की जटिलता को समझते हुए भगाणी-कांकवाड़ी निवासी इन सभी प्रक्रियाओं से गुजरे हैं। उन्होंने राष्ट्रहित में विकास की राह पर चलने का प्रयास किया है। अब यहां बच्चों के लिए शिक्षा का भविष्य और रोजगार के साधन बढ़ाने के अवसर मिलेंगे।

मैं भगाणी और कांकवाड़ी के हर व्यक्ति के व्यवहार से अच्छी तरह वाकिफ रहा हूँ। विस्थापितों का भगाणी से जन्मभूमि का रिश्ता रहा है। मुझे भगाणी विस्थापन प्रक्रिया से काफी प्रसन्नता हुई कि प्रशासन ने भगाणी के लोगों को सुव्यवस्थित बसाया है। अब वह अपने नये गांव में खुश हैं। उन्होंने नये गांव का नाम देवनगर रखा है, देवनगर आने के लिए आमन्त्रित करते हैं। स्थानीय लोगों से अपने मिलनसार व्यवहार बढ़ाने हेतु उन्हीं के लहजे में हंसी-मजाक करते रहते हैं। हमारे देखते ही देखते कई लोग आये, उनसे भोजन करने का आग्रह किया था। जब हम उनसे मिलने के लिए गए तो राधेश्याम जी सभी को अपने मकान दिखाने ले गये , मकान दिखा कर प्रसन्न हो रहे थे। भगाणी के विस्थापितों को प्रसन्न देखकर बहुत अच्छा लगा।

राधेश्याम जी सबसे अधिक उम्र के होने पर भी अपना हुक्का गुड़गुड़ाते हुए आने वालों को अपने पास बैठाते हैं और समाचार पूछते हैं। देवनगर जाने वाले आदमी को अपने लिए बने मकान के साइज से और आबादी के बीच से बने रास्ते , खेती के लिए मिली जमीन, सबसे खुशी जाहिर करते है। जमीन के बीच से दूसरे गांव को जाने वाले रास्तों की भी जानकारी रखते है। अब औरतों ने भी यहां की परिस्थितियों के अनुसार उठना-बैठना शुरू कर दिया है, कम लकड़ी में रोटी-सब्जी बनाती हैं, अपनी गाय-भैंसों को आवासीय घर के पास बांधकर रखती हैं। उन्होंने पहाड़ से घास लाने के काम आने वाली जूतियां व कपड़ों को तो अब संभाल कर रख दिया है। कई औरतों को यहां के पहनावे के अनुसार कपड़े भी पहनते देखा। मिलने पर ऐसा नहीं लग रहा था कि कहीं निराशा झलकती हो। सभी के चहरे उमंग और नया करने में प्रयासरत नजर आ रहे थे।

कांकवाड़ी गांव की विस्थापन प्रक्रिया में राजनैतिक और प्रशासनिक कारणों की कुछ रुकावटें आयीं। फिर भी लोगों से संवाद जारी रहा, जिसके कारण समझाइश से सतत प्रक्रिया चालू रही। कांकवाड़ी के 104 परिवारों को एक साल बाद नवम्बर,

2008, देवनगर में पुनर्वासित किया गया। सभी अपने-अपने मकान बनवाने में लगे हुए थे। नयी साल मार्च-2009 तक सभी के मकान तैयार हो जायेंगे। फिर सभी के परिवार एवं बाल बच्चे, पशुओं को लेकर देवनगर में आ बसेंगे।

मैं भगाणी और कांकवाड़ी के सौहार्द्र पूर्ण विस्थापन से खुश हूँ, श्री सोमशेखर जी, सी.एफ. सरिस्का, श्री राजेश गुप्ता, उप-क्षेत्र निदेशक सरिस्का, खैरवा जी, विजयसिंह यादव, रामप्रसाद जी, ग्यारसी लाल जी आदि जिन्होंने अपने दायित्व को समझकर जंगल,जंगली जीवों और जंगलवासियों की पीड़ा को दूर करने में अपना सराहनीय योगदान दिया है।

अलवर जिला प्रशासन के सभी विभागों ने मिलकर सरिस्का वनवासियों के पुनर्वास समन्वित भाव और पूरी ईमानदारी व त्वरित निर्णय से 125 परिवारों का देवनगर में बसाया। सभी विभागों के साथ सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई जिसके परिणामस्वरूप देवनगर में बसने वाले लोगों के चेहरों पर प्रसन्नता का भाव स्पष्ट दिखाई देता है।

मुझे विस्थापन की प्रक्रिया को समझने में श्री राजेन्द्र सिह भाई साहब और पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक श्री वी.डी. शर्मा जी का मार्गदर्शन समय-समय पर मिलता रहा जिससे भगाणी के विस्थापन की प्रक्रिया पूरी हुई। आशा करता हूँ सरिस्का के अन्य गांवों के विस्थापन में प्रशासन सुव्यवस्थित प्रक्रिया अपनाकर ही वनवासियों को विस्थापित करेगा।

जगदीश प्रसाद गुर्जर
(कोषाध्यक्ष)
तरुण भारत संघ

भूमिका

तरुण भारत संघ सरिस्का की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हमेशा सकारात्मक सहयोग करने के लिए आगे आया है। वनवासियों के विस्थापन के विषय में भी तरुण भारत संघ के पदाधिकारियों का प्रारम्भ से ही प्रयास रहा है। बस ! विस्थापित होने वाले परिवारों को सरकार की ओर से अच्छी सुविधाएं मिलें, जिससे उनकी वनवासी जीवनशैली छोड़ने से कष्टप्रद जीवन न जीना पड़े। क्योंकि 30 साल पहले किये गये विस्थापन के अनुभव बड़े दुखदाई रहे हैं। उससे तो न वन्य जीवों का लाभ हुआ और न ही विस्थापित लोग आबाद हुए। आबाद की जगह उनमें जंगल के प्रति आक्रोश बढ़ा, जिससे जंगल और जंगली जीवों का जीवन ही नष्ट होने लगा। यह सब अनुभव नई विस्थापन प्रक्रिया में न दोहराए जाए जिससे वनवासी का जीवन, जंगल और जंगली जीवों का जीवन तबाह होता है। हमारी सरकार और प्रशासन तंत्र केवल विस्थापन की प्रक्रिया में वनवासी को वन से खदेड़कर इतिश्री न करे।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए तरुण भारत संघ के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह ने राजस्थान सरकार से और सरिस्का के अधिकारियों को सचेत करते हुए समय-समय पर पत्र व्यवहार किया था। संस्था के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री जगदीश गुर्जर को जिम्मेदारी सौंपी कि वनवासियों की विस्थापन प्रक्रिया में वन विभाग के अधिकारियों और वनवासियों को जंगल और जंगली जीवों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए मन से पूरा सहयोग करें।

जगदीश गुर्जर ने वन विभाग और जंगलवासियों के बीच में सेतु का काम किया। वन विभाग और वनवासी के मध्य की कड़ी बन कर एक-दूसरे की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हर संभव दोनों पक्षों में समन्वय भाव को बढ़ाने का काम बड़ी कुशलता से किया। जगदीश गुर्जर के कार्य में सहयोग देने के लिए श्री कन्हैया लाल जी ने भी पूरा सहयोग किया। वैसे विस्थापन प्रक्रिया में तरुण भारत संघ का हर कार्यकर्ता सक्रियता के साथ कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर दिखाई दिया था। इन सब प्रक्रियाओं में पूर्व प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक श्री वी.डी. शर्मा जी का पूरा सहयोग लिया गया। उनके सुझावों के अनुसार वन विभाग और वनवासियों के लिए सहयोग दिया। जहाँ कहीं अड़चन आई वहां समझाइश से काम लिया।

सरिस्का के अन्दर बसे गांववासियों ने स्वयं सरिस्का के अन्दर रहने से

जंगलीजीवों के भले व अपने विकास की आवश्यकता समझी और सौहार्द्र के साथ विस्थापन के लिए तैयार हुए। सामाजिक कार्य में कुछ दिक्कतें तो अवश्य आती ही हैं, उनका धैर्य के साथ सामना करना पड़ता है। यह सब तभासं के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय राजनीति को देखते हुए विस्थापन में आने वाली बाधाओं को सहज रूप में लिया और अपने विस्थापन के कार्य में लगे रहे।

भगाणी निवासियों के सामने कम समस्याएं नहीं थीं, उन्हें भी राजनीति की गोटी बनाया जा रहा था। तरह-तरह के दबाव डालने के प्रयास किए जा रहे थे कि कोई ग्रामवासी अपना घर न छोड़े, जंगल में ही रहे। बहरोड क्षेत्र के कुछ भूमाफिया के लोग तो जंगलवासियों को लालच में फंसाना चाहते थे। उनकी जमीन के कागज लेकर जमीन को अपने कब्जे में करना उनकी मंशा थी। उन्होंने विभिन्न तरह से दबाव भी बनाया था। जंगलवासी अपने नये जीवन की शुरुआत करने के लिए सरिस्का के जंगलों से निकले तो उन्हें पुलिस के शिकंजे में रहना पड़ा। यह सब वनवासी के जीवन से क्षेत्रीय राजनीति के अन्तर्गत हो रहा था। सभी जटिलताओं को समझते हुए भगाणी निवासी इन सभी प्रक्रियाओं से गुजरे हैं। भगाणी के विस्थापितों ने नये जीवन की शुरुआत की और विकास की राह पर चलने का प्रयास किया है। अब यहां बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षा और रोजगार के साधन बढ़ाने के अवसर मिलेंगे।

कांकवाड़ी के पुनर्वास की प्रक्रिया में राजनीतिक और प्रशासनिक वैचारिक अस्पष्टता के चलते जरुर कुछ रुकावटें आई लेकिन आपसी समझाइश से उन्हें भी सुलझा कर नवम्बर 2008 कांकवाड़ी के 104 परिवारों को देवनगर में पुनर्वासित किया गया।

सरिस्का वनवासी-विस्थापन और पुनर्वास प्रक्रिया में संस्था के सभी कार्यकर्ताओं ने मन से कार्य किया। उनके समन्वय व्यवहार से भगाणी और कांकवाड़ी गांव का विस्थापन होने में सहयोगी भूमिका रही। आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इस प्रकार से तरुण भारत संघ के कार्यकर्ता, वनवासियों और वनविभाग के साथ सहयोगी भूमिका निभाते रहेंगे। मैं आभारी हूँ अरुण तिवारी जी का जिन्होंने इस पुस्तक के रूप में सुधार कर पठनीय बनाया है। 'यह पुस्तक सरिस्का के वनवासियों के विस्थापन प्रक्रिया की संक्षिप्त जानकारी देने में सहायक सिद्ध होगी, ऐसी आशा करता हूँ।

सत्येन्द्र सिंह
कार्यकर्ता
तरुणभारत संघ

प्रोजेक्ट टाइगर, आज नेतृत्व के संकट से गुजर रहा है। हालिया खबर यह है कि बाघों की संख्या तेजी से कम हो रही है। वर्ष 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत के समय जितने बाघ थे, हमारे यहां आज उससे भी कम बाघ बचे हैं। यह उन सब लोगों के लिए गहरी शर्मिंदगी का विषय है, जिन पर बाघों को बचाए रखने की जिम्मेदारी है। इसमें प्रधानमंत्री समेत उन राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, जहां बाघ पाये जाते हैं। बाघों को बचाने में नाकाम रहने की वजह से आने वाली पीढ़ियों द्वारा संरक्षणवादियों समेत इस काम में लगी बड़ी-बड़ी स्वयंसेवी संस्थाओं को भी कोसा जाएगा। सचाई यह है कि पूरा भारत ही बाघों को बचाने में असफल रहा है।

सवाल यह है कि आखिर बाघों के लिए परिस्थितियां अचानक बदल कैसे गईं ? यह सब अचानक नहीं हुआ। वर्ष 1990 से बाघों की संख्या लगातार धीरे-धीरे घटती जा रही है। आज देश में 1500 से भी कम जीवित बाघ बचे हैं। इनका मतलब है कि पिछले पांच बरस के दौरान 2300 से ज्यादा बाघ गंवा दिए। भले ही वर्ष 2000 के आसपास बाघों की संख्या 3500 से कम रही हो, क्योंकि वन अधिकारियों के इस संदर्भ में अलग-अलग आंकड़े रहे हैं। फिर भी सच यही है कि आंकड़े भयावह रूप से कम हैं।

अब सवाल यह है कि हमारे बाघों को मार कौन रहा है ? नि:संदेह अवैध रूप से शिकार करने वाले, लेकिन जो बड़ी-बड़ी कम्पनियां बाघों के आवास यानी जंगलों में बांध बना रही हैं, उत्खनन कर रही हैं और अपने लाभ के लिए पेड़ों को काट-काट कर बेच रही हैं , वे भी इसके लिए समान रूप से दोषी हैं। सचाई तो यही है कि जंगलों को खत्म करने से निश्चित तौर पर बाघों का हमेशा के लिए सफाया हो जाएगा। इन अवैध शिकारियों को बाघ, हाथी, गैंडा, समेत उन समस्त प्रजातियों के जीवों को मारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपराध सरगनाओं और गैंगों द्वारा वित्तीय मदद मिलती है, जिनकी बाजार में काफी कीमत है। यहां तक कि सुविख्यात काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी इससे अछूता नहीं है। यहां भी वर्ष 2007 के दौरान 20 से अधिक गैंडों को मारा जा चुका है।

वर्ष 1973 में जब देश में 1700 से थोड़े ज्यादा बाघ होने का अनुमान लगाया गया था, पूरी दूनिया ने कहा था कि बाघ बेहद खतरे में है और इसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर लांच किया गया। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की नई रिपोर्ट बताती है कि जिस कॉर्बेट, काजीरंगा, नागरहोल, कान्हा और तडोबा जैसे टाइगर रिजर्व्स में तो बाघ सुरक्षित हैं। लेकिन ऐसे सुरक्षित अभयारण्य से बाहर और ऐसे जंगलों में जहां अभी भी मानव आबादी है, बाघ तकरीबन खत्म हो चुके हैं या बहुत कम हैं। दूसरी तरफ पलामउ और नम्दाफा जैसी जगहों पर उनका सफाया हो चुका है। वर्ष 2004 में सरिस्का ने अपने सारे बाघ खो दिए हैं। पन्ना में वर्ष 2002 के बाद से बाघ के किसी नन्हे शावक ने जन्म नहीं लिया और 50 फीसदी से ज्यादा पार्क में

से लगता है, बाघ बचे ही नहीं है। पहले एक प्रजनन योग्य बाघिन नजर आई भी, लेकिन 2007 के मध्य से वह भी लापता है। बीते वर्ष के आखिर में मध्यप्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में जानवरों को फंसाने के जाल और फंदे पाए गए, जबकि इस क्षेत्र के बारे में माना जाता है कि बाघ की खालें लगातार चीन, जापान, और हांगकांग समेत सुदूर-पूर्वी देशों को भेजी जाती हैं। अब रिपोर्ट कहती है कि आज हमारे पास 1500 से भी कम जीवित बाघ बचे हैं।

देखा जाए तो देश के तकरीबन सभी वनों पर खतरा मंडरा रहा है। जो लोग वास्तव में वन्यजीवों का हित चाहते हैं, वे इतने सशक्त नहीं हैं कि बाघों को बचा सकें और जिनके हाथों में हमने बाघों की सुरक्षा सौंप रखी है, उन्हें लगता है, उनकी कोई परवाह ही नहीं है। वन और वन्यजीवों की रक्षा के लिए जो फारेस्ट राइट्स एक्ट बनाया गया, इसके चलते लोगों ने जंगलों में घुसपैंठ करना और जमीन हथियाने के लिए पेड़ों को काटना शुरू कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप न सिर्फ बाघ और दूसरे वन्यजीवों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा वरन हमारी जलवायु की विषमताएं और जटिल हो जाएंगी। भारत द्वारा छोड़ी गई समस्त ग्रीन हाउस गैसों में से एक-चौथाई के लिए जंगलों की कटाई ज़िम्मेदार है। भविष्य में यह जिन्दगी और बिगड़ जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक हम 7.5 गीगाटन कार्बन डाइऑसाइड उत्सर्जित करने लगेंगे। इससे हमारी नदियां और झीलें भी प्रभावित होंगी और वे गरीब पहले की तरह गरीब रह जाएंगे। ऐसे में न रहने वाले लोगों के लिए मददगार साबित होगा और न ही वन्यजीवों के लिए।

विडंबना यह है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय अपने मूल मकसद से हटकर ऐसे राजनेताओं के हाथों की कठपुतली बन गया है जो अति विध्वंसात्मक औद्योगिक परियोजनाओं पर मंजूरी देने के लिए राजी कर लेते हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 49 औद्योगिक परियोजनाओं, जिनमें उत्खनन, सिंचाई और पवनचक्की जैसी परियोजनाएं भी शामिल हैं, की मंजूरी के चलते 15 हजार हैक्टेयर से ज्यादा जंगलों का खात्मा हो गया है। इसका मतलब है कि तकरीबन तीस लाख पेड़ इसकी बलि चढ़ गए। इसके अलावा राज्य और केन्द्र सरकार की ऐसी परियोजनाओं के लिए भी लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, जिनके लिए चालीस हैक्टेयर या इससे कम जमीन की जरूरत है। इस समस्या से निपटने की हमें तुरंत आवश्यकता है। हमें पुख्ता और त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा है।

वन्य जीवों के शिकार की चेतावनी

वन्य जीवों के शिकार की चेतावनी के संकेत 90 के दशक से ही मिलने लगे थे। बेतहाशा हो रहे शिकार से जंगली जीव विलुप्त हो रहे थे। वन्य जीवों की खाल, हड्डी आदि की तस्करी हो रही थी। वन्यजीवों के संरक्षण के प्रति बेपरवाह सरकारी तंत्र पूरी तरह जिम्मेदार है, साथ ही साथ जंगलवासी और जंगल के आस-पास का समाज भी जिम्मेदार रहा है।

वर्ष 1994-95 वन्य जीवों के जीवन को बचाने के लिए तथा उनके प्रति मनुष्य की संवेदना जाग्रत करने के उद्देश्य से तरुण भारत संघ ने देश के सात प्रान्तों के वन्य अभयारण्यों की यात्रा की थी। जिसमें देश के वन्यजीव प्रेमी, ग्रामवासी, सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भाग लिया था। जब वन्यजीव संरक्षण यात्रा चल रही थी तब दिल्ली हवाई अड्डे पर एक हजार से अधिक जंगली-जीवों की खालें पकड़ी गयी थीं। ये खालें दिल्ली में किसी फैक्ट्री में तो बनती नहीं थीं और न ही वहां वन्यजीव अभयारण्य है। फिर वहां इतनी बड़ी तादाद में वे खालें कहां से आयीं ?

स्पष्ट है कि दिल्ली के आस-पास के अभयारण्यों में ही वन्य जीवों का शिकार हुआ होगा। इतनी बड़ी तादाद में हुए शिकार के बाद क्या वन्यजीवों की सुरक्षा-व्यवस्था में लगा सरकारी तंत्र चेता था ? अगर चेता होता तो उसके अन्तर्गत क्या-क्या कदम उठाये ? जिससे वन्यजीवों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ माना जायें। ऐसा लगता है कि वन्यजीवों के हो रहे शिकार के प्रति अभयारण्य सुरक्षा तंत्र बेपरवाह ही रहा। वरना देश के प्रधानमंत्री वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर सार्वजनिक रूप से वन्यजीवों के शिकार की बात को स्वीकार करने को मजबूर नहीं होते।

वर्ष-2001 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटलबिहारी वाजपेयी ने अपने हस्ताक्षरों से 29 मई, 2001 को पत्र द्वारा देश के वन्यजीवों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वन्य जीवों के शिकार पर गहरी चिन्ता जाहिर की थी। वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों से व वन्यजीवों की सुरक्षा में लगे सुरक्षा तंत्र से उन्होंने अपने पत्र में वे सभी सुझाव दिये थे जो एक एक्सपर्ट कमेटी ने 2005 में दिये हैं। क्या प्रधानमंत्री के पत्र को राज्य सरकार और वन्यजीव सुरक्षा व्यवस्था में लगे तंत्र ने इस पर क्या ध्यान दिया ?

प्रधान मंत्री
Prime Minister

नई दिल्ली
29 मार्च, 2001

प्रिय श्री

हाल के वर्षों में बाघ, तेंदुआ, हाथी, गैंडा, कस्तूरी मृग और अन्य प्रजातियों के वन्य-जीवों की हत्या की घटनाओं में वृद्धि हुई है। विभिन्न प्रजातियों के वन्य-प्राणियों से प्राप्त उत्पादों के अवैध निर्यात के अनेक मामलों का समय-समय पर पता चला है। यह बड़ी चिन्ता का विषय है।

वन्य-जीवों की सुरक्षा में कमी आने का एक प्रमुख कारण यह है कि वन विभाग में फील्ड स्तरों पर बड़ी संख्या में विभिन्न श्रेणियों के पद रिक्त हैं और वन्य-जीवों की सुरक्षा के प्रति कार्मिकों में प्रतिबद्धता का अभाव है। कुछ राज्यों द्वारा वन विभाग के लिए स्वीकृत पदों की संख्या में भारी कटौती की गई है और रिक्त पदों को भरने पर भी रोक लगा दी गई है। इस क्षेत्र के लिए निधियों का आबन्टन भी बहुत ही कम किया गया है। वन्य-जीवों से सम्बन्धित अपराधों को रोकने तथा अपराधियों पर उपयुक्त ढंग से मुकदमा चलाने के लिए कर्मचारियों की दक्षता को बढ़ाए जाने की भी जरूरत है। खुफिया सूचनाएं एकत्र करने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करने तथा वन्य जीवों से सम्बन्धित अपराधों पर सुनवाई और अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए विशेष न्यायालय निर्दिष्ट करने की जरूरत है। इसके अलावा, यदि हम अपने पेड़-पौधों और वन्य जीव-जन्तुओं को सुरक्षित और संरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें संचार-व्यवस्था के लिए प्रभावी आधारभूत ढाँचा विकसित करना होगा, वन क्षेत्र में पर्याप्त गश्त बढ़ानी होगी तथा वन कर्मचारियों को आधुनिक हथियार उपलब्ध कराने होंगे।

मुझे आशा है कि आप अपने राज्य से सम्बन्धित स्थिति की समीक्षा करने के बाद उपर्युक्त मुद्दों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देंगे ताकि वन्य-जीवों की सुरक्षा को अपेक्षित प्राथमिकता दी जा सके।

शुभकामनाओं सहित,

आपका,

अटल बिहारी वाजपेयी

(अटल विहारी वाजपेयी)

सरिस्का का इतिहास

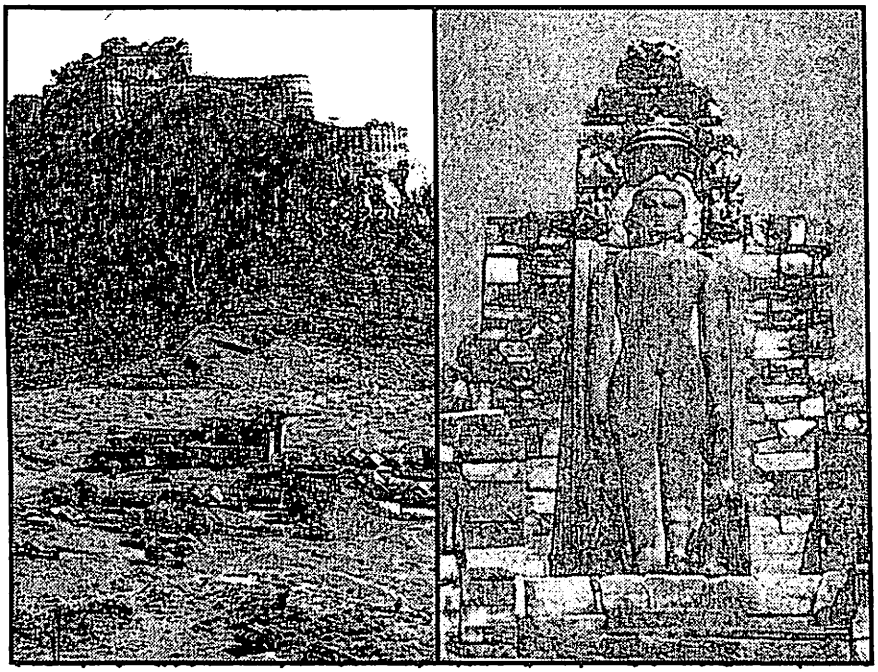

ऐतिहासिक महत्व का कांकवाड़ी किला सरिस्का के बीचों-बीच है। यहां नवीं सदी का नीलकंठ मंदिर और दसवीं सदी का गढ़ राजौर जैसे पुरातत्व महत्व के स्थल हैं। नीलकंठ में भगवान शिव और जैन धर्म के प्राचीन मंदिरों के भग्नावेश हैं। बताया जाता है कि यह खजुराहो के समकालीन हैं। आजादी से पहले यह जंगल अलवर रियासत में आता था और राजपरिवार का शिकारगाह था। आजादी के बाद इस जंगल को 1955 में 'प्रतिबंधित जंगल' और 1958 में अभयारण्य का दर्जा मिल गया। नेशनल पार्क का दर्जा देने के लिए 1982 में प्रारम्भिकी अधिसूचना जारी हुई। पर इसके बाद कोई प्रगति नहीं हुई।

सरिस्का बाघ अभयारण्य जानकारी पत्रक के अनुसार

सरिस्का बाघ परियोजना दिल्ली-जयपुर वाया अलवर राज्य मार्ग पर दिल्ली से 190 किलोमीटर व जयपुर से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृखंलाओं में से एक अरावली के उत्तरी-पूर्वी हिस्से में स्थित सरिस्का राज्य के अलवर जिले के 866 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सरिस्का गर्मियों में बेहद गर्म व सर्दियों में ठण्डा रहता है। अप्रैल से जून तक यहां पर तेज गर्मी पड़ती है तथा कभी-कभी दिन का तापमान 48 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन रातें अधिकतर ठण्डी रहती हैं। दिन में तेज हवाऐं चलती है। जिन्हें स्थानीय बोली भाषा में लूं कहते हैं। जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसून की वर्षा शुरू हो जाती है। एक दो वर्षा से ही पूरा जंगल हरा-भरा हो जाता है। अगर वर्षा पहले हो जाती है तो उससे ही जंगल हरियाली की चादर ओढ लेता है। छह महीने तक पत्तियों के बिना सूखे से दिखने वाले वृक्ष पहली वर्षा के जल से ही नई ऊर्जा के साथ फलने फूलने लगते हैं, सरिस्का में लगभग 650 मिमी वर्षा होती है। अधिक ठण्ड के दिनों में कभी-कभी कोहरा होता है और बर्फ के रूप में भी जम जाती है।

रियासत काल में सरिस्का के जंगल अलवर के महाराज की शिकारगाह हुआ करते थे। यहां के पेड़-पौधों की विविधता से अलवर के महाराजा इतने प्रभावित थे कि उस समय सरिस्का के वन क्षेत्र की बढ़िया सार-सम्भाल के लिए राज्य में अलग से शिकारखाना विभाग की स्थापना की गई । सरिस्का अपने बाघ के लिए पूरे देश में मशहूर था। राज्य का शिकारखाना विभाग सक्रियता के साथ वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रयत्नशील रहता था। घाटी में पानी की कमी को देखते हुए वन्य जीवों के लिए कुएं खुदवाए तथा पानी के कृत्रिम कुण्डों का निर्माण करवाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1955 में सरिस्का को संरक्षित क्षेत्र तथा 1958 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। वन्य जीवों की विविधता को ध्यान में रखते हुए 1979 में इसे बाघ परियोजना में शामिल किया गया। 1982 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाने की प्रारम्भिक घोषणा की गई ।

सरिस्का वन क्षेत्र अरावली की पहाड़ियों पर फैला है। अरावली विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला हैं, जो नई दिल्ली से

गुजरात हिम्मत नगर तक फैली हुई है। सरिस्का के पहाड़ों में विविध प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जैसे - मार्बल, ग्रेनाइट, चूना, पत्थर , तांबा , इमारती पत्थर आदि। अभयारण्य में कांकवाड़ी और किरास्का दो पठार हैं। कालीघाटी, ऊमरी, पांडूपोल, रईका, सरिस्का, घमोड़ी, कुशालगढ़, आदि छोटी-छोटी घाटियां हैं। सरिस्का की पहाड़ियों की खासियत इनकी समान ऊचाई व कमोबेश एक पंक्ति में होना है।

सरिस्का शुष्क पतझड़ी एवं शुष्क कटीली झाड़ियों का वन क्षेत्र है। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं पर वनस्पति की सबसे प्रमुख प्रजाति धोंक है। इसी के अनुरूप सरिस्का के घने वन क्षेत्र में सबसे अधिक धोंक ही है। वर्षा की हल्की बौछारों से ही हरे होने लगते हैं। धोंक बेहद गर्म दिनों में अपनी पत्तियां गिरा कर भी जीवित रहता हैं। यहां पर धोंक के साथ बेर, सालर, गुंजन व खेर वनस्पति का जंगल है । इनके साथ ही बहेड़ा, तेंदू, सेलम, अर्जुन, शीशम, बड़, पीपल, खजूर, हिगोंट, रोझ, ढाक, अमलतास, गूलर आदि के वृक्ष भी पाये जाते हैं यहां की वनस्पति में विविध प्रकार की वनोषधियां भी पाई जाती हैं जिनमें गोखरू, शतावरी, बाह्मी, शंखपुष्पी, बेल, आंवला, कटेली, कोंच, द्रोणपुष्पी, खैर गुग्गल, अरणी, पुनर्नवा, दुश्धिका, मयूरशिखर, बज्रदन्ती, गोंद आदि के अलावा, विभिन्न प्रकार की घासों की प्रजातियां पाई जाती हैं। खजूर वैसे तो पूरे वन क्षेत्र में पाया जाता है। कांकबाडी क्षेत्र में विशेषतः उपलब्ध है। ऐसा लगता है कि प्रकृति ने वहां पर खजूर का उद्यान लगाया हो। सर्दियों के समाप्त होते ही ढाक, खजूर, सेमल, अमलतास आदि वृक्षों के फूलने के साथ ही सरिस्का की वादियां पक्षियों की चहचाहट से गूंजने लगती हैं ।

बाघ सरिस्का के जंगलों की शान रहा है। यहां बाघ को प्राकृतिक अवस्था में विचरण करते हुए देखा जा सकता था। सरिस्का में बाघ के साथ-साथ तेंदूए की गतिविधियां देखना आसान है । इन वन्य जीवों को कालीघाटी, ब्रह्मनाथ, नया पानी, सिलीबेरी, धानका, कांकबाड़ी, किरास्का व ऊमरी आदि वन क्षेत्रों में देखा जा सकता है। अन्य भक्षक जीवों में जरख, सियार व जंगली बिल्ली आदि प्रमुख है। तृण भक्षियों सांभर, चीतल, रोजडा, खरगोश व चौंसिंघा मृग आदि प्रमुख जीव हैं। सर्वभक्षियों में जंगली सूअर के अलावा लंगूर, बंदर की संख्या बहुतायत में है। विविध प्रकार के सांप, बिच्छू, छिपकलियों की प्रजातियां भी दिखाई देती हैं,

तरह-तरह के कीट पंतगे, रंग-बिरगी उड़ती तितलियां , पेडों पर मधुमक्खी के बड़े-बड़े छत्ते लटते दिखाई देते हैं।

पक्षियों के मामले में भी सरिस्का काफी समृद्ध है यहां पर अनेकों अनेक प्रकार की पक्षी पाए जाते हैं । राष्ट्रीय पक्षी मोर काली घाटी की खुली जगह में नाचते दिखाई देते हैं। काला तीतर सरिस्का के जंगल की शान है। छोटी जंगली मुर्गी , बुलबुल , तोते, मछआरे, हवासिल, बटेर, चील, बाज, फाख्ता, उल्लू तथा पानी के विविध प्रकार के पक्षी करना का वास, कांकवाड़ी, मानसरोवर, सोमसागर झीलों में देखे जा सकते हैं। पेडों पर कुदकती- फुदकती विभिन्न प्रकार की चिड़ियों के साथ पेड़ों की टहनियों पर दौड़ती गिलहरी देख मन खुश होता है।

पर्यावरण संरक्षण की परम्परा यहां बहुत प्राचीन है, बाघ परियोजना सरिस्का मुख्यालय से लगभग 40 किलो मीटर दक्षिण दिशा में स्थित नौवीं सदी के गळ राजौर के देवालय हैं। नौगजा जो खण्डित ही सही परन्तु अपनी विशालता से प्रत्येक आने वाले पर्यटक का ध्यान आकृष्ट करता है। इसके अतिरिक्त नीलकण्ठ महादेव का विशाल शिवलिंग एवं मंदिर के स्तम्भों पर पत्थर की खुदाई का तो कार्य देखते ही बनता है। बाघ परियोजना की पूर्वी सीमा की ओर नाहरसती का स्थान भी हमारी समृद्ध पर्यावरण वादी सोच का साक्षी है। सरिस्का से मात्र तीन किमी की दूरी पर स्थित भर्तृहरि की समाधि का जितना महिमामंडन किया जाय वह कम है। उज्जैन जैसे समृद्ध राज्य के महाराजा भर्तृहरि ने इन वनों में आकर सिद्धि प्राप्त की और शताब्दियों से यहां के जनमानस में लोक देवता के रूप में बसे हुए हैं । वन्यजीवों के लिए आज का यह आश्रयस्थल महाभारत काल में पाण्डवों की शरण स्थली रह चुका है । इस बात की जानकारी पाण्डुपोल हनुमान एवं आस्था का केन्द्र है, उत्तरी -पश्चिमी सीमा पर सरिस्का से मात्र 19 किमी दूर दक्षिण में स्थित मन्दिर गर्म पानी के लिए विख्यात तालवृक्ष के साथ ही ऋषि पाराशर व सती नारायणी का धाम सरिस्का से लगभग 37 किमी. ऐसे पवित्र स्थल हैं जो कि सदियों से मानव को वनों एवं वन्यजीवों के प्रति प्रेम व सहानभूति का संदेश देते है । अजबगढ़ व भानगढ़ के खण्डहर सैंकडों वर्ष पुरानी सभ्यता की याद दिलाते हैं । काली घाटी से 10 किमी दूर कांकवाड़ी के पठार पर दर्शनीय दुर्ग है, मुगल बादशाह औरंगजेब के काल में उसके बड़े भाई दारा शिकोह को इसी कांकवाड़ी के किले में कैद रखा गया था । घने

जंगल में स्थित कांकवाड़ी दुर्ग एवं टहला के पास स्थित दुर्ग की स्थापत्य कला देखते ही बनती है ।

सरिस्का वन क्षेत्र में 26 गांव हैं जिनमें से 11 राष्ट्रीय उद्यान में हैं। परियोजना क्षेत्र को प्रबन्ध की दृष्टि से चार रेंजों में बांटा गया है । सरिस्का, टहला, अकबरपुर एवं तालवृक्ष इन चारों रेजों के मुख्यालय हैं । रेजों के प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी होते हैं। इनके अधीन नाकों के प्रभारी वनपाल तथा बीटों के प्रभारी वनरक्षक या ट्रेकर हैं। इनके अतिरिक्त एक गश्ती दल भी उपलब्ध है। जिसका मुख्यालय सरिस्का है। यहां पर एक सहायक क्षेत्र निदेशक के निर्देशानुसार कार्य करता है। परियोजना प्रबन्ध की मुख्य जिम्मेदारियां हैं वन एवं वन्यजीव सुरक्षा आश्रय स्थल में सुधार, अवैध शिकार, चोरी पर नियन्त्रण, वन्यजीवों को पीने के लिए पानी व नमक उपलब्ध कराना एवं पर्यटकों की सुविधाओं व उनकी गतिविधियों पर नजर रखना । वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद एवं सजग रखने के लिए परियोजना क्षेत्र में वायरलैस सुविधा उपलब्ध है जिसके जरिए दूरस्थ हिस्सों से बराबर सम्पर्क बना रहता है । परियोजना क्षेत्र में वन्यजीवों को पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में एनीकट व जोहड़ बनाये गये हैं। इन एनीकट व जोहड़ों में एकत्रित पानी से भू-जल स्तर भी ऊपर आया है।

वन्यजीव गणना-अभयवन में जीवों की संख्या जानने के लिए गर्मियों के दौरान पानी के कुण्डों पर गोपन लगाकर उनकी गणना की जाती है। उक्त गणना प्रशासनिक व्यवस्था के लिए सदैव महत्वपूर्ण रहती है। 1995 में की गई गणना के अनुसार बाघ 25, बघेरा 46, जंगलीबिल्ली 100, सियागोश 10, सांभर 4800, चीतल 4300, रोजड़े 2600 तथा 1997 में बाघ 24, बघेरा 49, जरख 81, सियार 340, सियागोश 6, जंगली बिल्ली 97, सांभर 5600, चीतल 2900, रोजड़े 4700, जंगली सूअर 2900 थे। सन् 1999 की मई माह में की गई गणना के अनुसार सरिस्का में 25 से 28 बाघ , 52 से 57 बघेरे , 110 से 120 जरख, 350 से 375 सियार, 115 से 135 जंगली बिल्ली, 8 सियागोश, 6000 से ज्यादा सांभर 3500 से ज्यादा चीतल, 5100 से ज्यादा रोजड़े तथा 3300 से ज्यादा जंगली सूअर हैं ।

सरिस्का अभयारण्य में भ्रमण का समय सूर्य उदय से सूर्यास्त तक है।

चुप्पी का शिकार सरिस्का

शान्त भाव लिए वर्ष 2004 जाते-जाते सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य को अशान्त कर गया। अचानक सरिस्का बाघ विहीन हो गया जिसके लिए सरिस्का सदियों से विश्वविख्यात रहा। अब एक प्रश्न बन कर सबके सामने था। यह सब किस का दायित्व और कर्तव्य क्षेत्र है ? जिसके कारण देखते-देखते एक जीव की जाति प्रजाति विलुप्त हो गई। क्या सरकार और समाज का कोई दायित्व नहीं बनता कि वह विलुप्त हो रहे जीवों का संरक्षण करे ? अब तक संरक्षरण होता रहा है। उस प्रक्रिया में क्या दोष रहा है ? जिससे इतने बड़े तामझाम के बावजूद भी सब के बीच से बाघ गायब हो गया। इतना ही नहीं कि बाघ गायब हुआ, यह भी नहीं मालूम कि कैसे और कब यह सब हो गया ? यह तो तय है कि यह सब एक दिन का खेल नहीं था। सरिस्का को बाघ विहीन होने में एक दो वर्ष तो अवश्य लगे होंगे।

हर साल मई माह में सरिस्का के वन्य जीवों की गणना होती है। उसमें भी कुछ न कुछ आकड़े तो अवश्य आते ही होंगे। जब बाघ घट रहे थे, तभी वन विभाग को चौकन्ना होकर चौकसी करनी थी। उसके कारणों में जाने का प्रयास किया गया होता। परन्तु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कभी कोई किसी प्रकार की भनक भी नहीं दी गई। सब

कुछ बहुत ही गोपनीय तरीके से यह सब रखा गया । भीतर ही भीतर बाघ पर संकट गहराता रहा, शिकार होते रहे और सभी चुप्पी साधे रहे; जो कि नहीं होना चाहिए था।

ये सभी सवाल आज भी मुंह बाए खड़े हैं। आखिर इनके उत्तर कौन देगा ? वन विभाग की उदासीनता का आलम यह था कि जनवरी 2003 में बामनवास गांव के पास एक मृतपशु के अस्थि-पंजर में लोहे का फंदा जोड़ दिया गया था जिसमें एक जरख फंस गया। उसकी सूचना सरिस्का के अधिकारियों को दी गई। जरख को तो पिजड़े में पकड़ कर ले गये थे। लेकिन इस सबके बाद कभी कोई जानकारी हासिल करने के लिए प्रयास नहीं किये गये। इन सब छोटी-छोटी घटनाओं के कारण शिकारियों का मनोबल ही बढ़ा, इससे स्पष्ट दिखाई देता है।

सरिस्का के बाघ विहीन होने के समाचारों ने तरुण भारत संघ के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं व सरिस्का संरक्षण कार्य में लगे लोगों को उस दुखान्त पीड़ा ने चकित किया। बाघ के विलुप्त होने के कारणों के विषय में सभी ने अपने-अपने स्तर से खोजबीन की लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ। जहां कहीं जरा सी कुछ भनक लगती थी, उससे किसी निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन था। फिर भी सब अपनी-अपनी तरह से लगे हुए थे। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार ने अपने-अपने स्तर से विभिन्न प्रकार की जाँच कमेटी गठित कर दी थी। जिसमें तरुण भारत संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ-साथ सरिस्का संरक्षण के कार्य में लगे लोगों ने अपनी तरफ से पूरा सहयोग दिया था। खैर ! सरिस्का के इतिहास में वन्यजीवों के लिए एक दुखान्त अनहोनी घटना घट चुकी थी जिसका परिणाम अन्ततः शून्य ही निकला था। बाघ के विलुप्त होने के कारणों को लेकर देश की सभी तरह की जाँच प्रक्रिया शुरू हुई। कई महीने तक बाघ और सरिस्का के समाचार सुर्खियों में रहे।

सरिस्का जांच प्रक्रिया

अरुण भगत
पूर्व निदेशक, गुप्तचर ब्यूरो

वर्ष 1985 में सरिस्का में 35 बाघ थे। इसके बाद वर्ष 2004 में इस अभयारण्य में नव पदस्थ फील्ड निदेशक ने यहां एक बाघ भी नज़र नहीं आने की रिपोर्ट दी। जनवरी 2005 में देश के एक प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक अखबार ने पहली बार यह खुलासा किया था कि अभयारण्य से सभी बाघों का शिकारियों ने पूर्णत: सफाया कर दिया है। इस तथ्य को उस समय राज्य वन विभाग ने झुठला दिया था और कहा था कि अभी बारिश हो रही है। अत: बाघ अस्थाई रूप से अभयारण्य से थोड़ा दूर स्थानांतरित हो गए हैं जो वर्षाकाल समाप्त होने के बाद फिर लौट आएंगे। उस समय विभागीय अधिकारी यह भूल गए थे कि बारिश तो पांच-छह महीने पहले (अगस्त-सितम्बर, 04) में ही समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस पर प्रसंज्ञान लिया और इसकी जांच सीबीआई से करवाने का निर्णय किया। प्रधानमंत्री सिंह ने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को इस संबंध में एक पत्र भी लिखा था। सीबीआई ने दो महीनों तक जांच की और पाया कि वाकई सरिस्का में एक भी बाघ नहीं बचा था।

इधर घटना की जांच राज्य सरकार द्वारा स्थापित स्टेट एम्पॉवर्ड कमेटी भी कर रही थी। कमेटी ने अपनी जांच में पाया था कि 27 अगस्त, 2004 को सरिस्का के फील्ड निदेशक को अभयारण्य में रहने वाले एक व्यक्ति मोहरसिंह का लिखित एक पत्र मिला था। मोहरसिंह ने पत्र में क्षेत्र में सक्रिय नौ शिकारियों के नामों का उल्लेख किया था। यह पत्र निदेशक के कार्यालय में 42 दिनों तक यूं ही रखा रहा। इसके बाद इसे 43वें दिन रेंज अधिकारी के पास भिजवाया गया। अधिकारी ने इस संबंध में जवाब 27 फरवरी, 05 को भेजा। सरिस्का में करीब 305 वनकर्मी काम करते हैं।

केन्द्र सरकार ने सरिस्का के लिए वर्ष 1997-98 और वर्ष 2004-05 में लगभग 196.83 लाख रुपए दिए थे। राज्य सरकार ने 2004-05 तक पांच वर्षों में 281.91 लाख रुपए सरिस्का के लिए दिए थे। इस बीच साल दर साल बाघ मारे जाते रहे और वन विभाग उनकी उपस्थिति में फर्जी आंकड़े जारी करता रहा। यह भी बड़े ताज्जुब की बात है कि जिस निदेशक ने सरिस्का से बाघ गायब होने के बारे में सबसे पहले चेताया था, उसी ने शिकारियों के बारे में महत्वपूर्ण सूचना देने वाले मोहर सिंह द्वारा लिखित पत्र के मिलने के बाद संबंधित अधिकारियों की कोई आपात बैठक तक क्यों नहीं बुलवाई ? क्या ऐसा करके वे इस अवधि में चार-पांच बाघों को भी नहीं बचा सकते थे ?

स्टेट एम्पॉवर्ड कमेटी ने रणथम्भौर स्थित अभयारण्य से भी वर्ष 2004 और 2005 के बीच करीब 21 बाघों के गायब होने की जिम्मेदारी तय करने की सिफारिश की थी। वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी गम्भीरता और समर्पण के साथ अपनी ड्यूटी देने में हर तरह विफल रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही और निरीक्षण की कमी से भी अधिकारी-कर्मचारी अपना कर्तव्य पालन ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं।

आशा बहुत बड़ी शक्ति होती है। विलुप्त बाघ को नकारते आशा भरे आश्वासन भी समय-समय पर आते रहे कि सरिस्का में बाघ की दहाड़ फिर से गूंजेगी। सरिस्का में बाघ आने के सिलसिले के चलते छोटे जीव भी काल के ग्रास होते रहे हैं। बाघ के जाने के बाद भी वन्यजीवों का शिकार जारी रहा।

जून 2007 में सरिस्का के मुख्य कोर क्षेत्र में एक बघेरे का शिकार हुआ। उसकी जाँच हुई तो अस्पष्ट रिपोर्ट तैयार कर बघेरे का अन्तिम संस्कार कर दिया गया। बघेरे के अन्तिम संस्कार ने फिर एक बार सरिस्का को अशान्त कर दिया। 'दूध से जले छाछ को भी फूंक कर पीते हैं' यह प्राचीन कहावत शत्प्रतिशत् चरितार्थ हुई। भष्मित चीते के अवशेषों की दोबारा से जिलाधीश अलवर के आदेश पर जाँच हुई, जिसमें बघेरा का शिकार होना साबित हुआ। बघेरा के शिकार ने एक बार फिर सरिस्का की रक्षा-सुरक्षा पर प्रश्न-चिह्न लगा दिया। इस प्रकरण में कई अधिकारी, कर्मचारी इधर-उधर किये गये। समस्या का समाधान फिर भी शून्य ही रहा जो बहुत बड़ा चिन्ता का विषय है।

साभार : राजस्थान पत्रिका, 15 जुलाई, 2008

वन विभाग का शिकार

वनवासी

तरुण भारत संघ जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, यहां भी वन क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र है जो सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य के नाम से विश्वविख्यात है। इस वनक्षेत्र में वन्यजीव और गुर्जर, मीणा जाति के लोग रहते हैं। जिनकी मुख्य जीविका उपार्जन पशुपालन आधारित ही है। वन्यजीवों के संरक्षण के लिए बने नये कानून-कायदे के तहत यहां के वनवासी का जीवन भी प्रभावित रहा है। आजादी के बाद भी यहां के वनवासियों की गुलामी का जीवन सतत जारी रहा। यहां तक कि पशु जीवन से भी बदतर जीवन जीते लोग देखे गये।

हमारे संविधान में जीवन के मौलिक अधिकारों से पूरी तरह वंचित लोग यहां जीवनयापन करते दिखाई दिये। जो रह रहे थे वह सब कृपा पर, अपना कुछ अस्तित्व ही नहीं था। 1987 के अन्तिम महीनों में सब कुछ स्पष्ट हो गया था कि सरिस्का के वनवासी का जीवन कितना कष्टमय है। सरिस्का के अन्दर बसे हरिपुरा गांव को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से ही वंचित रखा जा रहा था। यहां तक कि बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य से पूर्णरूपेण वंचित रखना वनकर्मियों की नियति बन गई थी। हरिपुरा के लोगों को और उनके पशुओं को गांव के चारों ओर पत्थरों की चारदीवारी बना कर खुली जेल में रखा जा रहा था। वह भी वन अधिकारियों की कृपा पर निर्भर थी। खुली जेल, पशु तुल्य जीवन निर्वहन् के साधन ऊपर से वनकर्मियों की तानाशाही थी। विकास नाम से विमुख रहकर वनवासी अपने वन में संघर्षशील जीवन जीते हुए जीवित थे।

सरिस्का के वनवासियों को विस्थापित करने के लिए वन विभाग की प्रताड़नाएं तो थीं लेकिन कोई योजना नियम सुविधाओं का अकाल था। वनवासियों का जीवन ऐसे चौराहे पर था कि उसे कोई रास्ता ही नहीं सूझता था और न कोई बताने वाला व सुनने वाला था। उनकी जिन्दगी वन में पशुपालन पर निर्भर थी जो बुरी तरह से तबाह थी। फिर भी वन उसे रास आए हुए थे। क्योंकि उसकी पीढ़ियों ने वहीं जन्म लिया था और वहीं मोक्ष। वह भी अपने जीवन को वनों में रह कर ही व्यतीत करना चाहते थे। वन विभाग की तानाशाही उन्हें किसी भी प्रकार से भी वन में नहीं रहने देना चाहती थी। वे तो हर प्रकार से प्रताड़ित करते हुए वनवासियों को मजबूर कर ही रहे थे। मजबूर और लाचार व्यक्ति अपने जीवन से कितना असहज हो जाता है, वह तो वनवासी की आत्मा ही जानती थी। उसे मनुष्य जीवन एक बोझ बन जाता दिखाई देता है। वही हाल सरिस्का वनवासियों का था। उनसे अच्छा तो जीवन वन्यजीवों का था जो स्वतंत्र रूप में विचरण करते थे। उनकी रक्षा-सुरक्षा में अधिकारी, कर्मचारी, वनकर्मी सैकड़ों की तादात में मुस्तैद थे। यह सब अध्ययन तरुण भारत संघ के पदाधिकारियों ने किया। वनवासियों की जिन्दगी को, उनके बीच में रहकर ही बहुत नजदीक से देखा-समझा, स्वयं उसे जिया भी। जो अनुभव हुए वह मनुष्य जीवन के लिए कष्टदायी ही नहीं बल्कि मानवता की क्रूर हत्या के समान थे।

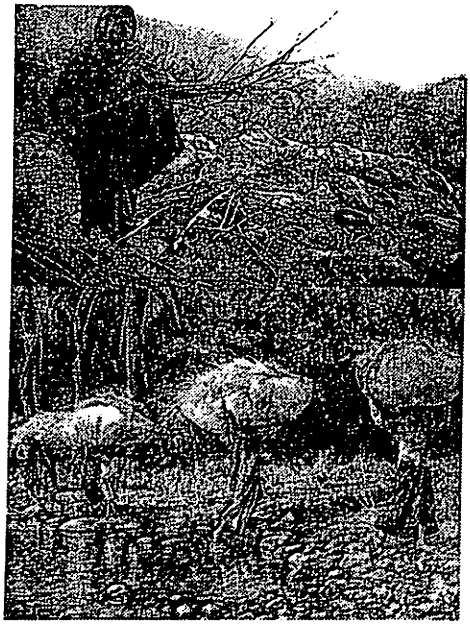

इन सभी अनुभवों से वनवासियों के लिए कार्य करने की प्रेरणा हुई कि पहले मानव को एक मनुष्य, आजाद भारत का एक नागरिक होने का एहसास कराया जाए। उसे वह सभी अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए जो स्वतंत्र भारत के नागरिक के लिए भारत के संविधान में निहित हैं। हमें आदमी, जंगल और जंगली जीव सभी चाहिए। सभी को सुरक्षा सुविधा हो, तीनों का जीवन एक-दूसरे का पूरक

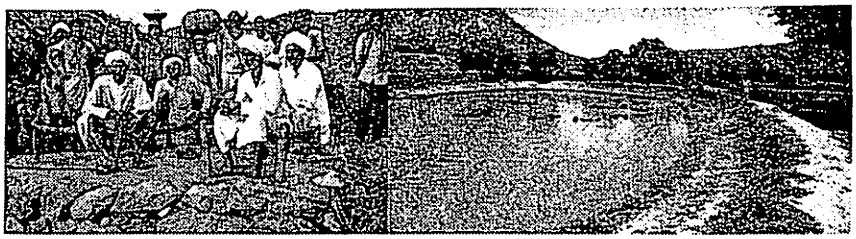

बने, सहयोगी बने, ऐसे विचार से कार्य करने का मानस बना और जंगलवासियों के जंगल जीवन को लेकर कार्य की प्राथमिकता तय की गई। जंगलवासियों को उनके जीवन के अधिकार दिलाने के लिए तरुण भारत संघ के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को लगातार दो वर्ष तक संघर्ष करना पड़ा था।

जंगलवासी भी वन विभाग के अत्याचारों से तंग आ चुके थे। वह भी अपने जंगल की नरकीय जिन्दगी से छुटकारा तो चाहते थे, लेकिन पहले उजाड़े गए गांव करणा का वास की तरह नहीं। जंगल से निकलने के बाद उन्हें भी दर-दर की ठोकर खानी पड़ें। क्योंकि सरिस्का में से सन् 1974-75 में निकाले गए लोगों की जीवनशैली ही बदल गई थी। उनके पास न घर था, न खेत और न जंगल ही था। उन्हें जिन स्थानों पर बसाया था। वहां दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया था। इन लोगों ने जिस भूमि पर खेती की, उस भूमि को भी पटवारी ने और लोगों के कब्जे की जमीन अपने रिकार्ड में दर्ज की थी, जिससे भविष्य में भी इन्हें इसका आवंटन न हो सके। इनकी फसलें भी अक्सर वहां के समाजकंटक काटकर ले जाते थे व मारपीट करते थे। अब उनके पास न पशु थे और न कोई धंधा। सिवाय जंगल कटाई के उन्हें और कोई कार्य रास नहीं आया। बेघर गुस्साए लोगों ने सरिस्का से निकल कर सरिस्का के बाहरी क्षेत्र में जंगल कटाई कर जीवन यापन का कार्य शुरू कर दिया जिससे संरक्षित वन क्षेत्र और वन्यजीवों का जीवन भी प्रभावित होना शुरू हो गया। आज भी 30 वर्ष पहले उजाड़े गये गांव के लोगों का जीवन व्यवस्थित नहीं हो पाया है। समय के साथ-साथ पीढ़ियां भी बदलीं और जनसंख्या भी बढ़ी। बढ़ी जनसंख्या का बोझ और अव्यवस्थित जीवन से बढ़ा आक्रोश जंगल की तबाही का कारण बन कर रह गया था। जिसे जंगलवासी अच्छी तरह समझ रहे थे कि हमारे साथ भी ऐसा ही हाल होगा जैसा पहले उजाड़े गये गांव वालों का हुआ है। बस यही भय हमेशा उन्हें जंगल छोड़ने से रोकता रहा।

आलोक पुराणिक

सरिस्का के अनुभव 1988

वनवासी की पीड़ा

''था म्हाणे जानवरो दे, महारे वोट तू लै जा''। सरिस्का बाघ परियोजना के कोर क्षेत्र में बसे हरिपुरा गांव की नब्बे वर्षीय पार्वती ने बड़ी सीधी सी मांग पेश कर दी , हरिपुरा गांव उस 'सरिस्का मुख्यालय' से बामुश्किल 10 किलोमीटर दूर है। जानवरों के बराबर होने की मांग करते हुए, पार्वती की स्थानीय बोली से जो कुछ समझ में आया, उसका आशय यह था कि यहां जानवरों के बराबर हक होने से बेफिक्री से तो घूमने की आजादी रहेगी, कोई मार-पीट नहीं करेगा, भरपेट खाने को मिल जायेगा। हमें वोट मांगने के लिए आए नेता समझ कर बेचारी पार्वती कहे जा रही थी। लोकतांत्रिक मूल्यों की इतनी समझ उसमें थी कि ठीक-ठाक कपड़े पहन कर बाहर से कभी-कभार यहां सिर्फ नेता आते हैं। वह भी वोट मांगने सो उसने धड़ाधड़ अपनी मांगें पेश कर दीं।

हरिपुरा सरिस्का बाघ परियोजना के तहत कोर क्षेत्र में बसे उन गांवों में से है, जिन्हें 'लोकतांत्रिक सरकार' और जंगलात विभाग 'नाजायज' मानते हैं, अब सभी आबादी ही नाजायज है, तो उससे जुड़ी बुनियादी समस्याओं की बात भी नाजायज है। बताइए 'लोकतांत्रिक मूल्यों का 'नाजायज आबादी' से कोई ताल्लुक कैसे हो सकता है ?' जानवरों से भी बदतर हालत में रह रहे सरिस्का के कोर क्षेत्र के निवासियों की जानवरों के बराबर हक मांगने की बात भी नाजायज है।

हरिपुरा से आगे चलें, मीलों दूर तक पसरा पथरीला सन्नाटा, रास्ते में दोनों तरफ बिखरे पड़े मवेशियों की लाशें और कंकाल, गिद्ध जिन पर बैठे तो थे , पर खा नहीं रहे थे, लग रहा था कि लाशें इतनी ज्यादा हो गयी हैं, इस 'महाभोज' को खाने की हिम्मत गिद्ध समुदाय में अब रही नहीं है। ठीक सामने वह किला था, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने राजनीतिक सत्ता संघर्ष में परास्त अपने भाई दारा शिकोह को यहां पर कैद रखा था, इंसानी जिन्दगी को रास न आने वाले यहां के हवा-पानी और

माहौल से लड़-झेल कर दारा शिकोह यहां तीन साल के भीतर ही मर गया था। राजनीति के हाशिये पर पटक दिए गए लोगों की नियति का एकदम सटीक प्रतीक है। किले के ठीक नीचे कांकवाड़ी गांव है। फोड़े-फुंसी की तरह उग आयी झोंपड़ियों और उनके रहने वाले इंसानों में 'मौत' की जिंदा शक्ल अपनी समुचित भयावह और नंगेपन के साथ उजागर हो रही थी। कांकवाड़ी पचास घरों के करीब पांच सौ लोगों की इस आबादी को 'गांव' कहना तो एकदम बेमानी लग रहा था। खेती की इजाजत यहां नहीं है, पशुपालन यहां नहीं है, इससे पहले यहां जानवर और इंसान एक ही जोहड़ का पानी पीते रहे हैं।

कांकवाड़ी की 22 वर्षीय सूसी बाई अपने दो बच्चों के साथ जिंदगी की लड़ाई लड़ते-लड़ते बहुत बदहाल और पस्त हो चली है वैसे यहां 'जिन्दगी' के मायने एकाध वक्त के खाने की जुगाड़ करने से ही है। अब से करीब चार वर्ष पूर्व सूसी का घरवाला कल्याण गूर्जर खजूर के पेड़ से पत्ते तोड़ कर ले आया था। इस अपराध की सजा 'जंगलात विभाग' और 'पुलिस' दोनों ने सजा-ए-मौत दी। जंगलात विभाग के कर्मचारियों ने चालान कर दिया, फिर केस चला कर जेल में डलवा दिया, बहुत पिटाई की, बेचारा सीधा-साधा अपढ़ कल्याण इतने से अपराध की इतनी बड़ी सजा झेल नहीं पाया, चल बसा, कल्याण की लाश भी सूसी को मौत के पांच दिन बाद नसीब हो पायी। सूसी की सुनवाई किसी ने नहीं की, सूसी के दो बच्चे हैं, एक टूटी झोंपड़ी में एक टूटी खाट के अलावा सूसी के पास और कुछ है तो जिंदगी की लड़ाई में लगातार पस्त होने के बावजूद जीने की अदम्य इच्छा-शक्ति, जिजीविषा, जो यहां जिंदगी पर छाए अंधेरे में रोशनी की तरह चमक कर अंधेरे के वजूद को चुनौती देती रहती है, चाहे क्षणिक ही सही, सूसी को एक दिन पहले ही दिन भर की मजदूरी के बाद एक दस का नोट मिला था, नोट भी ठेकेदार ने फटा हुआ टिका दिया था, फिर भी सूसी बराबर अपने बच्चों को वह नोट देकर सोचे जा रही थी कि वे गांव में कहीं से दूध ले आयें, चाय पीने का बार-बार आग्रह करती सूसी की आखों की चमक जिंदगी की कठिन से कठिन लड़ाई में भी जीवन के तमाम सकारात्मक मूल्यों के जिंदा रहने का भरोसा सा दे रही थी, पर आश्वस्त करता यह भरोसा बहुत देर जस का तस न रह सका। इस पर धुंध पड़ी उन बीमार बच्चों को देख कर जो हमारे इर्द-गिर्द जमा हो गए थे।

जैसा कि साफ है कि सरिस्का की टाइगर डेन से निकले 'लोकतांत्रिक मूल्य' तो इतने कमजोर हैं कि पांच-दस किलोमीटर के दायरे तक में नहीं टिक पाते , पर हम आपको सरिस्का कोर क्षेत्र के ऐसे गांव की ओर ले चलते हैं, जहां 'लोकतांत्रिक मूल्य' खुद-ब-खुद स्थापित हो रहे हैं। भारतीय संविधान द्वारा तय और राजनीतिबाजों द्वारा उगले गये 'लोकतांत्रिक मूल्यों' से भी दो कदम आगे ये 'मूल्य' स्थापित हो रहे हैं। 'टाइगर डेन' से करीब 15 किलोमीटर के ऊबड़-खाबड़ रास्ते के बाद करीब हजार फुट की खड़ी चढ़ाई के बाद ही इस गांव में पहुंचा जा सकता है। इस गांव की आबादी करीब एक हजार है, बाकी सारी चीचें वहीं हैं, जो हम पहले बयान कर चुके हैं, इस गांव की 'लोकतांत्रिक विशेषता' के बारे में बता दें कि 'लोकतांत्रिक समभाव' का आलम यहां यह है कि जानवर और इंसान एक ही जोहड़ का पानी पी रहे हैं, इस 'लोकतांत्रिक समभाव' की कल्पना करने से पहले ही तुलसीदास की प्रतिभा जवाब दे गयी होगी, तब ही तो वे इससे ज्यादा नहीं लिख पाये कि राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट का पानी पीते थे। अब का इतिहास भविष्य में जब कभी लिखा जायेगा, तब इस बात पर बहस करने की सम्भावना बराबर रहेगी कि लोकतंत्र में इंसान और उनके मवेशी तथा वन्य जीव एक ही जोहड़ से पानी पीने के सवाल से 'लोकतांत्रिक मूल्य' किस प्रकार जुड़े हुए थे ?

चौथी दुनिया 1988 से साभार

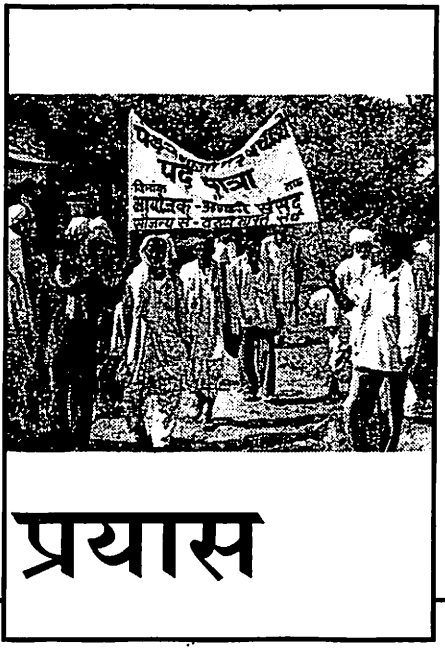

सरिस्का संरक्षण में तभासं के प्रयास

तरुण भारत संघ (तभासं) का प्रत्येक कार्य समाज आधारित स्वावलम्बन व्यवस्था को बढ़ाने का कार्य है। गांव में सामलाती सम्पत्तियों का मालिक गांव समाज है। इस बात का अहसास कराने के लिए तभासं ने अपने कार्य क्षेत्र में जल, जंगल व जमीन के संरक्षण के लिए जो भी कार्य किया है, उसमें ग्रामीण समाज का पूरा सहयोग है। सामाजिक कार्यों में जो भी बाधाएं आयीं, उनका हल समाज की संगठित शक्ति, अहिंसक संघर्ष, प्रगतिशीलता, नीतिगत एवं व्यावहारिकता से किया। गांव के सहयोगी प्रयास व जन शक्ति से किये गये कार्यों के लिए तभासं देश दुनिया में जाना जाता है, चाहे वह कार्य जल, जंगल, जमीन एवं पर्यावरण के हों या फिर संगठनात्मक सहयोग व नीतिगत कार्य के रहे हों। समाज के लिए कुछ ऐसे कार्य अति आवश्यक होते हैं जो अपने में स्थायित्व लिए हुए लम्बे समय तक जरूरी होते हैं, जैसे जल संरक्षण, जंगल संरक्षण, जमीन संरक्षण तथा शिक्षा, विकास के कार्य। ग्रामीण समाज ने अपने गांव में दस्तूर बना कर उनकी पालना की है। तभासं ने ऐसे समाज का हर संभव सहयोग किया है।

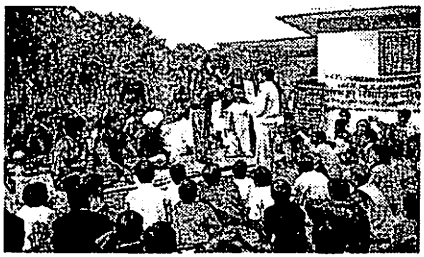

वन विभाग और वनवासियों में संवाद प्रक्रिया शुरू कराना

सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य के संदर्भ में तरुण भारत संघ ने सबसे पहले सरिस्का में रहने वाले लोगों को भय मुक्त कर उन्हें सरिस्का का मालिक होने का अहसास कराया। उनमें संगठन शक्ति का संचार किया और अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग करते हुए अहिंसकपूर्वक संघर्ष करने को प्रेरित किया। वन-विभाग के द्वारा दी जा रही तरह-तरह की यातनाओं को झेला। प्रतिक्रिया स्वरूप कभी भी हिंसक रूप में आमने-सामने नहीं हुए। ग्रामीणों को कानूनी जाल में फंसाया तो भी कानून के अनुसार ही वनवासियों ने न्यायालय में जाकर अपना पक्ष रखा।

तभासं कार्यकर्ताओं ने वनवासियों के बीच में जाकर जंगल और जंगली जीवों के विषय में भी सचेत करते हुए उन्हें समझाया कि जितनी आपको जंगल में रहने की जरूरत है, उससे भी अधिक जंगली जीवों को है, जंगल को है। आप लोग तो कहीं भी जाकर रह सकते हैं लेकिन जंगल कटते हैं तो वह दुबारा नहीं आ सकते और न ही जंगली जानवर कहीं जा सकते हैं। जंगल में तीनों तभी रह सकते हैं जब आप लोग जंगल और जंगली जीवों को अपना मानेंगे। वनवासियों ने ऐसा ही किया। आखिरकार वन विभाग ने गांववासियों के व्यवहार में परिवर्तन देख अपने भी व्यवहार में परिवर्तन किया।

सरिस्का में देखा गया कि नीतिगत और वैचारिकपूर्ण संवादहीनता भी द्वेषता को बढ़ाने में मुख्य बाधक रही थी। वन विभाग और ग्रामीणों की अपनी-अपनी समस्याओं को लेकर संवाद आगे बढ़ा। इस संवाद में तरुण भारत संघ की भूमिका सेतु की रही। दोनों की समस्या सामाजिक पटल पर देखें तो व्यावहारिक दिखती थी, लेकिन दोनों में अन्तर था। जंगलात विभाग का कर्मचारी बड़े से लेकर छोटे तक सरिस्का वासियों के प्रति संवेदना-विहीन व्यवहार रहा था। उन्हें यह अहसास बिल्कुल नहीं था कि मनुष्य जीवन के भी कुछ मूल्य हैं,

संवैधानिक अधिकार हैं और वे भी इस जंगल में रहते हैं, उनका भी जंगल से कुछ न कुछ तो नाता-रिश्ता होगा ही। उन्हें भी जंगल और जंगली जीवों से प्यार होगा। वनवासी के मन में जंगल और जंगली जीवों के प्रति संवेदना जगाने के बजाय नफरत ही बढ़ाई, जिसके कारण द्वेषता बढ़ी। यह सब

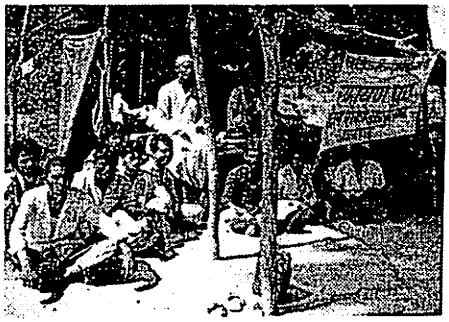

देख-समझ कर वैचारिक समन्वयी दृष्टि रखते हुए तभासं ने वन विभाग और वनवासियों में संवाद शुरू कराया। इस सब प्रक्रिया में तरुण भारत संघ के कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्रकार की परेशानी हुई थी। संवाद के चलते वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के व्यवहार में भी बदलाव आया। जंगलवासियों के लिए प्रगति के रास्ते खुले। तरुण भारत संघ ने भी सरिस्का के गांव में अपने सीमित साधनों से शिक्षा, स्वास्थ्य व जल संरक्षण के कार्य चालू किये।

समरसता भाव को बढ़ाने के लिए वन विभाग व ग्रामवासियों के द्वारा सरिस्का अभयारण्य के नौ गांव में एक साथ नवम्बर, 1989 में रामायण पाठ कराया था। इसमें ग्रामवासियों ने वनकर्मियों का सम्मान किया और वनकर्मियों ने ग्रामवासियों का सम्मान किया। जनवरी, 1990 में भी जंगलात विभाग, जंगलवासी और सरिस्का के आस-पास के गांव ने मिलकर जंगल संरक्षण यज्ञ किया था। गांव-गांव में जंगल संरक्षण के लिए अभियान चलाए, समितियों का गठन किया। सरिस्का के चारों ओर के ग्रामीणजनों और स्कूल के छात्रों के साथ 'जंगल जीवन संरक्षण' के लिए जन जाग्रति शिविर सम्मेलन और प्रशिक्षण किये गए थे। सरिस्का अभयारण्य संरक्षण के लिए सरिस्का का समाज पूरी तन्मयता के साथ लगा हुआ था।

सरकारी जंगल जमीन को बचाने के लिए सरकार से संघर्ष

सरिस्का का संघर्ष सभी प्रकार से बहुत ही संवेदनशील चर्चित संघर्ष रहा है। इसमें एक साथ समाज के कई स्तर पर संघर्ष हुआ। राजस्थान सरकार, सभी राजनैतिक पार्टियां, खनन विभाग, राजस्व विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग, वन

एवं वन्यजीव अभयारण्य सरिस्का, खनन उद्योग माफिया, ट्रक यूनियन, मजदूर यूनियन और दूसरी ओर तरुण भारत संघ, ग्रामीण पीड़ित जनता के सहयोग से अकेला संघर्ष करता रहा।

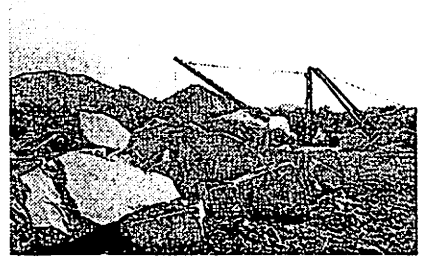

सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य को राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों ने मिलकर 886 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में समेट दिया था। उसी के अनुसार सरिस्का क्षेत्र का वैध सीमांकन नक्शा भी बना दिया गया, जो हर प्रकार से सरकारी आंकड़ों में वैध था। लेकिन पूर्व में किया गया सीमांकन ही समाज की स्मृतियों में विद्यमान था। एक बार चिह्नित नक्शा लोक मानस में बैठ जाता है तो पीढ़ियों तक चलता रहता है। उसके पास तो अपनी जमीन का भी कोई नक्शा नहीं होता, फिर भी अपनी-अपनी सीमा में रहते हैं।

सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य का आरक्षित क्षेत्र केन्द्रीय सरकार के अनुसार 1152 वर्ग किलोमीटर था और राजस्थान के सरकारी विभागों में नक्शों के अनुसार 886 वर्ग किलोमीटर था तो 266 वर्ग किलोमीटर जमीनी क्षेत्र कहां गया ? गांव सभा के द्वारा ज्ञात हुआ कि सरिस्का क्षेत्र की सीमा में अब मार्बल खनन कार्य के लिए पट्टे दे दिये गये हैं और सीमा चिह्नों को हटा दिया गया है।

इसका तभासं ने गहराई से अध्ययन किया तो पाया कि राजनैतिक, उच्च अधिकारीगण और खनन उद्योगपतियों के गठजोड़ के कारण जंगलात का जमीनी क्षेत्रफल ही सिकुड़ गया। क्योंकि सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य, आरक्षित क्षेत्र की टहला रेंज में मार्बल की उपलब्धता के कारण 266 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आरक्षित सीमा से बाहर कर दिया। खनन के लिए पट्टे जारी कर दिये और बड़े पैमाने पर खनन शुरू हुआ। इस क्षेत्र में बहुत से प्रसिद्ध राजनेताओं की भी खानें थीं और उच्च अधिकारियों की भी। खनन माफिया को सन् 1985 में 15-20 हजार रुपये में खनन के पट्टे मिल गये थे। बाहर के मजदूर भी आ गये थे और बहुत से मालवाहन के साधन भी। खनन के धमाकों और ट्रकों की आवाजाही, बाहरी मजदूरों के कारण गांव के लोग सरिस्का के जंगल और वन्यजीवों पर संकट छा गया था।

सरिस्का की आरक्षित भूमि 266 वर्ग किलोमीटर खनन के उद्योग में चली गई। अब इसे बचाना अपने में बड़ा कठिन कार्य था। राजनैतिक पार्टियों का एक भी

व्यक्ति या उच्च अधिकारी सामने नहीं आना चाहता था और किसी को क्या जरूरत थी ? गांव उजड़े या कोई मरे किसी को न दु:ख था न डर। खनन से सफेद पत्थरों के ब्लॉक से भरे वाहन सड़क के एकमात्र मालिक थे। बाहर के लोगों का आतंक गांव में बहन-बेटियों की इज्जत लूट रहा था। ये सब विकास के नये कार्य गांव की सुख-शान्ति में तो बाधाएं खड़ी कर ही रहे थे। दूसरी तरफ सरिस्का के जंगलों और पशु-पक्षियों पर भी बुरा असर डाल रहे थे। ये सब ग्रामवासियों की नजरों से छुपा हुआ नहीं था। वे तो हर समय यह पीड़ा सह रहे थे। लेकिन कब तक सब करते आखिर सब्र और धैर्य की भी सीमा होती है।

तरुण भारत संघ द्वारा भर्तृहरि स्थान पर 19 से 21 जनवरी, 1990 में जंगल संरक्षण यज्ञ का आयोजन वन विभाग व वनवासियों ने मिलकर किया था जिसमें पूरे क्षेत्रीय समाज का सहयोग मिला। जंगल संरक्षण यज्ञ में खनन क्षेत्र के पीड़ित गांव के लोग भी आए, उन्होंने तभासं के राजेन्द्र सिंह को अपनी पीड़ा सुनाई और खनन कार्य बन्द करने में हर सम्भव साथ देने का वायदा किया। तभासं ने सरिस्का के भविष्य और ग्रामीण समाज की पीड़ा का हर तरह से सभी पहलुओं पर विचार किया। तभासं ने सरिस्का के संबंध में और गहराई से जानकारी कराई तो पाया कि जो खनन कार्य हो रहा है वह आरक्षित वन एवं वन्यजीव अभयारण के कानून के मुताबिक गलत है। इसके लिए कानूनी सलाह ली गई और न्यायालय में जाना एकमात्र रास्ता ही उचित लगा। क्योंकि और सभी रास्ते बंद थे। किसके पास जाएं 'रक्षक ही भक्षक' थे।

तभासं ने सरिस्का में अवैध खनन के खिलाफ अच्छा-बुरा सोचकर उच्चतम न्यायालय में जाने का मन बना लिया। 1 अक्टूबर, 1990 में याचिका दायर कर दी। जिसमें राजस्थान सरकार के सभी संबंधित विभाग, खनन यूनियन आदि को विपक्ष माना। उच्चतम न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर दिये। याचिका स्वीकार करने पर तभासं के कार्यकर्ताओं पर तरह-तरह से हमले होने शुरू हुए।

उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित जांच कमेटी के सामने जिलाधीश की गाड़ी में बैठे राजेन्द्र सिंह पर जानलेवा हमला हुआ। तत्कालीन राजस्थान सरकार ने अपने स्तर की सभी तरह से तभासं की जांच के आदेश जारी कर दिये। विधानसभा में भी सर्वदलीय जांच कमेटी बनाई गई। तभासं पर चारों तरफ से राजनैतिक, प्रशासनिक

और खनन माफिया की ओर से अपने-अपने तरीके से जो कुछ वह बुरे से बुरा कर सकते थे किया। उस समय पीड़ित समाज व तभासं कार्यकर्ताओं ने सभी बाधाओं का सामना किया। राजनैतिक पक्ष-विपक्ष के नेता, सरकारी अधिकारी, खनन माफिया का गठजोड़ भी देखने के योग्य था। उसके बाद खनन क्षेत्र में वैसा गठजोड़ कभी नहीं बना।

उस समय एक वन विभाग के उच्च अधिकारी श्री वी.डी. शर्मा ने हिम्मत के साथ वन क्षेत्रों का सही सीमांकन करवाया तथा तथ्यों को ढूंढ कर प्रस्तुत किया। इसी कारण उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय तरुण भारत संघ के पक्ष में सुनाया और खनन माफिया से सरिस्का आरक्षित वन क्षेत्र की 266 वर्ग किलोमीटर जमीन निकलवाई गई। 400 से अधिक अवैध खानें बंद हुईं। ऐसा ही जमुवारामगढ़ में हुआ। वन क्षेत्र में अवैध रूप से आवंटित खानों के पट्टे रद्द करने पड़े। जमुवारामगढ़ सेंच्यूरी का सीमांकन किया गया, वन क्षेत्र की सभी खानें बंद हुईं। अक्टूबर, 2002 में उच्चतम न्यायालय को एक बार 10 दिन के लिए पूरे राजस्थान में वैध, अवैध सभी खनन कार्य को ही बंद करने के सख्त आदेश देना पड़ा, जिससे पूरे राजस्थान में खनन कार्य बंद हुआ।

तरुण भारत संघ द्वारा सरिस्का में किये गए संघर्षशील कार्य को देशी-विदेशी पर्यावरणविद् अपने-अपने नजरिये से देखने के लिए आए। सरिस्का की परिस्थितियों को समझा और अपने कार्य क्षेत्र में भी जंगल जीवन को बचाने के प्रयास किये। इतना ही नहीं तरुण भारत संघ परिसर में राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की पर्यावरण विषयों पर सेमिनार आयोजित हुई, जिसमें सरिस्का के अधिकारियों ने भी वन्यजीव अभयारण्य में समाज की भूमिका को सराहा। तरुण भारत संघ ने सरकार को देश में साझा वन प्रबन्धन को प्रोत्साहित करने में भी अपने विचारों से अवगत कराया।

जंगल जीवन में पेड़-पौधे, बेल-लता, घास, जीव-जन्तु, पशु-पक्षी, जल-जमीन और जंगलवासी आते हैं। तरुण भारत संघ ने अपने सीमित साधनों से नीतिगत मुद्दों को लेकर वैचारिक और व्यावहारिकतापूर्ण सरिस्का संरक्षण का कार्य किया।

सरिस्का वनवासी की समस्याओं के समाधान के बढ़ते प्रयास

वर्ष 1989 में सरिस्का में फतेह सिंह राठौर की नये क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्ति हुई थी। नये निदेशक से जंगलवासी परिचित थे। तरुण भारत संघ के साथ जंगल और जंगलवासियों को लेकर जो संघर्ष चला था। उससे राजस्थान का प्रशासन ही नहीं बल्कि पूरा देश परिचित था। यह अपनी तरह का अहिंसक रूप में जल, जंगल, जंगली जानवर के अतिरिक्त पूरी जैव सम्पदा के संरक्षण के लिए संघर्ष था। सरिस्का के नये क्षेत्रीय निदेशक ने तरुण भारत संघ के पदाधिकारी राजेन्द्र सिंह से संपर्क किया और राजेन्द्र सिंह ने संपर्क को आगे बढ़ाया। दोनों के बीच लम्बे समय तक सरिस्का के संरक्षण को लेकर लम्बी बातचीत चलती रही। इन सबसे वनवासियों को भी कुछ राहत मिली नहीं।

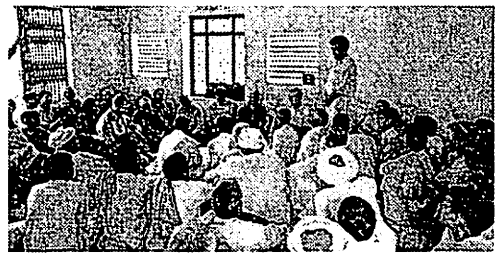

सरकार सरिस्का के लोगों को बाहर तो निकालना चाहती थी लेकिन उसके पास न तो कोई योजना थी और न कोई मापदण्ड कि वह सरिस्का के लोगों को किस प्रकार बाहर बसाये। क्या-क्या सुविधाएं मुहिया कराए ? सब कुछ अन्धेरे में था। उस अन्धेपन के कारण जंगलवासियों का भी जीवन अन्धकारमय दिखाई देता था जिसका गवाह पूर्व में विस्थापन किये गये गांव के लोगों का जीवन था। उसी का भय बार-बार सरिस्का वनवासियों के आगे आ खड़ा होता था। वही डर उन्हें सरिस्का में रहने के लिए मजबूर कर रहा था। फिर भी दूसरी जगह बसने बसाने के प्रयास जारी रहे। 20 जनवरी 1990 को सरिस्का के वनवासियों को बहरोड के पास बड़ोंद की रूंध को दिखाने के लिए ले जाया गया था। रणथम्भौर के वन्यजीव अभयारण्य में से विस्थापित किए गये गांव को जाकर देखा। लोगों से भी बातचीत हुई और अनुभव के लिए सरिस्का के लोगों को ले जाया गया। लेकिन सरकार की दोहरी नीति के चलते बात आगे बढ़ते-बढ़ते रुक जाती थी। फिर भी अब वनवासियों के

जीवन में वैसा संकट तो नहीं था, जैसा कि पूर्व क्षेत्रीय निदेशक के.एल. सैनी के समय में था।

नये निदेशक के आने से इतना तो अवश्य था कि जंगलवासियों के साथ नरमी का बर्ताव था। वह अपने गांव घर में आराम से रह सकते थे। पशुपालन के सहारे जीवन यापन करने में छोटी-मोटी समस्या होती थी तो अब संस्था में न आकर स्वयं क्षेत्र निदेशक से मिलकर हल कर लेते थे। जंगल और जंगली जीवों के विषय में जंगल वासियों की संवेदना और भावनाओं को जाग्रत किया गया और सरिस्का के संरक्षण कार्य में सहयोग करने के भरसक प्रयास जारी रहे। जिससे सरिस्का में जंगल, जंगली जीव और जंगलवासियों के जीवन में सुधार हुआ। सरिस्का से विस्थापन की बात आई गई हो गई।

फतेह सिंह के बाद नये क्षेत्र निदेशक के रूप में सुनयन शर्मा आए। उन्होंने भी सरिस्का वनवासियों के विस्थापन के लिए हल्केपन से बात चलाई। तरुण भारत संघ ने उसे सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य के हित में देखते हुए गम्भीरता से लिया। कई गांव के लोगों से बातचीत की जिसमें प्राथमिकता के तौर पर ऊमरी, किरास्का और भगाणी, कांकवाड़ी गांव थे। तरुण भारत संघ के अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह ने अपनी ओर से सहयोग देने के लिए भी कहा और इस संबन्ध में आक्सफेम इण्डिया ट्रस्ट अहमदाबाद के प्रभारी श्री सेमुअल जोन से बातचीत हुई। उन्होंने सरिस्का के विस्थापन होने वाले गांव की हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया था। आश्वासन ही नहीं दो बार सरिस्का के लोगों से बात करने के लिए और प्राथमिकता के आधार पर कुछ कार्ययोजना भी लेकर आये थे। जहां वन विभाग के अधिकारी जंगलवासियों को बसाना चाहते थे, उस जगह का भी निरीक्षण किया था। यह सब प्रयास तरुण भारत संघ की ओर से जारी थे। लेकिन वन विभाग की ओर से किये जा रहे प्रयास 'ढाक के तीन पात' ही साबित हुए। सुनयन शर्मा भी चले गये।

नये क्षेत्र निदेशक के रूप में

तेजवीर सिंह जी आए। तेजवीर सिंह के समय में विस्थापन के विषय में तो ऐसी कोई विशेष प्रगति दिखाई नहीं दी जिससे कहा जा सके कि सरिस्का के वनवासियों को अन्यत्र बसाने के लिए सरकार चिन्तित है। सब बहुत ही सामान्यतः चला। हाँ इस समय में तरुण भारत संघ के प्रयास से वन्यजीवों के लिए सरिस्का अभयारण्य में तीन सौ से अधिक छोटी बड़ी जल संरचनाओं का निर्माण जरूर हुआ। तेजवीर सिंह क्षेत्र निदेशक के पद पर सरिस्का में कई वर्ष तक रहे। गांव वालों के साथ भी किसी मनमुटाव की ऐसी कोई बात नहीं हुई कि वनवासियों के खिलाफ कदम उठाये जाएं। सब कुछ शान्त रहा। जंगल, जंगलवासी और जंगली जानवर सब शान्त भाव से विचरण करते रहे।

तेजवीर सिंह के बाद नये निदेशक की नियुक्ति हुई और उनके बाद भी नये निदेशक आ गये। सब कुछ शान्त रहा। जंगल संरक्षण के लिए गांव में बनी समितियां जरूर सक्रिय हो रही थीं। इतना ही नहीं सरिस्का के चारों ओर और अन्दर के बसे गांव कुल मिलाकर 288 गांवों के लोग मिलकर सरिस्का के संरक्षण के लिए प्रयत्नशील थे। उन्होंने सरिस्का संरक्षण संसद का भी गठन किया था। क्षेत्र और गांव स्तर पर भी उसी रूप में कार्यरूप बना कर सक्रिय थी जिसमें सरिस्का के अधिकारी, कर्मचारियों की उपस्थिति रहती।

गांव और अधिकारी, कर्मचारियों के बीच सरिस्का के संरक्षण के लिए आपसी संवाद बना हुआ था। जहाँ कहीं जंगल कटाई को लेकर आपसी विवाद थे, उनका भी समाधान आपसी संवाद से हल किये जाने लगे थे। सरिस्का संरक्षण संसद की सक्रियता सरिस्का के बाहरी क्षेत्र में अधिक थी। भीतरी भाग में वन विभाग का ही अधिकार क्षेत्र था जो शान्त था। उसमें गांव के लोगों की भी ऐसी कोई बड़ी समस्याएं नहीं थीं। जिससे वन विभाग और वनवासियों के बीच आक्रोश बढ़ने का कारण बने। सब कुछ शान्त था। लेकिन कभी-कभी शान्त भाव भयानक अशान्त रूप लेता है। वही हाल सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में हुआ।

सरिस्का में बाघ पुनर्वास

बाघों को लाने-ले जाने के काम में कई स्तर पर समन्वय की जरूरत पड़ेगी। शुरुआती दौर में सरिस्का का बढ़ा हिस्सा किसी भी तरह के मानवीय दखल से मुक्त रखा जाना चाहिए। इसके आसपास के क्षेत्र में, इस जाति के लिए अनुकूल माहौल बनाना पड़ेगा। यह क्षेत्र इनके शिकार वाली प्रजातियों और बाघिन के तीन-चार बार के प्रजनन के लिए उपयुक्त होना चाहिए। इसकी देखभाल बहतरीन रिकार्ड रखने वाले विशेषज्ञों पर छोड़ी जानी चाहिए।

देश को स्वतंत्रता मिलने के लगभग 25 वर्ष बाद सन् 1972 में हमारे देश में वन्यजीव संरक्षण कानून बन गया था। संशोधन के बाद उसे और कड़ा बनाया गया, लेकिन हम अब तक वन्यजीवों को बचा पाने में कामयाब नहीं हो पाये हैं। दुर्लभ प्रजातियों पर तो संकट के बादल और भी गहरे हो गए हैं। हाल ही जब रणथम्भौर से सरिस्का स्थित अभयारण्य में एक बाघ और बाघिन को हेलीकॉप्टर से भेजा गया, तो उनके साथ जाने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा दिए गए बयानों के कारण इस घटना को बहुत ज्यादा प्रचार मिला। बाघ सरिस्का भेजने की घटना को सराहा गया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसकी जरूरत क्या थी ?

बाघ पुनर्वास की जल्दी क्यों ?

वर्ष 2004 के अन्त तक सरिस्का से बाघ जैसे दुर्लभ जीव विलुप्त हो गए। जैसाकि सभी जानते हैं सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में बाघ और वनवासी सदियों से रहते आ रहे हैं। लेकिन सरिस्का में बाघों का खत्म होना मानवीय दखल का कारण माना गया। अब सवाल उठता है कि सरिस्का में बाघ फिर से कैसे आएं ? इसके लिए सरिस्का बाघ परियोजना में बसे छब्बीस गांवों के विस्थापन का सवाल

खड़ा हुआ। सरकारी तंत्र द्वारा प्रचारित किया गया कि पहले सरिस्का से मानवीय दखल को कम किया जाए। विभिन्न जांच समितियों ने भी अपनी जांच में सरिस्का में बसी मानवीय बस्ती को बाघ के पुर्नवास में बाधा माना।

सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में बसे गांव को दूसरी जगह विस्थापन करने की कवायत पिछले तीन दशकों से चल रही है। जंगल और जंगली जीवों की सुरक्षा को देखते हुए अभयारण्य में बसे गांव को मानवीय मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित भी रखा गया। इतना ही नहीं वनवासियों को कानूनों के तहत जंगलात विभाग की अमानवीय प्रताड़नाओं का शिकार होना पड़ा। सरिस्का अभयारण्य की सुरक्षा को लेकर दो दशकों से तो समय-समय पर समाचार पत्रों में गांव के विस्थापन के समाचार आते रहे थे। पुनर्वास की प्रक्रिया तो शुरू नहीं हो पाई, लेकिन जंगल और जंगली जीव जरूर कम होते गए।

वर्ष 2006 में सरिस्का के अन्दर बसे गांव को अन्यत्र बसाने की योजना पर कार्य करना शुरू किया। इसके लिए केन्द्र और राज्य सरकार के स्तर से त्वरित सक्रियता दिखाई जाने लगी। जिलाधीश अलवर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई। विस्थापित होने वाले गांव को सूचीबद्ध किया और चार गांव को प्राथमिकता दी। जिसमें सबसे पहले भगाणी और कांकवाड़ी गांव को लिया गया। दोनों गांव की कुल आबादी 1500 के लगभग है। जबकि सरिस्का में वनवासियों की आबादी 15 हजार से भी अधिक है। वर्ष 2006 व 2007 में विस्थापन की प्रक्रिया में अभी तक भगाणी गांव को ही विस्थापित किया जा सका है जिसमें 21 परिवारों का पुनर्वास हुआ है। भगाणी गांव की कुल आबादी 500 के लगभग है। क्या भगाणी गांव के विस्थापन से सरिस्का में मानवीय दखल का समाधान हो गया ? क्या एक गांव के विस्थापन से सरिस्का में बाघ के पुनर्वास के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो गईं ? और वह भी एक किनारे पर बसे गांव के हटाने से ? सरिस्का में बसे गांव के विस्थापन की प्रक्रिया में अब क्या देरी है ? अब तो केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने विस्थापन के लिए आर्थिक संसाधन मुहैया करा दिये हैं। रोज अखबारों में आता है कि सरिस्का के विस्थापितों के लिए प्रत्येक परिवार के लिए 10 लाख रुपये दिये जायेंगे। केन्द्र और राज्य सरकार की नीतियों में वनवासियों के विस्थापन का कार्य प्राथमिकता पर है तो देरी क्यों ? सरकारी खजाने में विस्थापन प्रक्रिया के लिए कोष जमा है फिर ढिलाई क्यों ? प्रत्येक परिवार को

10 लाख की रकम देने की सरकारी घोषणा को दो वर्ष का समय हो चुका है। जबकि दोनों सरकारों को मालूम है कि सरिस्का से गांव का पुनर्विस्थापित किया जाना जरूरी है। समय तेजी से आगे बढ़ रहा है। पैसे का मूल्य घट रहा है। विस्थापन की प्रक्रिया शून्यता की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। समय के साथ-साथ जो भी आज की तारीख में विस्थापन के लिए धन राशि उपलब्ध है वह दो चार साल में बहुत कम दिखाई देगी। उधर वनवासियों की जनसंख्या में वृद्धि होगी तो दूसरी समस्याएं खड़ी हो जायेंगी।

सरकार नहीं जानती कि क्या करना चाहिए ? सरकारी तंत्र को सरिस्का अभयारण्य में वनवासियों का रहना वन्यजीवों के लिए एक अभिशाप लगता है तो सबसे पहले उस अभिशाप का ही इलाज क्यों न किया जाए, जिससे जंगल को हर प्रकार से नुकसान पहुंचा है। जिसने जंगल और जंगली जीवों को नष्ट किया है तो ऐसे नाशकर्ता को सबसे पहले वन से विस्थापन करना ही चाहिए था, लेकिन अभी ऐसी कोई प्रक्रिया दिखाई नहीं दे रही है। बस एक छोटे से गांव भगाणी की विस्थापित करके इतिश्री कर ली और बाघ के लिए वातावरण तैयार कर दिया।

सवाल उठता है कि क्या यह सही प्रक्रिया है ? क्या बाघ ऐसे वातावरण में महफूज रह पायेगा ? अगर सरकार बाघ और वनवासियों के पुनर्वास के लिए चिन्तित दिखाई देती है तो पहले सरिस्का के वनवासियों को विस्थापित करके ही बाघ को सरिस्का में लाना चाहिए था। अगर सरकारी तंत्र सरिस्का में मानवीय दखल को वन्यजीवों की स्वच्छंदता में समस्या मान रहा है तो अभी बाघ के लिये सरिस्का का वातावरण अनुकूल नहीं है। समस्या ज्यों की त्यों है।

सरिस्का में बाघ का विस्थापन पर्यटन की दृष्टि रखते हुए करना है तो बात दूसरी है। अगर वास्तव में सरकार को चिन्ता वन्य जीवों के संरक्षण के लिए है तो पहले सरिस्का को मानवीय दखल से बचाने के उपायों को राजनैतिक दृष्टि से हल करना चाहिए। क्योंकि सरिस्का को मानवीय दखल से मुक्त कराने में सबसे बड़ी बाधा क्षेत्रीय राजनीतिज्ञों की संकुचित सोच है, जिससे सरिस्का अभयारण्य को हर प्रकार से नुकसान पहुंचता है। सरिस्का के आसपास सभी राजनीतिक नुमाइन्दों का यह कर्तव्य बनता है कि वह प्रकृति की अनुपम धरोहर को संरक्षित करने के लिए क्षेत्रीय जनता में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वातावरण बनायें। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य को भय मुक्त 'अभय' प्रदान करें।

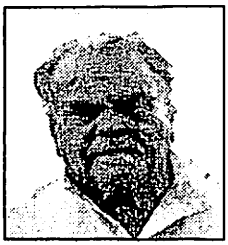

वी.डी. शर्मा
पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक

बाघों का अवैज्ञानिक पुनर्वास

भारत में प्रोजेक्ट टाईगर के माध्यम से बाघ की संख्या बढ़ाने का वादा किया गया था। इस पूरी योजना का जो हश्र हुआ वह किसी से छुपा नहीं है । हजारों करोड़ रुपये लगाने के पश्चात भी बाघों की संख्या में लगातार कमी आ रही है । सरिस्का जहां से बाघ विलुप्त हो चुके थे। उसे दोबारा आबाद करने की कोशिश भी अवैज्ञानिक सिद्ध हो रही है । बाघों के पुनर्वास में बरती जाने वाली सावधानियों को समझाता आलेख।

चार वर्षो के लम्बे अंतराल के बाद सरिस्का पुन: अपने यहां बाघों की चहल-पहल देख रहा है । रणथम्भौर से बाघ का एक जोड़ा यहां लाकर छोड़ा गया है । तीन अन्य बाघों को भी शीघ्र ही यहां भेजा जायेगा । आजादी के बाद से यह पहला मौका है जब बाघ प्रजाति के किसी जानवर को इस तरह किसी अन्य वन में ले जाकर छोड़ा गया है । इस परियोजना में राजस्थान के वन विभाग, भारत सरकार और वन्यजीव संस्थान का सहयोग रहा है । सरिस्का का यह प्रयोग अगर सफल रहता है तो इससे बाघों की मौजूदा छोटी जनसंख्या के आनुवांशिक प्रबंधन को भी दिशा मिल जाएगी ।

पिछले कुछ दशकों में बाघ अभयारण्यों के आसपास रिहायशी और खेतिहर गतिविधियों में बहुत बढोत्तरी हुई है जिसकी वजह से अभयारण्य एक-दूसरे से पूरी तरह कट गए हैं अतएव सिंह प्रजाति के लिए स्थान परिवर्तन की संभावनाएं खत्म सी हो गई हैं। अभयारण्य के बाघों की कम जनसंख्या की वजह से आनुवांशिक अलगाव की परिणति अन्त:प्रजनन में होगी । इस वजह से बाघ प्रजाति में शारीरिक असमान्यताएं भी दिखाई दे सकती हैं। इसके परिणामस्वरूप नर में शुक्राणुओं की कमी और मादा में गर्भाधान विकार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आवाजाही की समस्याएं भारत के रणथम्भौर जैसे कई बाघ अभयारण्यों में आज भी विद्यमान हैं।

रणथम्भोर को छोड़कर आसपास के कैवलादेवी 'करौली' , रामगढ़, 'बूंदी ' दुर्रा 'कोटा' और भैनसरोरगढ़ चितौड़गढ़ जैसे अभयारण्यों की ओर बाघों की आवाजाही की कोई उम्मीद नहीं है ।

रणथम्भोर में भी ज्यादा बाघ नहीं हैं । यहां 1973 में प्रोजेक्ट टाईगर प्रारंभ करते समय वन-विभाग ने इनका आंकड़ा 13 बताया था । इन 35 सालों में यह संख्या घटती-बढ़ती रही है। रणथम्भौर में बाघ की मौजूदा आबादी इन्हीं 13 मूल निवासियों की संतति हैं अत: इनमें अन्त:प्रजनन की प्रबल संभावना है। अतएव विस्तृत अध्ययन की दरकार है।

सरिस्का में स्थानीय प्रजाति का वंश विषयक अध्ययन हो पाता, इसके पूर्व ही वहां से बाघ विलुप्त हो चुके थे । सरिस्का की इस बाघ बसावट को अब नई वंश विषयक विधिता की आवश्यकता है। जानवरों के हित में इस दिशा में कार्य होना चाहिए। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इस दिशा में महत्वपूर्ण आयामों की उपेक्षा की गई है। समाचार- पत्रों से छपी रिपोर्ट्स से पता चलता है कि सरिस्का में रणथम्भौर से 3 से 5 बाघ लाकर छोड़ने की योजना है। अगर यह सच है तो यह एक ठोस प्रस्ताव नहीं है। अभी तक यह सुनने में नहीं आया है कि किसी अन्य अभयारण्य से भी बाघ लाकर यहां छोड़ने की योजना है ? क्या रणथम्भौर से कुछ बाघों को लाकर यहां बसा देने से हम अंत:प्रजनन की समस्या जो रणथम्भौर में पहले ही विकराल रूप ले चुकी है। इसमें और इजाफा नहीं करेंगे ? क्या यह संभव है कि हम देश के किसी अन्य हिस्से में स्थित बाघ केंद्रित राष्ट्रीय योजना से कुछ युवा बाघों को सरिस्का में बसाएं ।

बाघों की पुनर्बसावट के लिए अग्रिम योजना के साथ ही वर्षों का मैदानी अध्ययन और उसके पश्चात् लम्बे समय तक लगातार निरीक्षण की आवश्यकता होती है। दूसरी जगह छोड़े जाने के पूर्व हर बाघ की व्यक्तिगत रूप से पहचान कर उनका शारीरिक और चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना होता है। उनके व्यवहार पर भी वर्षों नजर रखकर ही उन्हें नए अभयारण्य में बसाया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से सरिस्का में ऐसा नहीं हो रहा है। निर्णय लेने वाले अफसरान लोकप्रियता बटोरने की जल्दी में हैं । जिस मादा बाघ को रणथम्भौर से पकड़ा गया है उसे तो पूर्व में कभी रेडियो कॉलर भी नहीं लगाया गया था, ऐसे में पूर्व अध्ययन की अपेक्षा ही व्यर्थ है।

सरिस्का भेजे जाने वाले बाघों की खोज के दौरान इस मादा बाघ पर अधिकारियों की नजर पड़ गई और इसे चुन लिया गया। किसी ने यह भी देखने की कोशिश नहीं की कि वह गर्भवती तो नहीं थी। अथवा उसके बच्चे तो छोटे नहीं थे ? दोनों में से किसी भी परिस्थिति में बच्चों के बचने की संभावना को गहरी चोट पहुंचेगी।

दूसरे अभयारण्य में छोड़े जाते समय मौसम का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। समझ नहीं क्यों चुना गया ? ऐसे में रेडियो कॉलर ही काम करना बंद कर दे तो बाघों की स्थिति ज्ञात कर पाना भी बहुत कठिन होगा। सरिस्का में घनी वनस्पतियां हैं एवं भूमि भी बड़ी-बड़ी घास से पटी पड़ी है। किसी बाघ पर वहां नजर रख पाना बहुत कठिन है। पैरों के निशान भी वहां मुश्किल से ही दिखाई देते हैं।

बाघ छोड़े जाने के पूर्व की मैदानी तैयारियों की भी कोई जानकारी नहीं है। मादा के पहले नर बाघ को विचरण का क्षेत्रफल बहुत सीमित होता है अत: एक बार वह वहां कुछ समय बिता लेती, फिर नर को छोड़ा जाना चाहिए था। हाल ही में पता चला है कि नर भटकते हुए जंगल में दूर निकल गया है। जब मामला बाघों के संरक्षण से जुड़ा हो तो ऐसी भूल क्षमायोग्य नहीं मानी जाएगी।

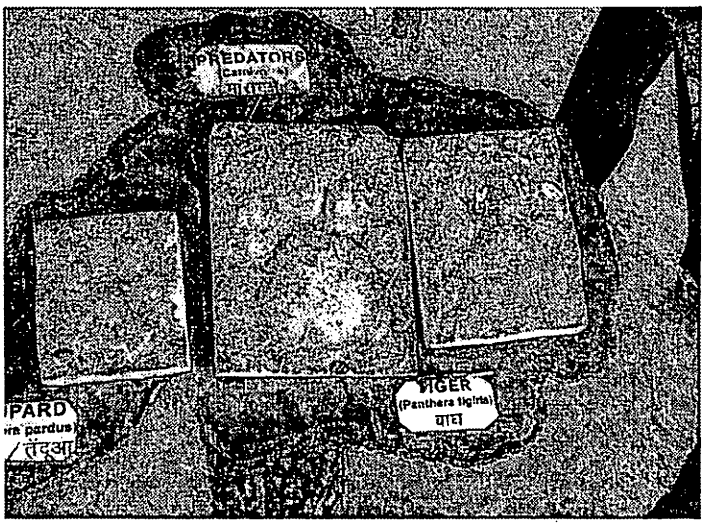

क्या नहीं रहे बाघ ?

यह जंगल बरसों से शिकारियों के निशाने पर रहा है। नवम्बर 2004 आते-आते तो यहां बाघ बिल्कुल नहीं रहे। बाघों की गणना में उतार-चढ़ाव के आंकड़े खुद इस परियोजना में बाघों की दुर्दशा की दास्तां बयां करते हैं।

आज भी हर एक से दिलो-दिमाग में यह सवाल गूंज रहा है - 'आखिर सरिस्का में बाघों का सफाया क्यों हुआ ?' इसके जवाब अनेक हैं। बड़ा कारण खोजें तो पाएंगे कि इस बाघ परियोजना का प्रबंधन बरसों तक फर्जी आंकड़ों के जरिए वास्तविकता को छिपाता रहा। जब सरिस्का में बाघों की वास्तविक संख्या 6-8 थी, तो वन्यजीवों की गणना में बाघों के आंकड़े बताए गए तीस। सरिस्का का लचर इंतजाम और लापरवाही भी इसके लिए जिम्मेदार रही। सरिस्का और इसके आसपास के कुछ ग्रामीण जानते थे कि वे बगैर किसी खौफ के कुछ भी कर सकते हैं। यहां तक कि उन्हें सरिस्का के लचर स्टाफ से कोई चुनौती भी नहीं मिलेगी। इस तरह यह जंगल अंतराष्ट्रीय गिरोह से संबंध रखने वाले शिकारियों का अड्डा बन गया। कोर क्षेत्र में गांवों का रहना भी सरिस्का के लिए मुसीबत बन कर सामने आया है।

स्टेट एंपावर्ड कमेटी ने विस्थापन के लिए जो गांव चिह्नित किए हैं , उनमें भगाणी, कांकवाड़ी, ऊमरी, और किरास्का प्राथमिकता पर हैं। नवंबर 2007 में भगाणी गांव का सरिस्का से करीब सौ किलोमीटर दूर अलवर-बहरोड मार्ग पर विस्थापन कर दिया गया। सरिस्का में बाघों की बेहतर वापसी के लिए दूसरी बड़ी जरूरत इस बाघ परियोजना से गुजरने वाले दो मार्गों को बदलने की है। सरिस्का - काली घाटी - टहला मार्ग को बिना किसी देरी के बंद कर देना चाहिए। साथ ही अलवर - सरिस्का-थानागाजी मार्ग को कुशलगढ़ से तालवृक्ष-नारायणपुर और घटाबांदरोल होते हुए शाहपुरा से जोड़ देना चाहिए।

आंकड़ों का शिकार बाघ

सरिस्का में बाघ आकड़ों के जाल में फस कर चला गया। ऐसा नहीं है कि इस सब की भनक जंगलात विभाग को नहीं लग पाई और बाघ सरिस्का के जंगलों से विलुप्त हो गया। बाघों के गायब होने और अवैध शिकार पर वर्ष 2003 में काफी हल्ला मचा था लेकिन प्रशासनिक स्तर पर उसे दबाया गया। किसी प्रकार की जांच पड़ताल भी नहीं की गई। बल्कि उसे प्रचारित-प्रसारित और कुशल प्रबन्धन का परिणाम माना गया। राजस्थान पत्रिका में दिनांक 23 जुलाई 2003 के अंक में छपे राज्य भर के आंकड़ों लेकर एक शंका व्यक्त की गई थी। उसी से अन्दाज लगाया जा सकता है कि सरकार और प्रशासन का गठजोड़ कितना सशक्त है। मनगढ़न्त आंकड़े गढ़ कर राज्यभर के वन्यजीवों की स्थति को सार्वजनिक स्तर पर बताने का प्रयास किया जाता है।

राजस्थान पत्रिका 23 जुलाई 2003 के अंक से साभार

मांसाहारी और शाकाहारी जानवरों की गणना में विरोधाभास - बात हजम नहीं हुई। 'एक शंका'

वन विभाग ने राज्य में वन्यजीव गणना के जो आंकड़े जारी किए हैं, उससे जन्तु शास्त्र के मूलभूत नियमों की ही धज्जियां उड़ गई। विभाग ने जो आंकडे दिये उसके मुताबिक राज्य के जंगलों में एक ओर जहां मांसाहारी जानवरों में इजाफा हुआ है वहीं घास-फूस पर पलने वाले जानवरों की संख्या में भारी इजाफा होना बताया गया है। परस्पर विरोधाभासी होने के कारण विभाग की ओर से जारी ये आंकड़े किसी के गले नहीं उतर रहे हैं।

राज्य में दो बाघ परियोजना क्षेत्रों रणथम्भौर और सरिस्का समेत 23 अभयारण्यों में वन्यजीव गणना का काम मई में करवाया गया था। गणना के अनुसार राज्य में कुल बाघों की संख्या 71 तथा बघेरों की संख्या 550 से 600 के करीब बताई गई। जबकि पिछले साल 66 बाघों के होने की जानकारी मिली थी। इसी तरह से बघेरों का आंकड़ा भी 500 से नीचे था। राज्य के जंगलों में जिस तरह से मांसभक्षी जानवरों की संख्या में इजाफा बताया गया है, शाकाहारी जानवरों की संख्या उसी अनुपात में कम होनी चाहिए थी। विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें शाकाहारी जानवरों की संख्या में भी भारी वृद्धि बताई गई है। एक मोटे

अनुमान के तहत एक बाघ एक माह में दस के करीब शाकाहारी जानवरों को अपना शिकार बनाता है। इसी तरह एक बघेरा एक माह में चार से पांच जानवरों को खा कर पेट भरता है। इस लिहाज से 45 से 50 हजार जानवर शिकार के लिए होने चाहिए। यदि गणना में बताए अनुसार बाघ -बघेरे मौजूद हों तो राज्य में शाकाहारी जानवरों की संख्या लाखों में होनी चाहिए।

इस बार भारी अकाल के कारण राज्य के जंगलों में चारे और पानी की समस्या के चलते बहुत से जानवरों की असमय मौत हो गई थी। इस हालात में वन्यजीवों की संख्या बढ़ने की बात वन्यजीव विशेषज्ञों के गले नहीं उतर रही है। जबकि वन राज्यमंत्री बीना काक ने दावा किया कि इन आंकड़ों में हेरफेर की गुजाइश नहीं है । उन्होंने कहा कि जंगलों में व्यवस्था अच्छी होने के कारण शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। विभाग के अनुसार रणथम्भौर नेशनल पार्क में 35 से 39 और इसी से सटे हुए केवलादेवी अभयारण्य में 4 से 5 बाघ होने का पता चला है। जबकि सरिस्का में 21 से 25 बाघों के होने का आकलन किया गया है। इसी तरह राज्य के जंगलों में 550 से 600 के करीब बघेरों के होने की बात कही गई है। सबसे अधिक कुम्भलगढ़ में 75 से 85 बघेरे होने का आकलन किया गया है। दूसरे नंबर पर सरिस्का एवं वन विहार धौलपुर में 55 से 65 के करीब बघेरे होने की बात कही गई है। गणना में चीतल - 16146, सांभर -15244, चिंकारा-3774, रोजड़ा-17125, जंगली सूअर- 9492, भालू-559, जरख- 1305, सियार- 4385, सारस- 109, गिद्ध - 9732, काला हिरण- 288, गोडावण 84, जंगली बिल्ली -884 और मोर 17869 होने की जानकारी मिली है।

सरिस्का अभयारण्य के प्रबन्धन व्यवस्था की जानकारी प्रपत्र के अनुसार सुव्यवस्थित बताई गई है। जिसका विवरण निम्नवत है।

परियोजना क्षेत्र को प्रबन्ध की दृष्टि से चार रेंजों में बांटा गया है। सरिस्का टहला, अकबरपुर एवं तालवृक्ष इन चारों रेंजों के मुख्यालय हैं। रेंजों के प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी होते हैं। इनके अधीन नाकों के प्रभारी वनपाल तथा बीटों के प्रभारी वनरक्षक या टेकर हैं। इनके अतिरिक्त एक गश्ती दल भी उपलब्ध है जिसका मुख्यालय सरिस्का है। यहां पर एक सहायक क्षेत्र निदेशक के निर्देशानुसार कार्य करता है। परियोजना प्रबन्ध की मुख्य जिम्मेदारियां हैं वन एवं वन्यजीव सुरक्षा

आश्रय स्थल में सुधार , अवैध शिकार, चोरी पर नियन्त्रण, वन्यजीवों को पीने के लिए पानी व नमक उपलब्ध कराना एवं पर्यटकों की सुविधाओं व उनकी गतिविधियों पर नजर रखना। वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद एवं सजग रखने के लिए परियोजना क्षेत्र में वायरलैस सुविधा उपलब्ध है जिसके जरिए दूरस्थ हिस्सों से बराबर सम्पर्क बना रहता है। परियोजना क्षेत्र में वन्यजीवों को पानी उपलब्ध कराने के उदेश्य से विभिन्न क्षेत्रों में एनीकट व जोहड़ बनाये गये हैं। इन एनीकट व जोहड़ों में एकत्रित पानी से भू-जल स्तर भी ऊपर आया है।

वन्यजीव गणना - अभयवन में जीवों की संख्या जानने के लिए गर्मियों के दौरान पानी के कुण्डों पर गोपन लगाकर उनकी गणना की जाती है। उक्त गणना प्रशासनिक व्यवस्था के लिए सदैव महत्वपूर्ण रहती है। 1995 में की गई गणना के अनुसार बाघ 25, तथा 1997 में बाघ 24 , सन 1999 की मई माह में की गई गणना के अनुसार सरिस्का में 25 से 28 बाघ , जबकि वर्ष 2003 में सरिस्का में 21 से 25 बाघों के होने का आकलन किया गया है। वर्ष 2004 आते - जाते सरिस्का के बाघ विलुप्त हो गये। विशेषज्ञों द्वारा जो शंका पैदा की गई थी उसे सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था ने दरकिनार कर दिया था। सरिस्का में कितने बाघ थे ? इसकी सही जानकारी किसी के पास नहीं है। सभी अधिकारियों ने अपने वजूद को सुरक्षित रखते हुए आकड़े गढ़ते रहे और बाघ विलुप्त होते रहे। आखिर तक दबाए रखा। जैसा कि जांच के दौरान मालूम हुआ। अभयारण्य की सुरक्षा व्यवस्था माकूल होते हुए भी सरिस्का का बाघ आंकड़ों का शिकार हो गया।

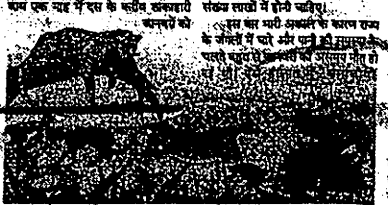

मांसाहारी और शाकाहारी जानवरों की गणना में विरोधाभास

बात हजम नहीं हुई

जयपुर, 22 जुलाई

वनवासी और विस्थापन

वनवासी का विस्थापन वर्तमान की समस्या नहीं है। यह सैकड़ों सालों से बनी हुई है। जबकि वनवासी सदियों से वनों में ही रहते आ रहे हैं। वही उनकी जन्मभूमि, कर्मभूमि और मोक्ष भूमि रही है। हमारे देश में बहुत सी जाति के लोग वनों में रहते आये हैं जिनमें आदिवासी की विभिन्न जातियों के लोग हैं। जिन्हें सदियों से वनों ने अपने संरक्षण में जन्मा और पालन-पोषण किया और अन्तिम सांसों का साक्षी भी वन ही रहा है। जब से जंगल और जंगल भूमि पर लोगों की नजर में लालच बढ़ता गया। वन और वनभूमि सिमटते गये, जिसका दुष्प्रभाव वन जीवन कष्टदायी बनता गया। वन, वनभूमि, वन्यजीव और वनवासी सभी का जीवन एक साथ नष्ट होता गया। वनवासियों का जीवन देश में बाहरी आक्रमणों के कारण भी बहुत प्रभावित रहा है।

अंग्रेजों के शासनकाल में तो वन जीवन सबसे अधिक प्रभावित रहा जिसमें वन, वनभूमि, वन्यजीव और वनवासी लोग थे। अंग्रेज मूलतः व्यापारी थे। उन्होंने भारत के शासन तंत्र को भी अपने कब्जे में कर लिया और देश की प्राकृतिक संपदा के भी स्वतः ही मालिक बन बैठे थे। अंग्रेजों की व्यापारिक दृष्टि और लालच प्रवृत्ति के कारण भारत के वन क्षेत्रों का दोहन अधिक तेजी से हुआ। वनवासियों ने देश के सभी हिस्सों में अपनी स्वतंत्र जीवनशैली के लिए अंग्रेजों, अमीरों और जमींदारों से सतत संघर्ष करते-करते आजादी तक का समय दोहरी गुलामी में बिताया। तरह-तरह के कानून-कायदे बना कर वनवासी को पलायनकर्ता बना दिया, जिससे वन और वनजीवन नष्ट होता गया।

देश आजाद हुआ, नये कानून बने। वनवासी को उसकी जन्मस्थली से बेदखल किया जाने लगा और बचे वन क्षेत्रों को संरक्षित घोषित किया गया। देश की प्राकृतिक संपदा के संरक्षण में तो यह सब अच्छा ही था। जहाँ कहीं वनक्षेत्र बचे

थे, उन्हें तरह-तरह के नये कानून बना कर संरक्षण दिया गया। मंत्रालय और विभाग बनाए गये। मंत्री, सचिव, अधिकारी, कर्मचारी, चपरासी, थानेदार, हवलदार, और पहरेदार की एक बड़ी फौज तैयार कर वन सुरक्षा में लगाए गये। लेकिन हमारी बदली मानसिकता के कारण वन और वनजीवन प्रभावित ही रहा। कानून बने परन्तु कानूनों की पालना नहीं हुई। आजादी के बाद तो और भी दुष्प्रभाव देखने को मिले लेकिन अब हमारा देश आजाद था। इसको संवारना-बिगाड़ना हमारी जिम्मेदारी थी। जैसा बर्ताव हमने वनों के साथ में किया वैसा ही हमें फल मिलता रहा। जिसके लिए वन थे वहीं खत्म होते दिखाई दिये। यह सब हमारी आजादी के बाद भी जारी रहा।

आजादी के 60 साल बाद भी हमारे कानून प्रभावी दिखाई नहीं दिये और देखते-देखते वन और वनजीवन खत्म से हो गये। प्रकृति चक्र में बहुत बड़ी घटना घटित होती रही है, जीव जगत की जाति प्रजातियां ही लुप्त हो जाती हैं। वह सब प्रकृति द्वारा ही होता है। लेकिन मनुष्य की लालची प्रवृत्ति के कारण भी प्रकृति को भारी क्षति होती है। जहाँ वन व वन्य जीवों की जाति प्रजाति को जानबूझ कर नष्ट किया जा रहा हो, इससे अधिक बुरा और क्या होगा ?

विस्थापन का विरोधाभास

जनवरी 11, 2008 को सरिस्का के गांव विस्थापन की मीटिंग में एक बात और सामने आई कि सरिस्का के आसपास अलवर रोड पर बड़े-बड़े फार्म बने हुए हैं। अब फार्म मालिक अपने-अपने फार्मों को कॉमर्शियल रूप देना चाहते हैं। इस बात का आशय जिलाधीश अलवर ने दिया। उनके विचार से यह फार्म मालिक अपनी-अपनी जमीनों पर बड़े-बड़े कालेज, प्रशिक्षण संस्थान, होटल, मॉल जैसी गतिविधियां करते हैं, तो उससे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा, शिक्षा का विस्तार होगा, सरिस्का पर वन कटाव का दबाव कम होगा आदि तर्क दिये। इसकी पुष्टि किसी और ने नहीं की बल्कि अभयारण्य के क्षेत्रीय निदेशक ने की थी। मीटिंग विस्थापित होने वाले गांव के संबंध में थी जो सरिस्का की सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य था। फिर मीटिंग में फार्म मालिक क्यों बुलाये गए ? जबकि सभी को मालूम है कि सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र की सीमा से पांच कि.मी. की परिधि में विकास के नाम पर किसी प्रकार की गतिविधियां नहीं की जा सकतीं, फिर ऐसे विचार क्यों आगे आते हैं ? संस्था के सदस्य जगदीश गुर्जर ने सचेत भी किया था कि इस प्रकार से सरिस्का के ऊपर चारों तरफ से दबाव बढ़ जायेगा।

विकास के नाम पर वन क्षेत्रों की जमीन पर व्यवसायी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। उन्हें और कोई नही बढ़ा रहा है बल्कि सरकारी तंत्र ही उनकी पहल कर रहा है। सरकारी जमीन पर एक बार किसी भी व्यवसायी या उद्योगपति का अधिग्रहण हो जाता है, ऐसी स्थति में उसे देश में बने कानून भी न तो बचा सकते हैं और न ही पूर्व स्थिति में कर सकते हैं। हमारे सामने ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जहां अभयारण्यों की जमीन पर गैर कानूनी कब्जा कर विकास के नाम पर व्यवसायी गतिविधियां चलाई जा रही हैं। यह सब सरिस्का के बाहरी क्षेत्र के उदाहरणों से स्पष्ट समझा जा सकता है।

सरिस्का अभयारण्य के बाहरी क्षेत्र में रियासतकालीन अलवर घराने की कोठी थी जिसे दिल्ली के व्यवसायी ने खरीद लिया। उसमें फाइव स्टार होटल की गतिविधि शुरू की गई। होटल मालिक के अधिग्रहण क्षेत्र में कोठी क्षेत्र की ही जमीन थी। लेकिन उसने कोठी के आसपास की पहाड़ियों पर भी अपना अधिकार जताया। इसे लेकर जंगलात विभाग और होटल मालिक के बीच पहले आपसी बातचीत चली होगी, लेकिन उससे जब बात नहीं बनी तो जंगलात के अधिकारी कानून के सहारे अभयारण्य की पहाड़ियों को बचाने की प्रक्रिया में लगे। अभयारण्य की पहाड़ियों को बचाने की पैरवी उच्च न्यायालय में पहुंची। वन क्षेत्र के बने कानून व्यवसायी के अधिग्रहण की पकड़ के आगे असहाय ही नजर आए। अब कानूनी रूप से भी होटल मालिक का अभयारण्य की जमीन पर कब्जा हो गया था। ऐसा ही राज्य के अन्य अभयारण्यों का हाल है। राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य रणथम्भोर का तो और भी बुरा हाल है। अब वही हाल सरिस्का अभयारण्य के बाहरी क्षेत्र में पनपने वाली व्यावसायिक गतिविधियों से सरिस्का की पहाड़ियों का होगा। विकास के नाम पर आरक्षित वन भूमि पर अधिग्रहण की संभावना बढ़ती जा रही है।

भारत सरकार

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

(प्रभाव निर्धारण प्रभाग)

सार्वजनिक सूचना

माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2004 की रिट पिटीशन नं. 460-गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ में अपने आदेश दिनांकित 4 दिसंबर, 2006 में अन्य बातों के साथ निर्देश दिया है कि एमओईएफ उन मामलों को, जहां पर्यावरणीय निस्तारण पहले प्रदान किए गए हैं जहां गतिविधियां अभयारण्य एवं राष्ट्रीय पार्कों की चारदीवारी के 10 किमी. जोन के अन्तर्गत है, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के सेक्शन 5(बी) एवं 5 (सी) (ii) के अन्तर्गत पुनरावलोकन हेतु राष्ट्रीय बोर्ड की स्थायी समिति को भी प्रस्तुत करेगा।

एमओईएफ द्वारा फरवरी, 2002 से दिसंबर, 2006 के दौरान कुछ शर्तें निर्धारित करके अनेक विकास संबंधी परियोजनाओं को पर्यावरणीय निस्तारण की स्वीकृति दी गई है। यदि ये प्रोजेक्ट अभयारण्य/राष्ट्रीय पार्कों के 10 किमी. जोन के अंदर आते हैं, तो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत आवश्यक निस्तारण प्राप्त करना चाहिए।

इस सार्वजनिक सूचना द्वारा सभी संबंधित को निर्देश दिया जाता है कि ये प्रोजेक्ट/ गतिविधियां, जो अभयारण्य एवं राष्ट्रीय पार्कों की चारदीवारी के 10 किमी. के अंदर स्थित हैं, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत निस्तारण (क्लीयरेंस) यदि यह अभी तक नहीं हुआ है, 31 जनवरी, 2009 तक वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत स्थापित स्थायी समिति को विवरण प्रस्तुत करके, मंत्रालय को सूचना हेतु प्रति के साथ, प्राप्त करेंगे।

(डॉ. पी.पी. रस्तोगी)
निदेशक

डीएवीपी 13101/11/0044/0809 फोन: 24367668

देश में प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा-सुरक्षा में बने कानूनों की पालना करना तो दूर उन्हें विकास के नाम पर तोड़ामरोड़ा जाता है। अगर जिलाधीश स्तर पर ऐसा होता है तो किसके पास आवाज पहुंचाएं ? ऐसी स्थति में प्राकृतिक संसाधनों की कैसे रक्षा होगी ? एक बड़ा प्रश्न समाज के सामने है। एक तरफ सरिस्का के वन्यजीवों के लिए अभयारण्य में सदियों से बसे गांव को समस्या मानते हैं तो दूसरी ओर विकास के नाम पर सरिस्का अभयारण्य की सीमा में कॉमर्शियल गतिविधियां चलाना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रकृति का विनाश ही दिखाई देता है। विकास का दानव गरीब को तो हर प्रकार से खत्म करके ही रहेगा। चाहे वह जंगल के बाहर हो या जंगल के भीतर। विकास के नुमाइंदों के हाथ इस समय बहुत लम्बे हैं। इनके आगे कानून और सरकार के हाथ बौने पड़ गए दिखाई देते हैं।

वनवासियों के पुनर्वास की प्रक्रिया

सरिस्का से विलुप्त बाघ ने जंगलवासियों का जीवन अशान्त कर दिया। वर्ष 2005 में बाघ के विलुप्त होने पर विभिन्न प्रकार से की गई छानबीन के दौरान निष्कर्ष यही निकला कि अब सरिस्का बाघ विहीन है। सरिस्का में फिर से बाघ की दहाड़ गूंजे उससे पहले सरिस्का के कोर क्षेत्रों में बसे गांव को हटाया जाये। सरिस्का में 26 गांव आबाद हैं। जिसकी जनसंख्या लगभग 15 हजार है। पन्द्रह हजार लोगों को उजाड़ना, नये बसेरे देना सरकार के लिए एक चुनौती है। फिर भी विस्थापन तो करना ही है। किस गांव को प्राथमिकता दें किसको न दें ? प्राथमिकता के आधार-बिन्दु किस प्रकार तैयार किये जाएं ? जिससे विस्थापन प्रक्रिया को सफलता के साथ पूरा किया जा सके। इन सब सवालों को लेकर गांव के बीच कैसे संवाद किया जाए, यह सब भी विस्थापन प्रक्रिया का सबसे बड़ा और कठिन कार्य था। विस्थापित होने वाले गांव के लोगों को किस प्रकार से विश्वास दिलाया जाए कि उन्हें जंगल से अधिक सुख सुविधाएं मिलेंगी। जंगल के जीवन से बाहर की दुनिया के दर्शन होंगे। जहां रोजगार के साधन और सभी सामाजिक जरूरत की सुख-सुविधाएं होंगी, जिससे आने वाली हमारी नई पीढ़ी का भविष्य उज्जवल होगा। ये सब बातें गांव के बीच में जाकर कैसे करें ?

तरुण भारत संघ के कार्यकर्ता इस कार्य में सहयोग करते हैं तो उन्हें सरकार की योजना के बारे में भी अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। आखिर सरकार का गांव विस्थापन का तरीका क्या होगा ? कौन से गांव को प्राथमिकता दी जायेगी? विस्थापन के पीछे गांव के लोगों का विकास संभव है या एक छलावा है। यह सब प्रश्न संस्था के पदाधिकारियों के सामने थे। इन सब सवालों को लेकर 24 अप्रैल 2006 को श्री वी.डी. शर्मा जी के साथ तरुण भारत संघ के पदाधिकारी कन्हैया लाल गुर्जर, जगदीश गुर्जर और कार्यकर्ता सतेन्द्र सिंह सरिस्का के अधिकारियों से मिले। अधिकारियों के साथ सभी सवालों पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने भी विस्थापन की पूरी प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया। प्रत्येक परिवार को कितनी और कैसी सुविधाएं मुहैया कराई जायेंगी और कैसे यह सब

किया जायेगा ? प्राथमिकता के आधार पर चार गांव को लिया गया था। ऊमरी, किरास्का, भगाणी, और कांकवाड़ी, इनमें भी सबसे पहले प्राथमिकता भगाणी और कांकवाड़ी गांव को विस्थापित करने की रही थी।

विस्थापित होने वाले लोगों में 21 वर्ष के युवा को एक परिवार इकाई माना गया था। जिसके लिए 6 बीघा खेती के लिए जमीन तथा घर के लिए छः सौ वर्ग मीटर जमीन, 2.5 लाख रुपये मकान बनाने के लिये, बिजली-पानी की सुविधाएं, स्कूल आदि की प्राथमिक सुविधाएं दी जाने वाली थीं। जमीन के लिए जिलाधीश अलवर ने वनभूमि में से कृषि की जमीन में बदलने की प्रक्रिया का भी जिक्र किया था। संस्था के जगदीश और कन्हैयालाल जी ने अपनी चिन्ता जाहिर की, कहा ऐसा न हो कि 1975 में विस्थापित लोग आज तक कहीं भी नहीं बसे जो सरिस्का के जंगल के लिए एक अभिशाप ही बन कर रह गये हैं। इस पर अधिकारियों ने अपनी तरफ से पूर्णत: स्पष्टता के साथ कार्य करने के लिए कहा था।

अधिकारियों के बताए अनुसार सभी संतुष्ट हुए। विस्थापन के कार्य में सरिस्का के अधिकारियों ने तरुण भारत संघ का सहयोग मांगा था। सभी ने पूरा सहयोग देने की बात कही थी। दो घंटे चली बैठक में विस्थापन के अलावा सरिस्का संरक्षण के विषय में अच्छी बातचीत हुई थी।

सरिस्का संरक्षण के लिए गठित समितियों में तरुण भारत संघ की सदस्यता

राज्य सरकार के आदेशानुसार वन मण्डल स्तरीय स्थाई क्रियान्वयन समिति का गठन

राज्य सरकार के आदेश क्रमांकः एफ/6(61) प्रसु/अनु.3/2004(3) दिनांक 10.11.04 की अनुपालना में इस वन मण्डल के अधीन वन विकास अभिकरणों एवं साझा वन प्रबन्ध को गति प्रदान करने के उद्देश्य से वन मण्डल स्तरीय स्थाई क्रियान्वयन समिति का गठन निम्न प्रकार किया गया :

क्र.सं.	उप वन संरक्षक	जयपुर (मध्य)	अध्यक्ष
1.	क्षेत्रीय वन अधिकारी,	जयपुर (प्रा.)	सदस्य
2.	”	आमेर	”

3.	,, ,,	रायसर	,,
4.	,, ,,	नाहरगढ़	,,
5.	,, ,,	नाहरगढ़	,,
6.	,, ,,	नाहरगढ़	,,
7.	,, ,,	अचरोल	,,
8.	अध्यक्ष ग्राम वन सुरक्षा समिति	भूरथल	,,
9.	,, ,,	रिसाणी	,,
10.	,, ,,	भानपुर कला	,,
11.	,, ,,	गुनावता	,,
12.	अध्यक्ष महिला उप समिति ग्रा.व.सु.स.	चिताणु	,,
13.	,, ,,	वीरासना	,,
14.	,, ,,	देव का हरमाड़ा	,,
15.	,, ,,	गुढ़नेवर	,,
16.	,, ,,	लांगड़ियावास	,,
17.	गैर सरकार संगठन (इब्राड)	जयपुर	,,
18.	पर्यावरण प्रहरी	,,	,,
19.	तरुण भारत संघ	,,	,,
20.	सहायक वन संरक्षक	जयपुर (मध्य)	,,

उक्त समिति की सूचना उप वन संरक्षक जयपुर के पत्रांक एफ ( ) विकास / उवसम /1846-70 दिनांक 25.2.05 से 02.03.2005 प्राप्त हुई थी। राज्य सरकार की वन मण्डल स्तरीय समिति में तरुण भारत संघ भी एक सदस्य है।

बाघ परियोजना सरिस्का में बसे गांव / गुवाड़ों के विस्थापन बाबत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन।

जिलाधीश अलवर की अध्यक्षता में एक बाघ परियोजना सरिस्का में बसे गांव / गुवाड़ों के विस्थापन बाबत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया। पत्र क्रमांक प-12-3/राज/विस्थापन/06/ दिनांक 01.02.2007 के द्वारा समिति सदस्य इस प्रकार थे -

1.	जिलाधीश	अध्यक्ष
2.	उप वन संरक्षक बाघ परियोजना सरिस्का	सचिव

3.	उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी, अलवर	सदस्य
4.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, अलवर	,,
5.	उपजिला मजिस्ट्रेट अलवर/राजगढ़/थानागाजी/ बहरोड/कठूमर/लक्ष्मणगढ़	,,
6.	तहसीलदार अलवर/राजगढ़/थानागाजी/बहरोड /कठूमर/लक्ष्मणगढ़	,,
7.	उपनिदेशक कृषि/पशु पालन, अलवर	,,
8.	उपनगर नियोजन, अलवर	,,
9.	प्रधान अलवर/राजगढ़/बहरोड	,,
10.	लीड बैंक अधिकारी पंजाब नेशनल बैंक, अलवर	,,
11.	जिला समाज कल्याण अधिकारी, अलवर	,,
12.	उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास, अलवर	,,
13.	मानद् वन्य जीव प्रतिपालक, अलवर	,,
14.	अति. वन्य जीव प्रतिपालक, अलवर	,,
15.	अध्यक्ष तरुण भारत संघ, भीकमपुरा	,,
16.	ई.डी.सी. अध्यक्ष ग्राम कांकवाड़ी/ऊमरी/भगाणी/किरास्का	,,
17.	अध्यक्ष महिला उपसमिति, ई.बी.सी. ग्राम कांकवाड़ी/ ऊमरी/भगाणी/किरास्का	,,

उप समिति के कार्य-कलाप निम्नांकित होंगे :

01. गांव के रिलोकेशन के संबंध में संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का अनुमोदन।
02. ग्रामीणों के द्वारा प्रस्तुत किये गये सुझावों एवं समस्याओं का यथासंभव समाधान कर निपटारा करना।
03. गांव के रिलोकेशन कार्यक्रमों का समय पर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना।
04. मास्टर प्लान तैयार कराकर उसके अनुसार गांव का विस्थापन करना।
05. विस्थापन के पश्चात गांव को मुख्य विकास धारा से जोड़ने के लिए प्रयास करना।

विस्थापन हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित जिला नियोजन एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक का आयोजन निम्न तिथियों में किया गया था जिसमें से कुछ का विवरण उदाहरणर्थ दिया है।

एजेण्डा-1

25 जुलाई, 2006 को सायं 4 बजे जिलाधीश के कक्ष में बैठक

बैठक का एजेण्डा निम्नवत था-

- बर्ड़ोद रूंध जहां विस्थापितों को बसाया जाना है, वहां पर खड़े पेड़-पौधों को जड़ से हटाने की कार्यवाही।
- विस्थापित किए जाने वाले गांव का वर्ष 2003 में कराये गये सर्वे के बारे में विचार-विमर्श कर अनुमोदन बाबत।
- पूर्व में विस्थापन हेतु वन विभाग से राजस्व विभाग को ग्राम सिरावाय, बांदीपुल एवं दुलावा में हस्तांतरित भूमि से आवंटन से शेष रही भूमि की वर्तमान वस्तुस्थिति की जानकारी बाबत।
- विस्थापन के लिए भूमि की पहचान कर विस्थापन हेतु आरक्षित करना।
- पूर्व में विस्थापितों के नामान्तरण खोलने आदि की समस्या के बारे में विचार-विमर्श करना।
- राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पैकेज दि. 2 नवम्बर, 2002 के अनुसार विस्थापन का व्यावहारिक प्लान तैयार करने बाबत।
- विस्थापन हेतु ग्रामीणों की सहमति प्राप्त करने/ग्रामीणों से एग्रीमेंट करने आदि के बारे में चर्चा करना।
- बर्ड़ोद रूंध की विस्थापन करने वाली भूमि पर टाउन प्लानिंग, विभाग द्वारा प्लानिंग/नक्शा तैयार कराने बाबत विचार-विमर्श करना।

एजेण्डा-2

3 फरवरी, 2007 को सायं 4.00 बजे जिलाधीश कक्ष में बैठक

बैठक का एजेण्डा निम्नवत था-

- विस्थापन के संबंध में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा।
- विस्थापन स्थल बर्ड़ोद रूंध पर सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में विभिन्न विभागों से सहयोग लेने के संबंध में चर्चा करना।
- पीने के पानी की सुविधा के लिए जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की भागीदारी तय करना।
- रिलोकेशन स्थल पर बसाई जाने वाली कॉलोनी में रोड एवं कम्युनिटी हाल बनाने के संदर्भ में सार्वजनिक निर्माण विभाग की भागीदारी तय करना। इस

कार्य को अन्य योजनाओं के माध्यम से कराना अथवा डिनोटीफिकेशन कराने के बारे में चर्चा करना।

- नये स्थल पर विद्युत लाइन पहुँचाने के लिए विद्युत विभाग की जिम्मेदारी तय करना।
- टाइम लाइन चार्ट कार्यक्रम पर विचार कर इसके अनुसार गतिविधियाँ सम्पन्न करने के बारे में चर्चा करना।
- केन्द्र सरकार से बजट प्राप्त होते ही ग्रामीणों से विस्थापन मुआवजा वितरण करने के बारे में चर्चा करना।
- उप नगर नियोजन, अलवर से ले-आउट प्लान प्राप्त कर विचार-विमर्श करना।
- बर्ड़ोद रूंध में खड़े जूलीफ्लोरा को त्वरित उखाड़ कर जमीन समतल कराकर भूखण्ड आवंटन कराने की प्रक्रिया पर चर्चा करना।
- बान्दीपुल, दुलावा एवं सिरावास में विस्थापन हेतु वन विभाग से राजस्व विभाग को हस्तान्तरित भूमि (वर्ष 1976) में आवंटन से अवशेष रही भूमि के बारे में चर्चा करना।

एजेण्डा-3

3 मई, 2007 को सायं 4.00 बजे जिलाधीश के कक्ष में बैठक

एजेण्डा निम्नवत था-

- विस्थापन स्थल पर बसाने की प्रक्रिया आरम्भ कराने के संबंध में ग्रामीणों से चर्चा करना।
- ई. डी. सी. भगाणी द्वारा आवासीय एवं कृषि भूमि आवंटन का अनुमोदन करना।
- विस्थापन स्थल पर कराये जाने वाले विकास कार्यों को डिनोटीफिकेशन कराने के बारे में चर्चा करना।
- अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

कार्यवाही विवरण (1)

11 दिसम्बर, 2006 को सायं 4 बजे जिलाधीश के कक्ष में बैठक के एजेण्डानुसार कार्यवाही इस प्रकार थी :

उप वन संरक्षक, बाघ परियोजना सरिस्का द्वारा विस्थापन के संबंध में अब तक हुई प्रगति के बारे में सदस्यों को बताया। जिलाधीश ने बताया कि विस्थापन के संबंध में अभी बहुत सारे कार्य किये जाने हैं, इन्हें शीघ्र किया जावे , जिससे ग्रामीणों

को विस्थापन प्रक्रिया में विश्वास कायम हो सके। विस्थापन के संबंध में हमारा पुराना अनुभव सुखद नहीं रहा है, अब इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने दी जावेगी।

बर्ड़ोद रूंध में जूलीफलोरा उखाड़ने के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। उप वन संरक्षक अलवर ने बताया कि जूलीफलोरा उखाड़ने के लिए जारी की गई निविदा में अधिकतम निविदादाता द्वारा बैक आउट हो जाने के कारण द्वितीय निविदादाता से दि. 23.11.06 को नेगोसिएशन किया गया था। परन्तु द्वितीय निविदादाता भी अब कार्य के लिए उपस्थित नहीं हो पा रहा है। जूलीफलोरा उखाड़ने में विलम्ब होने से टाइम चार्ट के अनुसार तय की गई अन्य गतिविधियां भी विलम्बित हो जाएंगी। अतः जूलीफलोरा उखाड़ने की कार्यवाही को त्वरित रूप से सम्पन्न किया जाना है। जिलाधीश ने निर्देशित किया कि ठेकेदार की अमानत राशि जब्त कर पुनः निविदा जारी करने की कार्यवाही शीघ्र आरम्भ करें। 20 दिसम्बर तक निविदा जारी करने के निर्देश दिये।

विभिन्न विभागों द्वारा विस्थापन प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने के बारे में चर्चा की गई। पी.डब्ल्यू.डी. विभाग द्वारा भवन कार्यों संबंधी डिजाइन एवं एस्टीमेट प्राप्त हो चुके हैं और पी.ए.एच.ई.डी. से पीने के पानी के संबंध में डिजाइन एवं एस्टीमेट प्राप्त हो चुके हैं। ग्रामीणों को पीने का पानी उपलब्ध कराना परम आवश्यक है। पी.एच.ई.डी. के माध्यम से ग्रामीणों को पीने के पानी की सुविधा स्वजल धारा योजना के तहत उपलब्ध कराने के बारे में चर्चा हुई। शेष विभागों से इस बारे में चर्चा जूलीफलोरा उखाड़ने के बाद की जावेगी।

जिलाधीश ने ग्रामीणों को अपनी बात कहने के लिए प्रेरित किया

ई. डी. सी. अध्यक्ष भगाणी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा दिये जा रहे पैकेज पर भगाणी के समस्त ग्रामीण विस्थापन हेतु सहमत हैं। सभी ग्रामीणों ने अपनी लिखित सहमति दे दी है एवं अपना बचत खाता ग्रामीण बैंक, बहरोड शाखा में खुलवा देंगे। परन्तु इसमें विद्युत कनेक्शन के लिए हमें प्राथमिकता मिलनी आवश्यक है। इस संबंध में हम विद्युत विभाग के संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। इसमें प्रगति होने पर आपको अवगत करा दिया जावेगा।

सरिस्का बाघ परियोजना द्वारा बनाए गए ले-आउट प्लान को डी.टी.पी. से ले-आउट प्लान प्राप्त होने तक अनुमोदन किया गया।

ई.डी.सी. अध्यक्ष कांकवाड़ी ने बताया कि ग्राम कांकवाड़ी के कुछ लोग राज्य सरकार के इसी पैकेज पर विस्थापन हेतु सहमत हैं परन्तु कुछ लोग अधिक जमीन अधिक मुआवजा की मांग कर रहे हैं। इस पर जिलाधीश ने बताया कि अभी राज्य सरकार द्वारा जो पैकेज स्वीकृत है, उसके अनुसार आपको अधिकतम लाभान्वित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि केन्द्र सरकार से अधिक राशि प्राप्त होगी तो आपको उसी के अनुसार सुविधा राशि उपलब्ध करवा दी जावेगी। हमारा प्रयास आपको अच्छी से अच्छी सुविधा देने का रहेगा। परन्तु कृषि हेतु वर्तमान में दी जा रही 6 बीघा से अधिक भूमि दिया जाना संभव नहीं है। अतः राज्य सरकार के इसी पैकेज पर अपनी सहमति देवें ताकि आगे की कार्यवाही आरंभ हो सके।

ई.डी.सी. अध्यक्ष कांकवाड़ी एवं भगाणी ने निवेदन किया कि उनके परिवारों को बी.पी.एल. सूचीं में शामिल किया जावे। इस पर जिलाधीश ने उप जिलाधीश अलवर एवं राजगढ़ को निर्देश दिये कि विस्थापन किये जाने वाले गांवों को बी.पी.एल. सर्वे का फार्म ''बी'' शीघ्र भरवाने की कार्यवाही करें, यह कार्य 20 दिसम्बर तक पूर्ण कर लिया जावे।

ग्राम बान्दीपुल एवं दुलावा में पूर्व में विस्थापितों में से कुछ को खातेदारी हक न मिलने के बारे में चर्चा हुई। बांदीपुल, दुलावा के बारे में पूर्व में किये गये विस्थापित परिवारों के बारे में चर्चा हुई। बांदीपुल दुलावा के बारे में पूर्व में किये गये विस्थापित परिवारों को खातेदारी हक देने के संबंध में उप वन संरक्षक ने जिलाधीश को अवगत कराते हुए निवेदन किया कि इसका समाधान होने से विस्थापन प्रक्रिया में अच्छे संदेश जायेंगे। जिलाधीश ने निर्देश दिये कि पेड़ काटे बिना ही उनको खातेदारी देने के बारे में अति. जिलाधीश की अध्यक्षता में सहायक वन संरक्षक (विस्थापन), उप जिलाधीश थानागाजी तथा संबंधित अधिकारियों की एक बैठक 20 दिसम्बर तक की जाकर आवश्यक कार्यवाही करें तथा प्रगति से अवगत कराया जावे।

जिलाधीश ने निर्देश दिये कि कांकवाड़ी में सभी लोगों ने अपनी सहमति नहीं दी है। अतः गांव वालों से इसी सप्ताह में एक बैठक का आयोजन कर सहमति प्राप्त की जावे।

ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच राजौरगढ़ द्वारा ग्रामीणों को भ्रमित किया जा रहा है। सरपंच को यह आदेश है कि ये गांव विस्थापित हो जाने से पंचायत टूट

जायेगी। इस पर जिलाधीश ने एस.डी.एम. राजगढ़ को यह निर्देश दिये कि सरपंच को बुलाकर समझाइश करें।

कार्यवाही विवरण (2)

3 फरवरी, 2007 को सायं 4 बजे जिलाधीश के कक्ष में बैठक के एजेण्डानुसार कार्यवाही इस प्रकार थी

सर्वप्रथम उप वन संरक्षक, बाघ परियोजना सरिस्का ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं ग्रामीणों का स्वागत किया एवं बैठक कार्यवाही आरम्भ की।

पूर्व बैठक 11 दिसम्बर, 07 में हुए निर्णयों की अब तक की प्रगति के बारे में चर्चा की गई। उप वन संरक्षक ने बताया कि कांकवाड़ी में ग्रामीणों से बैठक कर सहमति प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

बर्डोद रूंध में जूलीफलोरा उखाड़ने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। अब तक लगभग 50 हैक्टर में जूलीफलोरा उखाड़ा जा चुका है। मार्च तक पूरे क्षेत्र को खाली कर दिये जाने की संभावना है।

उप वन संरक्षक ने बताया कि बर्डोद रूंध में विस्थापितों के लिए सामुदायिक सुविधायें विकसित करने हेतु सभी विभागों का सहयोग अपेक्षित है, इस पर पीने के पानी की सुविधा के बारे में चर्चा करते हुए उप वन संरक्षक ने बताया कि विस्तार से चर्चा की गई।

पीने के पानी की सुविधा के बारे में चर्चा करते हुये उप वन संरक्षक ने बताया कि पी.एच.ई.डी. से प्राप्त एस्टीमेट के अनुसार लगभग 11 लाख रुपये की आवश्यकता है, जबकि पैकेज के अनुसार 2 लाख रु. ही उपलब्ध हैं। अधिशासी अभियन्ता पी.एच.ई.डी. ने बताया कि "स्वजल धारा योजना" में बचत राशि उपलब्ध है। जिलाधीश महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर इस योजना में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है। इसके लिए समिति के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता रहेगी। उप वन संरक्षक, सरिस्का ने बताया कि भगाणी ई.डी.सी. का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। इसका बैंक खाता भी बहरोड में खुलवाया हुआ है। रजिस्ट्रेशन की प्रति 3 दिवस में उपलब्ध कराने बाबत सहायक वन संरक्षक को निर्देश दिये।

गांव के विद्युतीकरण के बारे में चर्चा करते हुए उप वन संरक्षक ने बताया कि विद्युत विभाग द्वारा प्राप्त एस्टीमेट के मुताबिक लगभग 17 लाख रु. की

आवश्यकता है। जबकि पैकेज में मात्र 1.8 लाख रु. उपलब्ध हैं। उप खण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर ने सुझाव दिया कि बी.पी.एल. परिवारों के लिए राजीव गांधी कुटीर योजना में निशुल्क विद्युत कनेशन उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

सहायक अभियन्ता ने बताया कि यह योजना मार्च तक ही लागू है। इसमें लाभान्वित परिवार से 10 रु. का स्टाम्प भरवाना है। इस पर अति. जिलाधीश ने निर्देश दिये कि विद्युत विभाग स्वयं समस्त वांछित पत्रादि लेकर भगाणी गांव में जाकर प्रत्येक परिवार की फाइल तैयार करेंगे। सहायक वन संरक्षक एवं सहायक अभियन्ता आपस में सम्पर्क कर फरवरी माह के अन्त तक भगाणी गांव की फाइल तैयार करवायेंगे।

गांव में सड़क निर्माण के बारे में चर्चा की गई। एच.ई.पी. डब्ल्यू.डी. ने बताया कि उनके पास इस बारे में कोई बजट प्रावधान नहीं है। परन्तु यदि बसाने के बाद कुल जनसंख्या 500 से अधिक हो जाती है तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत प्रस्ताव भिजवाये जा सकते हैं। पंचायत समिति के अन्तर्गत किसी योजना में सड़क निर्माण कराने हेतु क्षेत्रीय (विस्थापन) विकास अधिकारी से सम्पर्क करें।

विस्थापन किये जाने वाले गांवों के परिवारों को बी.पी.एल. सूची में शामिल कराने के बारे में चर्चा हुई। तहसीलदार राजगढ़ ने बताया कि ऊमरी एवं कांकवाड़ी के सभी परिवारों को शामिल कर लिया गया है। भगाणी में कुछ परिवार बी.पी.एल. सूची से रह रहे हैं। बी.पी.एल. सूची के अनुमोदन का कार्य फरवरी माह में ही पूर्ण कराना है।

स्कूल भवन निर्माण के बारे में चर्चा करते हुए मुख्य कार्यकारी ने अवगत कराया कि 'गुरु गोलवलकर' योजना के तहत 30 प्रतिशत भागीदारी में स्कूल भवन बनाया जा सकता है अथवा सर्व शिक्षा अभियान के तहत भी स्कूल भवन का निर्माण कराया जा सकता है। इस हेतु जिला शिक्षा अधिकारी से सम्पर्क करें।

उप वन संरक्षक ने उनके द्वारा प्राइवेट आर्किटेक्ट से तैयार कराये गये साइट प्लान को कमेटी के सभी सदस्यों के समक्ष रखा। बड़ोंद रूंध में गांव को बसाने हेतु ले-आउट प्लान के बारे में चर्चा की गई। चर्चा के उपरान्त समिति के सभी सदस्यों ने आम राय से इसे अनुमोदित किया।

बड़ोंद रूंध में आवासीय प्लाट एवं कृषि प्लाट के आवंटन की प्रक्रिया के बारे में चर्चा हुई। इस पर कमेटी ने सहमति जतायी कि ई.डी.सी. के सदस्य अपने

स्तर से प्लाटों का आवंटन आपस में कर लें। यह कार्य आपसी सहमति या लॉटरी प्रणाली से करा लिया जावेगा। बाद में इसे जिला विस्थापन समिति की बैठक में शामिल कर अनुमोदन करा लिया जावेगा। अन्त में सभी विभागों से आग्रह किया गया कि राज्य सरकार की योजनाओं को विस्थापन किये जाने वाले गांवों के विकास के लिए डिनोटीफिकेशन किया जाये।

बाघ परियोजना सरिस्का के अन्दर बसे गांव के विस्थापन के संबन्ध में बैठक आयोजन के संबंध में उप वन संरक्षक बाघ परियोजना सरिस्का, (सदस्य सचिव जिला नियोजन एवं क्रियान्वयन समिति) के द्वारा लिखित पत्रों की सूचनाओं पर तरुण भारत संघ के प्रतिनिधि श्री जगदीश गर्जर, कन्हैया लाल जाते रहे हैं। विस्थापित होने वाले गांव और सरिस्का के संरक्षण के हितों को देखते हुए संजीदगी के साथ अपने विचार दिये हैं।

राज्य सरकार से अनुरोध

9 मई 2006 को तरुण भारत संघ के अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह ने सरिस्का के विस्थापित गांव के संबंध में अपने विचारों से श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी, मुख्यमंत्री राजस्थान, श्री लक्ष्मी नारायण दबे वनमंत्री राजस्थान सरकार जयपुर, श्रीमती रुक्मिणी हल्दिया प्रधान सचिव, वन विभाग जयपुर को पत्र लिखकर अवगत कराया गया था।

राजेन्द्र सिंह के द्वारा विस्थापन प्रक्रिया के संबंध में किये गए पत्र व्यवहार :

(1)

दिनांक 09.5.2006

आदरणीया श्रीमती वसुंधरा राजे जी,

तरुण भारत संघ पिछले 25 वर्षों से सरिस्का के वन और वन्यजीवों के साथ कार्य करता आ रहा है। ज्ञात हुआ है कि सरिस्का वनों और वन्यजीवों के विकास के लिए राज्य सरकार की योजना के अनुसार कुछ ग्राम/गुवाड़ों गांव को अभयारण्य क्षेत्र के बाहर बसाये जाने की योजना है। इस सम्बन्ध में तरुण भारत संघ का यह मत है कि सरिस्का के गांवों के पुनर्वास पर जो भी सरकारी खर्च हो, उसका पाई-पाई का लाभ सरिस्का के जंगल एवं जंगली जीवों और जंगलवासियों को मिले। यह तभी संभव है, जब सरिस्का का समाज व सरकारी सर्वानुमति से जंगल व जंगली जीवों के क्षेत्रवार हैविटाट को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य किया जाये।

मेरी यह राय है कि प्रथम चरण में किरास्का, सुकोला, डाबली गांवों का अच्छा पुनर्वास किया जाये। दूसरे चरण में हरिपुरा, ऊमरी, भगाणी आदि गांवों के पुनर्वास पर विचार किया जा सकता है।

मैं यहां यह कहना उचित समझता हूँ कि भविष्य में गांवों का पुर्नवास प्रथम चरण के पुनर्वास की पूर्ण सफलता पर निर्भर करेगा। पूर्व में सरिस्का के विस्थापित ग्राम करणा का बास की असफलता के कारण ही पिछले 30 वर्षों में कोई भी पुनर्वास कार्य नहीं किया जा सका।

उपरोक्त सुझावों के साथ तरुण भारत संघ सरिस्का के गावों के पुनर्वास में राज्य सरकार व वन विभाग को पूर्ण सहयोग देने को तैयार है।

आपका

राजेन्द्र सिंह

तरुण भारत संघ

मुख्यमंत्री,

राजस्थान सरकार, जयपुर

(2)

दिनाँक 09.5.2006

आदरणीय श्री लक्ष्मीनारायण दवे जी,

तरुण भारत संघ पिछले 25 वर्षों से सरिस्का के वन और वन्यजीवों के साथ कार्य करता आ रहा है। ज्ञात हुआ है कि सरिस्का वनों और वन्यजीवों के विकास के लिए राज्य सरकार की योजना के अनुसार कुछ गांवों को अभयारण्य क्षेत्र के बाहर बसाये जाने की योजना है। इस सम्बन्ध में तरुण भारत संघ का यह मत है कि सरिस्का के गांवों के पुनर्वास पर जो भी सरकारी खर्च हो, उसका पाई-पाई का लाभ सरिस्का के जंगल एवं जंगली जीवों और जंगलवासियों को मिले। यह तभी संभव है, जब सरिस्का का समाज व सरकारी सर्वानुमति से जंगल व जंगली जीवों के क्षेत्रवार हैविटाट को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य किया जाये।

मेरी यह राय है कि प्रथम चरण में किरास्का, सुकोला, डाबली गावों का अच्छा पुनर्वास किया जाये। दूसरे चरण में हरिपुरा, ऊमरी, भगाणी आदि गावों के पुनर्वास पर विचार किया जा सकता है।

मैं यहां यह कहना उचित समझता हूँ कि भविष्य में गावों का पुनर्वास प्रथम चरण के पुनर्वास की पूर्ण सफलता पर निर्भर करेगा। पूर्व में सरिस्का के विस्थापित ग्राम करणा का बास की असफलता के कारण ही पिछले 30 वर्षों में कोई भी पुनर्वास कार्य नहीं किया जा सका।

उपरोक्त सुझावों के साथ तरुण भारत संघ सरिस्का के गावों के पुनर्वास में राज्य सरकार व वन विभाग को पूर्ण सहयोग देने को तैयार है।

आपका

राजेन्द्र सिंह

प्रतिष्ठा में: तरुण भारत संघ

श्री लक्ष्मीनारायण दवे
वनमंत्री
राजस्थान सरकार
जयपुर

(3)

दिनांक 09.5.2006

आदरणीया श्रीमती रुक्मिणी हल्दिया जी,

तरुण भारत संघ पिछले 25 वर्षो से सरिस्का के वन और वन्यजीवों के साथ कार्य करता आ रहा है। ज्ञात हुआ है कि सरिस्का वनों और वन्यजीवों के विकास के लिए राज्य सरकार की योजना के अनुसार कुछ गांवों को अभयारण्य क्षेत्र के बाहर बसाये जाने की योजना है। इस सम्बन्ध में तरुण भारत संघ का यह मत है कि सरिस्का के गांवों के पुनर्वास पर जो भी सरकारी खर्च हो, उसका पाई-पाई का लाभ सरिस्का के जंगल एवं जंगली जीवों और जंगलवासियों को मिले। यह तभी संभव है, जब सरिस्का का समाज व सरकारी सर्वानुमति से जंगल व जंगली जीवों के क्षेत्रवार हैविटाट को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य किया जाये।

मेरी यह राय है कि प्रथम चरण में किरास्का, सुकोला, डाबली गावों का अच्छा पुनर्वास किया जाये। दूसरे चरण में हरिपुरा, ऊमरी, भगाणी आदि गावों के पुनर्वास पर विचार किया जा सकता है।

मैं यहां यह कहना उचित समझता हूँ कि भविष्य में गावों का पुनर्वास प्रथम चरण के पुनर्वास की पूर्ण सफलता पर निर्भर करेगा। पूर्व में सरिस्का के विस्थापित ग्राम करणा का बास की असफलता के कारण ही पिछले 30 वर्षो में कोई भी पुनर्वास कार्य नहीं किया जा सका।

उपरोक्त सुझावों के साथ तरुण भारत संघ सरिस्का के गावों के पुनर्वास में राज्य सरकार व वन विभाग को पूर्ण सहयोग देने को तैयार है।

आपका

राजेन्द्र सिंह

तरुण भारत संघ

प्रतिष्ठा में :

श्रीमती रुक्मिणी हल्दिया

अध्यक्ष

प्रधान सचिव, वन विभाग

जयपुर

जगदीश गुर्जर द्वारा सरिस्का में वनवासियों की विस्थापन प्रक्रिया को लेकर वन विभाग के अधिकारियों के साथ किया गया पत्र व्यवहार इस प्रकार था-

(अ)

सेवा में,
वन संरक्षण एवं क्षेत्रीय निदेशक
बाघ परियोजना सरिस्का
विषय : सरिस्का से पूर्व विस्थापित गांव के संबंध में
महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि बाघ परियोजना सरिस्का से वर्ष 1974-75 में करणा का बास से विस्थापित लोग अभी तक विस्थापित नहीं हो सके। उनको उनकी जमीन की हकदारी सुनिश्चित कर उन्हें व्यवस्थित बसाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ायें।

बांदी पुल-दुलावा में विस्थापितों में 10 परिवारों को उनकी जमीन की हकदारी न मिलने से वह परिवार सरिस्का के पास आकर बसे। उनके आक्रोश का शिकार सरिस्का का जंगल बना तथा विस्थापितों की आजीविका का साधन जंगल कटाई रहा जिससे सरिस्का के पूर्व अनुभव से नये गांव के विस्थापन की समस्या जटिल बनी हुई है।

वनवासियों के मन में भय है कि 1974-75 में विस्थापित किये गये लोगों की तरह हमें भी न भटकना पड़े। बस । यही डर सरिस्का वासियों को जंगल छोड़ने से रोक रहा है। अत: आपसे पुन: निवेदन है कि पूर्व में विस्थापित परिवारों को सुव्यवस्थित बसाने और उनका जमीनी हक दिलाने की कानूनी प्रक्रिया को अवश्य आगे बढ़ाएंगे।

आपका
जगदीश गुर्जर
तरुण भारत संघ
भीकमपुरा-किशोरी

जगदीश जी द्वारा लिखे गए वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक के नाम पत्रों का जबाव इस प्रकार मिला-

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजना सरिस्का

क्रमांक/ एफ() रिलोकेशन/बापस/06/963 दिनांक 05.02.07

निमित्तः-

श्री जगदीश गुर्जर,

तरुण भारत संघ,

भीकमपुरा -थानागाजी

विषयः- पूर्व विस्थापितों के बाबत

सन्दर्भः- आपका पत्र क्रमांक निल

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि बाघ परियोजना सरिस्का से पूर्व में विस्थापितों के संबंध में आपका पत्र मुझे दिनांक 26.1.07 को प्राप्त हुआ। आपके पत्र में उल्लेखित किया है कि वर्ष 1974-75 में करणा का बास से विस्थापित लोग अभी तक ठीक प्रकार से विस्थापित नहीं हो सके हैं और पूर्व में विस्थापितों को उनका हक मिल सके।

मैं यहां पर यह उल्लेख करना चाहूंगा कि बांदीपुल-दुलावा में विस्थापितों में से लगभग 10 परिवारों को उनकी जमीन की खातेदारी हक नहीं मिलने का प्रकरण इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था जिसके बारे में इस कार्यालय स्तर से प्रयास किये जा रहे हैं। जिला कलेक्टर, अलवर से इस बारे में निरन्तर संपर्क किया गया है तथा जिला विस्थापन क्रियान्वयन समिति की बैठक में भी इस विषय पर चर्चा कर प्रयास किये जा रहे हैं। इस बारे में आपसे भी कई बार वार्ता की गई है। पूर्व विस्थापितों की समस्या के समाधान में आपका हर सहयोग इस कार्यालय के लिये उपयोगी रहेगा।

अतः आप अपने सुझावों के साथ समय निकाल कर अद्योहस्ताक्षरकर्ता से विचार-विमर्श के लिये कार्यालय में पधारने का कष्ट करें ताकि इस समस्या के समाधान बाबत समुचित हल ढूंढा जा सके। आप अपने अमूल्य सुझाव एवं सहयोग इस कार्यालय को समय-समय पर देते रहें।

वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक

बाघ परियोजना सरिस्का

(ब)

सेवा में, 29.09.2007

श्रीमान उपवन संरक्षक महोदय

बाघ परियोजना सरिस्का,

विषय :- सरिस्का की पेरी-फेरी में उजड़ते जंगल के बाबत प्रार्थना पत्र

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके कार्यालय हेतु हमने पत्र लिखकर प्रार्थना की थी कि सरिस्का की पेरी-फेरी पर बफर जोन में बसे गांवों में बाहर के धमंक व अपराधी प्रवृत्तियों के लोग जमीन खरीद रहे हैं। जिसमें बांदीपुल में सरिस्का के अन्दर के पूर्व के विस्थापित लोगों को बसाया गया था। आज तक सम्पूर्ण जमीन नाम नहीं आई , जिससे आप भी भली भांति परिचित हैं। कानूनन आपके विभाग से भी अनुमति लेनी होती है, जबकि गरीब विस्थापितों ने आप सभी राजस्व अधिकारियों के दरबार में खूब चक्कर लगाए लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उन जमीनों को धमंक लोगों ने नाम करवाने की पूर्ण जिम्मेदारी व आपके विभाग की कोई चिन्ता न करके ऊंचे दामों में विस्थापितों की जमीनें खरीदी हैं, जो सरिस्का के भविष्य के लिए सीधा-सीधा खतरा है।

इसी तरह से दबकन, नाण्डू व राजडोली में भी धमंक प्रभावी लोगों ने जमीनें खरीदना शुरू कर दिया है। यह सरिस्का के जहाज, भगाणी व बैंसोटा के प्राकृतिक सम्पदाओं पर सीधा-सीधा खतरा है। इसी तरह से नाण्डू वन खण्ड वन सम्पदा को राड़ा साझा वन प्रबन्धन समिति के प्रयासों के बावजूद भी धरमेड़, इन्द्रपुरा, अनावड़ा , बौरोटा की तरफ के लोग बांस, खैर रातों-रात काट कर ले जाने में सफल रहे हैं।

राड़ा साझा वन समिति के सदस्यों ने खूब गस्त लगा-लगा कर अपने गांव के अपराधियों को कन्ट्रोल में किया है। बाहर के लोगों को चिह्नित करके पत्र के द्वारा आपको अवगत कराया है। पत्रों के बावजूद आपका का ध्यान आकर्षित न होने पर मैं जगदीश गुर्जर आपसे रूबरू होने के लिए आपके कार्यालय में छः बार पहुंचकर रूबरू होने की कोशिश की, लेकिन इस राष्ट्रीय काम के लिए आपके अधीनस्थों ने आपसे रूबरू नहीं होने दिया।

आपको सूचना देने के बाद में आपके द्वारा हमारे लिए कहे गये शब्द इस तरह से मिलते हैं कि ''खैरवा साहब से मिलें'' जबकि हमारा इस सम्बन्ध में उनसे कोई वास्ता नहीं है। पिछले दिनों में हमने ए. एफ. डी. श्री मुकेश सैनी जी से दूरभाष पर बात की, उन्होंने गांव की सुरक्षा समिति की बैठक में बुलाने और इस समस्या से अवगत कराने की प्रार्थना की। उन्होंने 7-8 दिन में आने की तिथि देकर एक महीना बीतने पर कोई उपस्थिति नहीं दी। मैंने आपसे दूरभाष पर बात करके प्रार्थना की थी कि रामपुर चौहान में आठ सालों के सघन प्रयासों से 108 ऊंट जिन्होंने लगातार बीस साल सघन काला-खैर, बांस, शीशम के जंगल को उजाड़कर धोक के जंगल को उजाड़ने में लगे थे जिनकी संख्या 2 रह गयी थी। पिछले माह 2 से 13 की सूचना मिली और वह निरन्तर बढ़ रही है।

आपके विभाग से केवल उदासीनता ही दमकती है, आखिर हम जैसे साधारण व्यक्ति किस तरह इस जंगल को बचाने में मददगार हो सकते हैं, ऐसे उपाय आपके पास हों तो आप हमें जरूर अवगत करावें। आपके टहला रेंज के रेंजर साहब से कई बार रूबरू होकर प्रार्थना की कि वे राड़ा साझा वन प्रबन्धन समिति की बैठक में पधारें, पर वो राड़ा वन सुरक्षा समिति को जवाब में कहते हैं कि पर्यावरण के नाम पर आया पैसा आपको खर्च करना रहता है आप चाहे जैसे खर्च करो आखिर राड़ा साझा वन प्रबन्धन समिति के पास कौन सा पैसा है? ऐसा भी रेंजर साहब को अवगत नहीं है। लोगों को जंगल बचाने के प्रति उत्साहित करने के बजाय निरुत्साहित करने की मंशाएं क्यों हो रही हैं ? अतः आपसे प्रार्थना है कि हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें।

निवेदक

जगदीश गुर्जर

तरुण भारत संघ ,भीकमपुरा-किशोरी

थानागाजी, अलवर- राजस्थान

जगदीश जी द्वारा लिखे गए वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक के नाम पत्रों का जबाव इस प्रकार मिला-

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजना सरिस्का

क्रमांक/एफ(रिलोकेशन/बापस/06/955 दिनांक 05.02.07

निमित्तः-

श्री जगदीश गुर्जर,

तरुण भारत संघ,

भीकमपुरा -थानागाजी

विषय- सरिस्का के संरक्षण बाबत

सन्दर्भः- आपका पत्र क्रमांक निल

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि सरिस्का बाघ परियोजना के संरक्षण के संबंध में आपके द्वारा लिखा गया पत्र मुझे दिनांक 26.1.07 को प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र में आपके द्वारा यह तथ्य उल्लेखित किया गया है कि विस्थापन के पश्चात में लोग परिधि पर बसे अपने रिश्तेदारों के पास आकर बस सकते हैं। इस पर चौकसी रखनी होगी।

आपके द्वारा जिन बिन्दुओं पर अपनी राय व्यक्त की है, उन विषयों पर यह कार्यालय अमल में लाए जाने का पूर्ण प्रयास करेगा। जैसा कि आपको विदित है कि सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में पूर्व में बसे हुए गुवाड़ों को अभयारण्य से बाहर अन्यत्र जगह पर पुनर्स्थापन की मुख्य प्रक्रिया यही है कि बिना आधारभूत सुविधाओं से अन्दर के क्षेत्र में रह रहे लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जावे ताकि उनके सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार लाया जा सके, पुनर्वासन की प्रक्रिया वास्तव में एक जटिल प्रक्रिया है। इस कार्य से यहां पर बसे हुए लोगों की सहमति से अन्यत्र जगह पर आधारभूत सुविधाओं के साथ विस्थापन किया जावे एवं वर्तमान में जैविक दबाव से जूझ रहे इस अभयारण्य क्षेत्र में संरक्षण कार्य में और गति लायी जावे, सरिस्का अभयारण्य की परिधि क्षेत्र में लगभग 192 गांव बसे हुये हैं। इसके अतिरिक्त बाघ परियोजना क्षेत्र में 28 गांवों में राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में लगभग 11 गांव मौजूद हैं। इन गांवों के लिए चारा एवं जलाऊ लकड़ी पूर्ति का दबाव क्षेत्र पर बना रहता है।

अभयारण्य क्षेत्र के अन्दर बसे हुए सभी गांवों का विस्थापन करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। प्रबंधन की दृष्टि से प्राथमिकता के आधार पर कुछ गावों का विस्थापन करना आवश्यक भी है। परन्तु यह कार्य ग्रामीणों की सहमति से क्रियान्वयन किया जाना अति महत्वपूर्ण है। सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में पूर्व में किये गये पुनर्वास मामलों को ध्यान में रखते हुए पूर्व में कुछ त्रुटियां रह गईं, उन खामियों की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा पूर्ण ध्यान रखा जावेगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि पुनर्वास प्रक्रिया में ध्यान में रखने वाले कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिन्दु हों तो मुझे आवश्यक रूप से सूचित करें।

आपके द्वारा यह भी आशंका जतायी कि सरिस्का की परिधि में बसे गांवों में विस्थापन के पश्चात ग्रामीण जमीन बेचकर पुनः आकर बस सकते हैं और अभयारण्य क्षेत्र को नुकसान पंहुचाते रहेंगे। इस संबंध में वन्यजीव अधिनियम 1972 की धारा 20 के तहत निर्वसीयती उत्तराधिकार के सिवाय अर्जित नहीं किया जावेगा। परियोजना क्षेत्र में रजिस्ट्री इस अधिनियम के अनुसार ही होगा। भूमि का बेचान अन्य लोगों से जमीन बेचान पर प्रतिबंधित रहता है। यदि इस क्रम में आपके पास ऐसी जानकारी हो तो इस अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकती है। इस संबंध में आपका सहयोग एवं सुझाव सदैव इस कार्यालय के लिए उपयोगी रहेगा।

संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक
बाघ परियोजना
सरिस्का

वनवासी पुनर्वास और तरुण भारत संघ

सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में तरुण भारत संघ ने सबसे पहले सरिस्का में रहने वाले लोगों को भय मुक्त कर उन्हें सरिस्का का मालिक होने का अहसास कराया। उनमें संगठन शक्ति का संचार किया, अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग किया। दूसरी ओर तभा संकार्यकर्ता वनवासियों के बीच में जाकर जंगल और जंगली जीवों के विषय में भी सचेत करते हुए उन्हें व्यावहारिक रूप से उनकी उपयोगिता को समझाते थे जिससे गांव वालों के जंगल व जंगली जानवरों के प्रति संवेदना जगी। तभी 288 गांव के लोगों ने अपने-अपने गांव से लेकर क्षेत्रीय स्तर पर और पूरे अभयारण्य की सुरक्षा के लिए सरिस्का संरक्षण संसद बनाने का बड़ा काम किया था जिसमें जंगलात विभाग का प्रतिनिधित्व बराबर बना रहता था। जंगल व जंगलीजीव की रक्षा सुरक्षा को देखते हुए अभयारण्य की जमीन पर अवैध खनन के विरुद्ध आवाज उठाई और देश के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचाकर अवैध खनन की गतिविधियों को बन्द कराया।

2004 अन्त में सरिस्का के बाघ विहीन होने की दुखान्त घटना के कारण वनवासियों को मुख्य कारण माना गया जिससे वनवासियों के विस्थापन और पुनर्वास की प्रक्रिया ने पुन: जोर पकड़ना शुरू किया। तरुण भारत संघ सरिस्का वासियों के विस्थापन और पुनर्वास प्रक्रिया में सक्रिय भागेदारी से अपना कर्तत्व और दायित्व को देख-समझ कर कार्य को अंजाम दिया। तरुण भारत संघ के कार्यकर्ताओं के मन-मस्तिष्क में यही भय रहता था कि बाघ जैसे दुर्लभ जीव को तो शिकारियों ने निगल लिया। चाहे इसमें समाज की गलती रही हो या प्रशासनिक प्रबन्धन की, बाघों का तो शिकार हो चुका था। सरिस्का बाघ विहीन हो गया जिसका सभी को दु:ख हुआ।

अब सवाल था कि वनवासियों को जिम्मेदार मान कर उनका विस्थापन करना सरकारी तंत्र की पूर्ण मंशा। वनवासियों का पुनर्वास एक चुनौती पूर्ण मानवीय संवेदनाओं की परिकाष्ठा पूर्ण कार्य था। यह ऐसा कार्य था जिसके आधार पर सरिस्का के जंगल-जंगली जीव-जंगलवासियों का भविष्य टिका हुआ था। यह सब देखते हुए तरुण भारत संघ के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सरिस्का वासियों की मंशा के अनुसार ही पुनर्वास प्रक्रिया में सरकारी तंत्र के साथ संवाद में भाग लिया।

सरिस्का वनवासियों के पुनर्वास में तरुण भारत संघ की भूमिका एक सेतु की तरह रही है। संस्था के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पूर्ण सजगता के साथ भगाणी और कांकवाड़ी गांव के विस्थापन और पुनर्वास की प्रक्रिया में सहयोग किया।

सरकारी स्तर पर सरकार वनवासियों का विस्थापन करना तो चाहती थी, लेकिन उसके पास न योजना थी और न ही साधन। जंगलात विभाग के कर्मचारी जब-जब वनवासियों के विस्थापन की बात शुरू करते तो तरुण भारत संघ का एक ही सवाल था कि वनवासियों को आदमी की तरह सुव्यवस्थित पुनर्वास किया जाए। पूर्व में हुए विस्थापित 'करणा का बास' गांव के लोगों की तरह नहीं। जंगल में रहने वाले लोग वनकर्मियों से परेशान तो थे, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि वे जाएं तो कहां जाएं ? करणा के बास के लोगों की दुर्गति देख यातना भरा जंगल जीवन ही उन्हें रास आ रहा था। जंगलात विभाग की ज्यादतियां उन्हें बर्दाश्त करनी ही थीं। जंगल में रहकर वे संतुष्ट थे, लेकिन जंगलात की ज्यादतियां दुखी भी करती थीं जिससे उनकी आत्मा दुखी रहती थी।

जैसे भगाणी में मानवीय सभ्यता के विकास के लिए सभी रास्ते जंगलात विभाग ने बन्द कर रखे थे। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से भगाणी के लोगों की दूरी विकासशील युग में कोसों दूर थी। जितनी भी जीवन जीने की आवश्यकता जीव मात्र को होती है, वह सब प्रकृति की अनुकम्पा से मिल रही थी। कभी-कभी उसमें भी कमी हो जाती तो जीवन जीना दुर्भर होता। जंगल का जीवन तो जंगल की तरह ही जीया जाता है। इस सब के अभ्यस्त भगाणी के लोग थे ही। प्रकृति प्रकोप में भी भगाणी के लोग जंगल नहीं छोड़ पाते थे। चाहे उन्हें पीने के लिए पानी भी मयस्सर न होता हो। ऐसी स्थिति में भगाणी नदी ही अपने किनारे बसे लोगों को पानी का प्रबन्ध करती थी। बस ! भगाणी के लोग नदी में दो चार हाथ गहरा गढ्ढा करते तो भगाणी नदी के जल स्रोत्रों से संचित पानी एकत्र होता रहता जिससे तटवासी अपनी प्यास से सूखे कण्ठ तर करते और अपने पशुओं को भी पानी पिलाते थे। रहने के लिए तो जंगल ने पनाह दे ही रखी थी। उसके पास जो भी उपलब्ध था उससे भगाणी के लोग रहने के लिए छोटी- छोटी मिट्टी-पत्थर से बनी दीवार और

जंगल की लकड़ी, घास-फूंस, पेड़ों के पत्ते आदि से झोंपड़ी बनाते। बांस की टहनियों से बनी टांटी दरवाजे का काम करती थी, ताले कूंची का काम नहीं था। जब अच्छी वर्षा हो जाती तो उस समय जरूर कुछ राहत होती। पशुओं के लिए पानी-चारे की सुविधा से भगाणी के लोगों को कुछ राहत मिल जाती। बाकी के जीवन में नीरसता का साम्राज्य ही था।

भगाणी में घर बनाने के लिए एक पैसे का खर्च नहीं था। जंगल में झोंपड़ी बनाने के लिए जो भी साधन उपलब्ध रहते, उसी से बसेरा बना लिया जाता। हर साल नया बसेरा बनाना पड़ता था। उस पर भी जंगलात कर्मियों की महरबानी रहती तो ही बन पाता था। वरना एक लकड़ी या पेड़ के पत्ते लेने पर मारपीट, झगड़ा, सजा, कोर्ट-कचहरी की पेशी ही ज्यादा मिलती थी। रोजगार और जीवन की अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भैंस और बकरी पालन ही था। जो सम्पूर्ण रोजगार के साधनों में था। इसके लिए प्रत्येक भैंस व बकरी के हिसाब से जंगलात विभाग को कानूनी-गैर कानूनी रूप से खर्चा दिया जाता था। स्कूल, रास्ते, बिजली, पानी की सुविधा सपने में भी नहीं थे। भले ही अभयारण्य के बाहर के गांवों में ऐसी सुविधा देख मन का सोया लालच कहीं जागता दिखाई देता हो, लेकिन भगाणी -कांकवाड़ी में यह सब संभव नहीं था। ऐसी जीवन शैली में भी जंगलात विभाग के लोगों ने वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर वनवासियों का जीवन नरक बना दिया था।

बाघ परियोजना से गांव के विस्थापन के संबंध में जिलाधीश अलवर की अध्यक्षता में गठित कमेटी में तरुण भारत संघ को सदस्य रूप में मनोनीत किया गया था। संस्था के सदस्यों ने भगाणी-कांकवाड़ी गांव की विस्थापन प्रक्रिया में अपने सुझावों से अवगत कराया। संस्था के सदस्यों का मानना था कि पूर्व में हुए विस्थापित गांव 'करणा का बास' के विषय में बरती गई लापरवाही दुबारा से नहीं दोहराई जाए तथा विस्थापित होने वाले गांव वासियों को सरकारी स्तर से क्या योजना है ? उसका विस्तार से अध्ययन किया। योजना को ग्रामवासियों के अनुकूल देखते हुए सरकार और ग्रामवासियों का साथ दिया। सरकारी स्तर पर दो वर्ष तक चली प्रक्रिया के तहत भगाणी गांव का पुनर्वास देवनगर में किया जा सका जिस में 21 परिवार हैं।

विवाद और सौहार्द

सरिस्का पर हमला

24 अगस्त 2006 को सरिस्का अभयारण्य के टहला गेट पर ग्रामीणों ने एक बहुत बड़ी भीड़ के रूप में इकट्ठा होकर तोड़फोड़ की। सरिस्का अभयारण्य की टहला रेंज चौकी के वनपाल, वनगार्ड, रेंज अधिकारी उग्र भीड़ के आक्रोश को देख कर इधर-उधर भागे। उग्र भीड़ ने तोड़फोड़ के साथ-साथ ऑफिस में आग भी लगाई। पिछले कई महीनों से सरिस्का की सुरक्षा बढ़ाते हुए सरिस्का के अधिकारियों व कर्मचारियों ने सरिस्का के अन्दर बसे गांव (कांकवाड़ी, करांट,पीलापानी, किला नीचे) भगाणी, किरास्का, ऊमरी गांव के लोगों को बाहर-भीतर आने-जाने पर पाबन्दी लगाई। राजस्थान परिवहन निगम की बसों को उक्त गांव के बस स्टापों पर रुकने, सवारी बैठाने व उतारने पर रोक लगा दी। इन सब कारणों से क्षेत्रीय जनता में आक्रोश पनपा और सरिस्का को निशाना बनाया गया था। चाहे उसमें राजनीति स्वार्थ ही क्यों न हो ? वे सब सरिस्का के लिए तो घातक ही सिद्ध हुए।

विस्थापन और क्षेत्रीय सामाजिक समस्याएं

दिनांक 14 सितंबर 2007 को भगाणी विस्थापितों के लिए एक बड़ी दुख पहुंचाने वाली घटना थी। अपने पैतृक जन्मभूमि गांव भगाणी को छोड़ जंगल और जंगली जीवों की सुरक्षा के लिए और राष्ट्रहित को साधते हुए भगाणी के लोग अपने आवासीय घर झोंपड़ियों को उजाड़ कर बड़ोंद की रूंध में आबाद होने के लिए जा रहे थे। सरकारी स्तर पर लगभग दो वर्ष तक वन विभाग के अधिकारियों के साथ लम्बी बातचीत का परिणाम था कि भगाणी के लोग अपने घरेलू सामान के साथ छान-छप्पर बनाने हेतु अपने साधनों से बारी-बारी से पहुंच रहे थे। इसमें वन विभाग के कर्मचारी भी अपने वाहनों से उन्हें पहुंचाने में मदद कर रहे थे।

माधोगढ़ ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच व वन विभाग के कर्मचारियों में आपस में तनातनी चल रही थी। भगाणी के पड़ोसी टहला ग्राम पंचायत का सरपंच लोगों के भगाणी गांव को छोड़कर जाने से नाराज था। उसके मन में डर था कि वन विभाग के कर्मचारी पंचायत के अन्य गांव के लोगों को भगाणी के जंगल में नहीं घुसने देंगे। वन विभाग की तरफ से बार-बार वन क्षेत्र के गांवों में रोक लगाने पर पहले से ही खफा थे। इसलिए इन व्यक्तियों ने बार-बार अप्रत्यक्ष रूप से

विस्थापितों को भगाणी में रहने का ही वातावरण बनाने की कोशिश की थी। भगाणी गांव के लोगों के नहीं मानने पर कैसे इन्हें जेल पहुंचाया जाए , ऐसे अवसर की तलाश में रहने लगे। भगाणी ग्रामवासियों ने जब अपने बर्ड़ोद रूंध में छप्पर बनाने के लिए भगाणी में अपने बने घरों से घूणी, डांड़ी, बलिण्डा भर रहे थे तब उनमें कई चीजें कमजोर व जीर्ण-क्षीर्ण हो गई थी। इसलिए किसी ने दो-एक गीले थूणी, बल्ली आदि भी ले लिए थे, जो वन विभाग के कर्मचारियों के सामने ही लिए थे।

विस्थापितों को दुखी करने वाले सरपंच ने ऐसा अवसर देख, भगाणी के लोगों को नीचा दिखाने के लिए माधोगढ़ के सरपंच व अन्य सहयोगियों को फोन कर दिया कि आज भगाणी से उनके डांड़ी, बलिण्डे जा रहे हैं। इनमें कुछ नये और गीले भी हैं। हमें यह सिद्ध करना है कि वन विभाग अपने ट्रक में सरिस्का की वन सम्पदा को काटकर अलवर शहर में बेचान करते हैं। इससे एक तीर से दो शिकार सधेंगे। क्योंकि ट्रक के साथ वन विभाग के कर्मचारी व भगाणी के लोग भी होंगे। इन्हें अचानक पुलिस को बुलाकर पकड़वाया जाए, रणनीति बनी। भगाणी के लोग वन कर्मचारियों के साथ रवाना हुए, अकबरपुर के पास पहुंचने पर पत्रकारों सहित पुलिस को सूचना देते हुए अकबरपुर में यह टीम पहुंची, पुलिस विभाग को व अन्य जनता को गुमराह करके भगाणी के लोगों को कालाखैर बेचने का तस्कर बताकर जंगलात विभाग की मिलीभगत जाहिर करते हुए अकबरपुर में हा-हुल्ला करवाया, पुलिस ने विस्थापितों से गहन पूछताछ की, वन विभाग की तरफ से स्पष्टीकरण आने तक उन्हें पाबन्द किया गया। विस्थापित अपने सामान को लेकर बर्ड़ोद रूंध में पहुंच कर अपनी आवासीय व्यवस्था तैयार करने में जुट गए। अभी भी भगाणी के विस्थापितों को ऐसे दुष्ट लोगों से भय रहता है।

सौहार्दपूर्ण संवाद

9 फरवरी 2007 को सरिस्का बाघ परियोजना के अधिकारी श्री राजेश गुप्ता जी के कक्ष में गुप्ता जी व श्री दौलत सिंह, तरुण भारत संघ से जगदीश गुर्जर, सत्येन्द्र सिंह, राजनारायण मौर्य की सम्मिलित बैठक हुई। बैठक की वार्ता को प्रारम्भ करते हुए जगदीश गुर्जर ने चेताया कि सरिस्का के बफर, परिधि पर बसे गांवों में बड़े-बड़े उद्योगपति, हरियाणा के राजनेता व कम्पनियों ने जमीन खरीदने पर निगाह टिका

रखी है। सरिस्का की पहाड़ियों के आंचल में मौजूद वन सम्पदा व भरपूर जल स्रोतों के कारण यहां जमीन खरीदकर प्राकृतिक सम्पदा को लूटने की चेष्टा में इनके प्रयास चल रहे हैं।

जगदीश गुर्जर ने बांदीपुल, जोधावास, दबकन, टहला राजड़ोली, नाडू जो गांव सरिस्का के कोर एरिया से जुड़े गांवों में होने वाले ऐसे प्रयासों से सचेत रहने हेतु प्रयास किया। राजेश गुप्ता जी ने चिन्ता व्यक्त की और ऐसी घटनाओं की सूचना देने हेतु कहा। बैठक में सरिस्का में हो रहे विस्थापन पर भी चर्चा हुई। गुप्ता जी ने विस्थापितों के लिए दी जाने वाली जमीन के विषय में बताया कि बड़ोंद रूंध में जमीन की सफाई कार्य बताया और आवासीय व्यवस्था के लिए जयसिंह जी के साथ सुझावों पर चचा हुई।

19 फरवरी को सरिस्का बाघ परियोजना में विस्थापित अधिकारी श्री खैरवा साहब के साथ पूर्व में हुए विस्थापितों पर चर्चा हुई। पूर्व विस्थापित कहां-कहां बसे थे, इस पर चर्चा करते हुए श्री जगदीश गुर्जर जी ने बताया कि सन् 1974-75 से विस्थापन प्रक्रिया से सब भलीभांति परिचित हैं, विस्थापित गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंच कर सरिस्का के जंगल से जुड़े हुए गांवों में ही बस गये थे। किरास्का जैसा गांव जहां था वहीं बसा रहा। करणा का बास से कुण्डलका, नाडू, रामपुरा बास में जाकर बसे। उन्होंने जंगल को आक्रोश की भावना में ज्यादा ही बर्बाद किया है। कुण्डलका में बसे लोगों ने तो सरिस्का के कोर जंगल को ही नुकसान पहुंचाया है जो सरिस्का के दफ्तरों में बैठे भर्तृहरि पहाड़ियों से ही मालूम हो जाता है। कुण्डलका में बसे विस्थापितों की सीरावास में मिलने वाली जमीन में बड़ी धांधली रही है। विस्थापितों ने जमीनों पर कब्जा पाने एवं दस्तावेज अपने पक्ष में पाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री, वनमंत्री से गुहार की एवं न्यायालयों की शरण ली लेकिन जमीन नहीं मिली।

24 फरवरी 2007 को ग्राम पीलापानी में जोहड़ के किनारे बैठकर श्री राजेन्द्र सिंह जी की मौजूदगी में जगदीश गुर्जर की ग्रामवासियों के साथ विस्थापन पर वार्ता हुई। ग्रामवासियों ने 2003 की सर्वेसूची को नकारात्मक बताया। सर्वेकर्ताओं ने इतना संवेदनशील मुद्दा होने के बावजूद भी घर-घर जाकर परिवार सदस्यों से रूबरू नहीं हुए। किसी परिवार में तो 21 वर्ष तक आयु को एक परिवार माना है। कई परिवारों में 21 से ज्यादा उम्र वालों को नजरअन्दाज किया गया है। खैर ! अभी

तक वन विभाग के लोगों के साथ हुई बैठकों में उनके बातचीत करने के तरीके से हमें शंकाएं पैदा होती हैं कि ये लोग हमारे साथ धोखा करेंगे। हमें मिलने वाले पैकेज जमीन को वास्तविक रूप में नहीं दे सकेंगे क्योंकि उन्होंने 2003 के सर्वे में काफी ऊंची नीची गड़बड़ की है। इस पर श्री राजेन्द्र सिंह जी ने ग्रामीणों से कहा कि आप लोगों को अपना भविष्य व वर्तमान में वन विभाग के लोगों द्वारा किए जा रहे व्यवहार से सचेत रहना होगा, जो गतिविधियां आपके व राष्ट्र के हित में की जाती हैं, उन पर जरूर सहमत होना है। आपको जब बात आगे बढ़ती दिखे और उसमें तरुण भारत संघ की जरूरत महसूस होती हो तो जरूर आप जगदीश जी को बताएं। यह आपके साथ रहेंगे। लेकिन आप लोग अपने बच्चों सहित भविष्य का ध्यान रखकर कोई भी निर्णय लें।

8 अप्रैल 2007 को रात्रि में 8 से 2बजे तक ग्राम भगाणी में वन अधिकारी खैरवा जी, राजेश फागणा जी, श्रवण व अन्य सभी ग्रामीणों के साथ विस्थापन को लेकर बैठक चली जिसमें खैरवा साहब ने ग्रामीणों को बताया कि आपको बर्ड़ोद रूंध में दी जाने वाली जमीन आपके नाम नहीं आयेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट और केन्द्र सरकार का आदेश है। इस पर ग्रामीणों ने चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि आपने आज तक की बैठक में पहले यह कभी नहीं बताया। अब काफी लम्बी प्रक्रिया हो चुकी है जिसमें सरकार का भी खर्च हुआ और हमारा भी समय बर्बाद हुआ। अब हम गांवों को नहीं छोड़ेंगे और आपकी बातों पर विश्वास भी नहीं करेंगे। इस पर राजेश फागणा साहब ने कई तरह के सुझाव दिये। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ किसी भी तरह का विश्वासघात नहीं करेंगे। जगदीश गुर्जर ने बताया कि एग्रीमेन्ट लिखाने जैसी व्यवस्था हो तो कर सकते हैं। इस सुझाव में ग्रामीणों ने कहा कि जिलाधीश जी अपने कक्ष में बैठक बुलाकर उनके द्वारा हमें लिख कर दें तो आगे हम इस प्रक्रिया में सहभागी बन सकते हैं। उच्च अधिकारियों से परामर्श करके ग्रामीणों को जवाब देने के लिए खैरवा साहब ने कहा।

7 मई 2007 गांव के लोगों के साथ सरिस्का बाघ परियोजना के अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें बाघ परियोजना के अधिकारी गांव बर्ड़ोद की रूंध के महल में बैठक में आये।

1. श्री राजेश गुप्ता, डी.एफ.ओ. सरिस्का
2. श्री अरुणा प्रसाद, डी.एफ.ओ. अलवर

3.	श्री खैरवा जी, ए.सी.ओ.	विस्थापन सरिस्का
4.	श्री रघुवीर यादव रेंजर	सरिस्का
5.	श्री राजनारायण मौर्य	तरुण भारत संघ
	श्री छोटेलाल मीणा	तरुण भारत संघ
6.	श्री ग्रामीण लोग	विस्थापित होने वाले गांवों से

इस बैठक के शुरू होने से पूर्व डी. एफ. ओ. सरिस्का के श्री राजेश गुप्ता ने भगाणी गांव के परिवारजनों को पहले 21 प्लाट जो '90-60' के थे। जमीन पर लगे निशान दिखाये। खेती की जमीन के 5 प्लाट तैयार कर दिये गये थे , वे सब भी दिखाए गए। इसके बाद महल में भगाणी गांव के लोग, वन विभाग के अधिकारी, बिजली व जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ तरुण भारत संघ के साथियों ने भी भाग लिया।

श्री राजेश गुप्ता डी. एफ. ओ. सरिस्का ने बैठक का शुभारम्भ करते हुए बताया कि भगाणी गांव के पुनर्वास की मीटिंग कलेक्टर आफिस में हुई, जिसमें तय हुआ कि 21 परिवारों को बिजली कनेक्शन तुरन्त दिये जाएं, इसके लिए बिजली फाइल तैयार करके अधिकारी जी लाये हैं। दूसरे घर बनाने के लिए टेंकर से पानी लाने की बात भी हुई। अब आपकी सुविधा हेतु बिजली-पानी का एक बोर हो चुका है और पानी भी मीठा निकला है। यदि बोर पर बिजली नहीं आये तो क्या करें ? इसके लिए हैण्डपम्प भी लगा दिया है जो आपके लिए काम आयेगा। आप तुरन्त घर बनाएं, कनैक्शन पाएं और आषाढ़ की खेती हेतु खेतों को तैयार करें। आपको इस फसल के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। इसके बाद ग्रामीणों की तरफ से सभी ने अपने-अपने विचार रखे।

ग्रामीणों ने कहा कि जो जमीन की बात है, वह समझ में नहीं आ रही कि कलेक्टर द्वारा पट्टा क्यों नहीं दिया जा रहा है ? इस जमीन का वन भूमि से राजस्व भूमि में बदलाव नहीं किया है , उसे करना है। इसके बाद आने के लिए मुहूर्त की बात हुई तो ग्रामीणों के अध्यक्ष श्री रामजीलाल गुर्जर ने बताया कि शुभ मुहूर्त अगस्त में निकल रहा है। तो इस पर उन्होंने कहा कि अब थोड़ा जल्दी करो क्योंकि कलेक्टर साहब थोड़ा जल्दी चाहते हैं , आप इस समय सरकार के मेहमान हैं, आप एक कदम बढ़ेंगे सरकार दो कदम आगे आपके लिए आयेगी। उसके बाद लोगों ने कहा कि जमीन के पट्टे कलेक्टर द्वारा दिये जाएं और बिजली कनेक्शन खेती हेतु

तीन ग्रुपों में बांट कर समूह बनाकर खेती के लिए बिजली कनेक्शन दिलवाये जायें। इस बैठक में तरुण भारत संघ के कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रही। गांव के लोगों की शंकाओं को दूर करने के लिए उन्हें सरकारी प्रक्रिया के तहत हर संभव सुविधा दिये जाने के लिए बताया और कहा कि आप लोगों को इस समय सरकार से जो सुविधाएं मिल रही हैं, देश के किसी भी प्रांत में ऐसी सुविधाएं आज तक विस्थापित लोगों को नहीं मिली हैं। यह विस्थापन हर प्रकार से आपके और आपकी नई पीढ़ी के लिए सबसे सुखद रहेगा। इसके बाद सभी ने धीरे-धीरे घरेलू बिजली की फाइलों पर हस्ताक्षर कर दिये और बैठक समाप्त हो गई। इसके बाद लोगों के साथ केंटर में बैठकर वापिस अपने गांव आ गये।

5 जून 2007 को दोपहर ग्राम भगाणी में गांव की महिला बालकों के साथ एक नुक्कड़ सभा में भगाणी वासियों के लिए निर्माणाधीन आवासीय मकानों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि हम जयपुर के बीच में जाकर बसें तो अच्छा होगा। महिलाओं ने कहा कि हमने जाकर देखा नहीं है पर मकान बन रहे हैं, मकान बन कर तैयार होंगे तो हम भी रहेंगे। बालकों से बातचीत करने पर उन्होंने भी पढ़ने की इच्छा जाहिर की, हमें भी स्कूल की सुविधा उपलब्ध होगी। किशोरों में बेरोजगारी को मिटाने के लिए बर्डोद के नजदीक नीमराना औद्योगिक क्षेत्र में काम करने की इच्छा जताई।

18 अगस्त 2007 को भगाणी गांव में दीवान गुर्जर के घर ग्रामीणों के साथ एक बैठक वार्ता हुई। बैठक में बागोरी माता के संत व रामजीवन गुर्जर, जगदीश गुर्जर, दीवान गुर्जर व अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। रामजीवन गुर्जर ने बताया कि हमारे विस्थापन का 80 प्रतिशत कार्य खेती की बटाई, मकानों के निर्माण पर हो चुका है। निर्माण कार्य में हम खुद जुटे हुए हैं, जो संतुष्टप्रद हो रहा है। बर्डोद में जाने के कारण हमने मवेशियों को भी बेच दिया है। जगदीश गुर्जर ने बर्डोद में जाकर बसने पर पूछा तो ग्रामीणों ने बताया कि खेती बाड़ी के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे और स्वास्थ का पूरा लाभ ले पायेंगे। संत जी ने भी ग्रामीणों के साथ कहा कि भगाणी बहुत घनें जंगल होने के कारण यहां का जनमानस शिक्षा व स्वास्थ लाभ से वंचित रहता है, इसलिए वहां जाने के लिए इनका भला ही होगा, कार्य प्रगति संतोषप्रद बताया गया।

सफल पुनर्वास का अनुपम उदाहरण:
देवनगर

देवनगर नया गांव है.. नई बसावट , जिसमें पुराने लोग रह रहे हैं। पुराने लोग वे हैं, जो सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में सदियों से रहते आये थे। अब जंगल व जंगली जीवों की सुरक्षा को देखते हुए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जंगलात विभाग और प्रशासनिक तंत्र ने मिलकर इन्हें देवनगर गांव में बसाया है। देवनगर अलवर जिले की बहरोड तहसील के बर्ड़ोद की रूंध में संरक्षित सरकारी जमीन पर बसा है। देवनगर बहरोड से मात्र 6 किलोमीटर दूरी पर बहरोड -अलवर रोड पर है। यह स्थान जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर दूर है।

देव नगर की बसावट' बर्ड़ोद की रूंध' आरक्षित वन क्षेत्र की सरकारी जमीन को राजस्व में बदलकर कास्तकारी के लिए ठीक किया गया। यह सब प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार हुई है जिसका स्वामित्व बीस साल तक सरकार के पास ही रहेगा। इस जमीन को कोई भी पुनर्वासित परिवार किसी अन्य व्यक्ति को बेचान नहीं कर सकता है, अथवा अन्य कोई व्यक्ति भी किसी प्रकार से अपना अधिकार नहीं जता सकेगा। बर्ड़ोद की रूंध के सम्बन्ध में तहसील स्तर से बेचान करने की प्रक्रिया पर पाबन्दी रहेगी जिससे पुनर्वासित लोग भी किसी को अपनी मर्जी से बेचान नहीं कर सकेंगे।

देव नगर की बसावट का नक्शा नक्शानबीसों के द्वारा तैयार किया गया था। जिसमें आबादी की बसावट, आने-जाने के रास्ते, स्कूल और सामुदायिक भवन, बिजली-पानी की सुविधा, खेतों का आवंटन। पुनर्वासित परिवारों को रहने के लिए पर्याप्त जगह दी गई, जिसमें लोगों ने अपने रहने के लिए मकान व पशुपालन के बाढ़े बनाए हैं। प्रत्येक परिवार को मकान बनाने के लिए 600 वर्ग मीटर जगह है और 2.5 लाख रुपये दिये। जिसमें सभी ने अपनी सुविधानुसार मकान बनाए हैं। पानी की सुविधा में एक हैंड पंप है और दो पानी की टंकी और प्रकाश और खेती बाड़ी के लिए बिजली की व्यवस्था, बच्चों के लिए स्कूल है जिसमें अब गांव के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। गांव में आने-जाने के लिए चौड़े रास्ते हैं। रास्ते के दोनों ओर बसावट है। जोहड़ के लिए भी पर्याप्त जगह है जिसमें 1अपैल 2008 से

नरेगा परियोजना के तहत बहरोड़ तहसील में कार्य की शुरुआत हुई जिससे देवनगर वासियों को उनके गांव में ही रोजगार के अवसर मिले। ग्रामीणों को खेती के लिए 6 बीघा खेती की उपजाऊ जमीन मिली जिसमें अधिकतर परिवारों ने 2007 के वर्षाकाल के बाद सरसों की फसल बोई। फसल की रखवाली के लिए महिलाओं को खेतों में घूमते हुए देखा तो अच्छा लगा। अब उनके जीवन में जंगलात का भय नहीं था, अपनी जमीन थी, अपने खेत थे जिनकी रखवाली वे स्वयं कर रही थीं।

भगाणी गांव के लोग नये गांव में आकर खुश हैं, देवनगर में एक प्रकार से नयी जीवनशैली में रसने-बसने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पास अपने खेत हैं , अपने पक्के घर हैं , हैण्ड पम्प में पानी है, बिजली है और पानी की बड़ी टंकी हैं , टी.वी. और मोबाइल की सुविधा है। अब उनके बच्चे रोज स्कूल में जाते हैं, समय से अध्यापिका स्कूल में आती हैं। शहर में भी रोजगार के अवसर हैं। स्वास्थ्य के साधन हैं, सड़क है , गांव में ही उनके लिए बस स्टैंड है। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति देव नगर में एक नजर में ही देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें अपने सगे संबंधियों से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। बस थोड़ी दूरी पर आने-जाने के साधन उस दूरी को कम करने में मददगार हैं।

भगाणी गांव के लोगों की खुशी का अन्दाज इसी से लगाया जा सकता है कि अब वही लोग कांकवाड़ी व अन्य गांव के लोगों को देवनगर में बसने के लिए कहते हैं। देवनगर से आकर कांकवाड़ी व किरास्का, ऊमरी आदि गांवों में जाकर बैठक करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। वह यह भी मानते हैं कि देवनगर में आकर जंगल व जंगली जानवरों के लिए भी अच्छा किया है। भगाणी गांव के विस्थापन और पुनर्वास की दो साल की प्रक्रिया के बाद जो परिणाम सामने आया वह देवनगर नया गांव है।

पक्के घरों की सुख-सुविधा से आनन्दित विस्थापित जन

राधेश्याम गुर्जर मोबाइल सुविधा का उपयोग करते हुए

देवनगर में महिलाएं अपने दैनिक जीवन में

फुर्सत के क्षण

बच्चे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हुए।

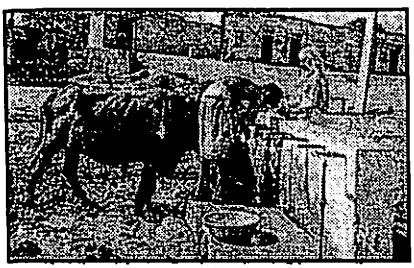

देवनगर में जीवनोपयोगी सुविधा का लाभ लेते हुए।

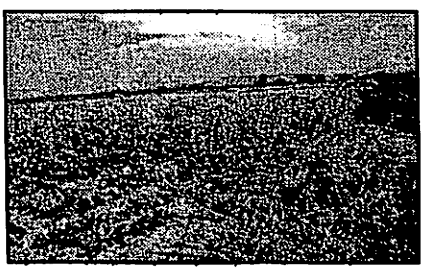

देवनगर में रोजगार एवं खेती से लाभान्वित।

कांकवाड़ी गांव के विस्थापन की प्रक्रिया

कांकवाड़ी के लोगों की विस्थापन प्रक्रिया में क्षेत्रीय राजनीति आड़े आ रही थी। भगाणी गांव के विस्थापन के बाद संस्था के कार्यकर्ताओं का संवाद सतत जारी रहा। जगदीश गुर्जर ने सरिस्का के सी.सी. एफ. श्री सोमशेखर के साथ भी विचार-विमर्श जारी रखा। कांकवाड़ी के लोगों को समझाने की प्रक्रिया में उनके रिश्तेदारों को भी मध्यस्थ बनाया। भगाणी के पुनर्वासित लोगों के द्वारा भी समझाने की प्रक्रिया को सुचारु रखा। इसके अलावा उन्हें देवनगर गांव में ले जाकर दिखाया। सरिस्का के अधिकारियों के साथ भी समय-समय पर संवाद बनाये रखा। जो कुछ आपसी समझ में रुकावटें थीं, वे सब बातचीत के द्वारा सामने आईं और उन पर पुनर्विचार हुआ। जिनके नाम को जोड़ने में कुछ खामियां रह गई थीं, उन्हें शामिल कर पूरा किया गया।

कांकवाड़ी के लोगों के साथ संवाद में तीन साल का समय लगा तब जा कर लोग सरिस्का को छोड़ कर देव नगर जाने के लिए तैयार हुए। कांकवाड़ी से 9 नवम्बर 2008 को 36 परिवार देवनगर आये और 19 नवम्बर को 68 परिवारों को पुनर्वासित किया गया। जिसमें 11 परिवारों को नये विस्थापन प्रक्रिया के तहत दस-दस लाख रुपये मिलना तय हुआ। क्योंकि देव नगर में 114 परिवारों को ही जमीन थी, जो पूरी बंट चुकी है। जिन लोगों को नगद राशि के रूप में मुआवजा मिल रहा है। वहां थोड़ी सी परेशानी हो रही हैं। बोदन गुर्जर ने बताया कि कुछ लोगों को मुआवजा देने वाले फार्म पर दस लाख की पूरी राशि भर ली जाती है। लेकिन उन्हें सात लाख ही दे रहे हैं। या फिर ट्रेक्टर आदि दिलाने पर जोर दिया जा रहा है। इस विषय में सरिस्का के अधिकारियों से भी बात हुई है। सभी पुनर्वासित लोगों को पूरा मुआवजा मिलना चाहिए।

5 दिसम्बर 2008 को देवनगर जाना हुआ। देखा कि कांकवाड़ी के लोग अपने-अपने मकान बनवाने में तल्लीन हैं। अभी वहां महिलाएं नहीं आई थीं। न ही बच्चे थे। पशुधन भी नहीं था। युवा और बुजुर्ग लोग अपने-अपने प्लाटों में झोंपड़ी बनाकर रह रहे थे। झोपड़ियों में सीमेंट के भरे कट्टे, खाने-पीने का सामान था, खाट और बिस्तर थे। कुछ बर्तन आदि थे। सब अपने-अपने प्लाटों में काम कर रहे थे। किसी के मकान की नींव भरी जा रही थी तो किसी के मकान में दीवार चुनाई कार्य हो रहा था। कहीं ट्रेक्टर पत्थरों की भरी ट्रोली खाली

कर रहे थे तो कहीं बजरी की ट्रोली खाली हो रही थी। मकान बनाने के लिए सभी ने अपने प्लॉटों में पानी के इन्तजाम के लिए जमीन में खड्डा बना लिया था जिसे टंकी के पानी से भर देते है। मकान बनाने वाले कारीगर भी सरिस्का क्षेत्र के परिचित ही थे।

सतेन्द्र सिंह, गोपाल सिंह, देवयानी, बोदन लाल गुर्जर के साथ देवनगर पहुंचे तो उस समय विजय सिंह यादव रेंजर मौजूद थे। उन्हीं की देख-रेख में वहां के निर्माण कार्य हो रहे थे। वह प्रत्येक प्लाट पर जा-जा कर काम का आकलन कर रहे थे। अपने रजिस्टर में भी लिखते थे। कितनी ट्राली पत्थर आये हैं और कितनी ट्रोली बजरी। रेंजर साहब के साथ बातचीत हुई तो वह अपने काम से खुश थे। उन्होंने कहा कि यह पुनर्वास का काम बहुत बड़ा काम है। मैं इसे पुण्य का काम मानकर समाज सेवा का काम कर रहा हूं। यहां इन लोगों के लिए रोजगार के लिए अवसर हैं, शिक्षा-स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं हैं। यहां पर हर सरकारी अधिकारी- कर्मचारी काम करना चाहेगा। क्योंकि उसके लिए सभी सुविधाएं यहां उपलब्ध हैं। शहर नजदीक है, सड़क हैं, आने-जाने के लिए सभी साधन हैं। कभी किसी भी समय आने-जाने के लिए कोई परेशानी नहीं है। खेती की जमीन भी बहुत अच्छी है। सबके मकान बनने के बाद स्कूल और अस्पताल भी बनेगा उसके लिए जगह अलग से दी गई है। इनके देवता और मंदिर आदि के लिए चार बीघा जमीन अलग है।

हम सभी के प्लाटों में गये और बातचीत की। सभी लोग बहुत ही खुश थे। अपने मकान को अपने हाथों से बना रहे थे। मोबाइल फोन अधिकतर युवाओं के पास थे। श्रवण गुर्जर के प्लाट पर गये। उन्होंने मान-सम्मान में चाय बनाई तो चाय पीना जरूरी हो गया। चाय बनते और पीने में 10-15 मिनट लगे तो उपस्थित लोगों से बातचीत भी हुई। सभी देव नगर में आ कर खुश थे। मकान बनने के बाद महिला, बच्चे और पशुधन आदि सब कुछ आ जायेंगे। श्रवण ने कहा कि इससे ज्यादा और क्या मिलता ? अगर किसी को इतने पर भी सन्तोष नहीं है तो उसकी पूर्ति भगवान भी नहीं कर सकता। सरकार ने खूब सहयोग दिया है। रमेश गुर्जर के प्लाट पर गये वहां भी उपस्थित लोगों से बातचीत हुई। सभी बहुत खुश थे। उनके सपने अपने हाथों में थे। सपनों का साकार रूप देव नगर गांव था।

कांकवाड़ी गांव के पुनर्वासित लोग देवनगर में अपने आशियाना बनाते हुए।

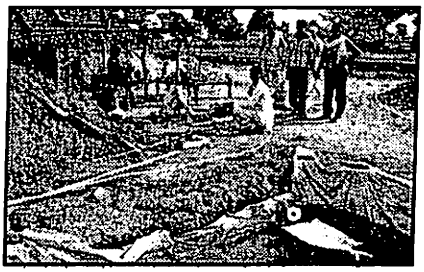

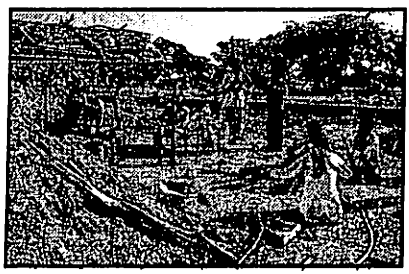

सफल पुनर्वास : वनवासियों की जुबानी

भगाणी के विस्थापित लोग

हरीकिशन- विक्रम संवत् 2064 की देव उठनी ग्यारस को हम आकर देवनगर में बस गये। आसपास के लोगों से मुलाकात होने लगी है। इस वर्ष अगर पाला सरसों को नहीं मारता तो बिना मावट के भी अच्छी सरसों की फसल होती। अब कुछ कम हुई है। बालकों की पढ़ाई, आने-जाने के साधन यहां खूब हैं। भगाणी में यह सुविधा नहीं थी और जंगलात विभाग भी परेशान करता था।

भौंरीदेवी- भगाणी में बहुत वर्षा होती जब तो आनन्द था लेकिन अब कई वर्षों से अच्छी वर्षा भी नहीं थी और सब दुनिया के बालक पढ़ रहे थे, भगाणी में वन विभाग स्कूल नहीं खोलने दे रहा था और न ही रोड था। अब यहां पोता-पोतियों को भी पढ़ा लेंगे, शहर के पास है काम भी मिल जायेगा। हम सब हिल-मिलकर यहां पर रहेंगे क्योंकि नये-नये आकर बसे हैं।

ज्ञानी देवी - भगाणी में जन्म से रहे थे। गांव छोड़ने को आत्मा नहीं करती थी। परन्तु आज की दुनिया की होड़ व विकास के लिए और जंगलात विभाग की पाबन्दी के कारण अब यहां देवनगर में बहुत अच्छे रहेंगे। सरकार की तरफ से किये गये वायदे काफी सारे पूरे हो गये और भी हो जायेंगे। सी. एफ. साहब बहुत अच्छे भले इन्सान हैं।

कालू गुर्जर- गांव से उठकर बाहर जाकर बसने का मन में बहुत डर था। सरिस्का के सी.एफ. साहब श्री सोमशेखर जी अच्छे भले इन्सान होने के कारण विश्वास किया गया था। जंगल जंगली जानवरों के लिए भी अच्छा है। हम यहां अपने बच्चों को पढ़ायेंगे तथा यहां रोजगार के अवसर मिलेंगे।

दीवान जी - भगाणी में रहने वाले हम सब एक साथ यहां देवनगर में बस गये जिससे कहीं दूसरी जगह बसे हों ऐसा लगता ही नहीं है। खेती भी करेंगे, फैक्ट्रियों में भी काम मिल जावेगा।

पूरन गुर्जर - अभी तक तो सारा अच्छा लग रहा है हर विभाग भी सहयोग कर रहे हैं, अभी हमारे खेतों के पाल और रोड़ भी बन जायेगा, शायद अधिकारी थोड़ी ताकत लगायेंगे तो कुछ पैसा बकाया चल रहा है, वह भी मिल जायेगा। वन विभाग के ग्यारसा राम और रामप्रसाद वनपाल का बहुत अच्छा सहयोग व प्यार मिला।

राधेश्याम गुर्जर - का मानना है कि हम तीन भाई थे। जो एक 5 वर्ष, दूसरा 15 वर्ष पूर्व शान्त हो गये थे। पूरे परिवार को समाज में प्रतिष्ठित रखना मेरे कंधों पर भार था। भगाणी जन्मभूमि थी, अत्यन्त प्यार था। लेकिन वह चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई थी। जंगलात के कानून ऐसे बन गये कि वहां बालकों के लिए स्कूल भी नहीं खुलने दे रहे थे। आये दिन वन विभाग और हमारे रिश्तों में भी रुकावट आने लगी थी। अब भगाणी गांव से मां जैसा प्यार है पर सरकार के उलट कानून व गांव में सड़क, स्कूल, दवा आदि की व्यवस्था नहीं होने पर समाज का हर व्यक्ति हमें पीछे मानता था। अब देवनगर में चारों तरफ से रोड़ और स्कूल ही स्कूल हैं। यहां बस कर अपने परिवार के बालकों का भविष्य उज्जवल करने की कामना करता हूँ।

कांकवाड़ी के विस्थापित लोग

श्रवण गुर्जर - देवनगर में आने के बाद श्रवण गुर्जर का कहना है कि इससे ज्यादा और क्या मिलता ? अगर किसी को इतने पर भी संतोष नहीं है तो उसकी पूर्ति भगवान भी नहीं कर सकता।

रमेश गुर्जर - ने कहा कि सरकार ने देवनगर में जो सुविधाएं दी हैं, वे बहुत अच्छी हैं और हमारे बाल-बच्चे भी इसका उपयोग कर पायेंगे। यहां उपलब्ध शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार, रोजगार के साधन सहज रूप में हैं। यहां पर किसी प्रकार का अभाव नहीं है। नये वर्ष में हमारे आवास का कार्य पूरा हो जायेगा, फिर मार्च तक पूरे परिवार और पशुधन के साथ बस जायेंगे।

हजारी लाल गुर्जर - मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ परन्तु हमारे वहां पीला पानी में कोई धन्धा नहीं था यहाँ में कोई धन्धा भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पाने पर खुश हूं। वहां हमारा मोबाइल भी काम नहीं करता था।

सुल्तान जी - हम कई भाई है वहां हमारे पास पशुओं के अलावा कोई धन्धा नहीं था, अब हम और धन्धा भी कर सकते हैं। यहां हमारे बच्चे पढ़ेंगे हम खुश है।

ओमी गुर्जर -वहां मेरा काम केवल दूध का मावा निकाल कर बेचना था। यहाँ उसके अलावा और भी काम कर सकते है

छीतर जी - मैं तो बुर्जुग होगा म्हारी तो भगवान ने जंगल में ही समय पास कर दी थी। अब इ बालका की तो शायद अच्छी जिन्दगी बन ज्यागी इस स्कूल व आस-पास धन्धा अच्छा बतावा छः रोजीना कई लोग मिलने आते है वे कहते कोई चिन्ता ई नहीं थे तो करोड़पति बनगा।भगवान म्हारी सुन ली।

बोदन गुर्जर –मेरा गांव थानागाजी तहसील में सुकल्याण हैष मेरे चाचा ने मेरी दो बेटियों की शादी काकवाड़ी में कर दी थी वहां आने जाने की बहुत परेशानी थी और उनके पास पशु पालन के अलावा कोई काम नहीं था, मेरी अर्न्तआत्मा बच्चियों की परेशानी को देख कर बहुत दुखी होती थी। मेरे मन में सवाल उठते कि भविष्य में परिवार बढ़ेगा जब क्या बितेगा –

अब विस्थापन हुआ तो दि 5 दिसम्बर 2008 को मैं वहा गया तो मैं बहुत खुश था। न हुआ कि मैं भी आस पास यही बस जाऊं चूंकि वहां साधन रोजगार चिकित्सा की व्यवस्था, डेयरी व्यवस्था दूध व बच्चों के भविष्य वास्ते स्कूल था। मैं काकवाड़ी साल में क बार जाता था अब वहां मेरा मन लगता है।

मैं दि. 31.01.09 को बर्ड़ोद रुंध गया। वहां काम सभी प्लाटों में चल रहे थे। जगदीश, छीतर, रमेश, करीब हर प्लाट वाले से मिला उनका कहना था कि सरकार कहती है कि 1 लाख में ही मकान बनाओ हमारा मकान इनमें नहीं बन पायेगा। हमारे 2.50 लाख हमको पूरे मिलने चाहिये। रामप्रताप कसाना कहता है हम नगद में है परन्तु अभी कुछ भी नही मिला है, मिलना चाहिए।

भगाणी गांव के विस्थापितों की सूची

परिवार के मुखिया का नाम ग्राम विकास समिति सदस्य

1.	राधेश्याम पुत्र श्री रामवास	ग्राम विकास समिति अध्यक्ष
2.	गोपाल पुत्र श्री भगवान सहाय	सदस्य
3.	जगदीश पुत्र श्री राधेश्याम	,,
4.	रेवड़ पुत्र श्री भगवान सहाय	,,
5.	हीरालाल पुत्र श्री भगवान सहाय	,,
6.	छोटेलाल पुत्र श्री भगवान सहाय	,,
7.	पूरण पुत्र श्री भगवान सहाय	,,
8.	सुरजी बेवा पत्नी स्व. भगवान सहाय	,,
9.	ज्ञानी बेवा पत्नी स्व. रामधान	,,
10.	रामजीवण पुत्र श्री रामहेत	,,
11.	रामस्वरूप पुत्र श्री रामहेत	,,
12.	जयराम पुत्र श्री रामहेत	,,
13.	रामकिशन पुत्र श्री बुद्धालाल	,,
14.	दीवान पुत्र श्री कन्हैयालाल	,,
15.	श्रीराम पुत्र श्री कन्हैयालाल	,,
16.	हरिकिशन पुत्र श्री रामजीलाल	,,
17.	ओमकार पिता रामजीलाल	,,
18.	गिर्राज पुत्र श्री रामजीलाल	,,
19.	हंसराज पुत्र श्री हरिकिशन	,,
20.	भौरी बेवा पत्नी स्व. लालू	,,
21.	कालू पुत्र श्री लालू	,,

कांकवाड़ी गांव के विस्थापितों की सूची

परिवार के मुखिया का नाम

1. रामफुल पुत्र श्री रामप्रताप गुर्जर
2. उमराव पुत्र श्री रामप्रताप गुर्जर
3. ग्यारसी लाल पुत्र मुरली गुर्जर
4. पप्पुराम पुत्र श्री गायरसीलाल गुर्जर
5. हनुमान पुत्र श्री ग्यारसीलाल गुर्जर
6. ओमी पुत्र श्री ग्यारसीलाल गुर्जर
7. मुलीदेवी पत्नी श्री राधाकिशन गुर्जर
8. राम नारायण पुत्र श्री राधाकिशन गुर्जर
9. घणसी पुत्र श्री राधाकिशन गुर्जर
10. भमली पत्नी श्री पूरण गुर्जर
11. जगजीवन पुत्र श्री राधाकिशन गुर्जर
12. कैलाश पुत्र श्री रामनारायण गुर्जर
13. हजारी पुत्र श्री राधाकिशन गुर्जर
14. दयाल पुत्र रामजीलाल गुर्जर
15. मुखराम पुत्र श्री रामजीलाल गुर्जर
16. रमेश पुत्र लालूराम गुर्जर
17. ओमप्रकाश पुत्र श्री रमेश गुर्जर
18. रामौवतार पुत्र श्री लालाराम गुर्जर
19. गणेश पुत्र श्री लालाराम गुर्जर
20. रामचन्द्र पुत्र श्री लालाराम गुर्जर
21. रतन पुत्र श्री भोमा गुर्जर
22. बुद्धा पुत्र श्री रतन गुर्जर
23. श्रीकिशन पुत्र श्री रतन गुर्जर
24. खेमराज पुत्र श्रीकिशन गुर्जर
25. मुकेश पुत्र श्री बुद्धा
26. देवकरण पुत्र श्री रतन गुर्जर
27. सुलतान पुत्र श्री रतन गुर्जर
28. जगदीश पुत्र श्री रतन गुर्जर
29. गंगाराम पुत्र ओमकार गुर्जर
30. ख्याली पुत्र श्री गणेश गुर्जर
31. नारायण पुत्र श्री गणेश गुर्जर
32. किशन पुत्र श्री गणेश गुर्जर
33. बोदन पुत्र श्री ख्याली गुर्जर
34. हरजी पुत्र श्री ख्याली गुर्जर
35. हरी पुत्र श्री ख्याली गुर्जर
36. छोटेलाल पुत्र ख्याली गुर्जर
37. राजू पुत्र किशन गुर्जर
38. रामसिंह
39. कुलदीप पुत्र श्री रामसिंह राजपूत
40. प्रदीप पुत्र श्री रामसिंह राजपूत
41. सुलतान पुत्र राजपूत
42. विजय सिंह पुत्र श्री सुलतान राजपूत
43. सजु पुत्र सुलतान राजपूत
44. जगदीश पुत्र श्री कन्हैया गुर्जर
45. रामकरण पुत्र श्री मूलचन्द गुर्जर
46. जगदीश पुत्र श्री मूलचन्द गुर्जर
47. कालूराम पुत्र श्री मूलचन्द गुर्जर
48. हरिराम पुत्र श्री श्योदान गुर्जर
49. फुसा पुत्र श्री हरीराम गुर्जड़
50. कालूराम पुत्र श्री हरिराम गुर्जर
51. मुमट पुत्र श्री हरिराम गुर्जर
52. घुणाराम पुत्र श्री हरिराम गुर्जर
53. घीगा गुर्जर
54. छीतर गुर्जर
55. रामनारायण पुत्र श्री छीतर गुर्जर
56. गिर्राज पुत्र श्री छीतर गुर्जर
57. राजू पुत्र श्री छीतर गुर्जर
58. किशोर पुत्र श्री भोमा गुर्जर
59. श्रवण पुत्र श्री भोमा गुर्जर
60. छोटे लाल
61. छम्मा पुत्र प्रभाती लाल गुर्जर
62. सेडूराम पुत्र श्री प्रभाती गुर्जर

63. कालूराम पुत्र छम्मा
64. हीरा पुत्र प्रभात गुर्जर
65. रामल्या पुत्र श्री प्रभात गुर्जर
66. जोगा पुत्र श्री प्रभात गुर्जर
67. सादु पुत्र श्री प्रभात गुर्जर
68. छोटा पुत्र श्री प्रभात गुर्जर
69. किशन लाल पुत्र श्री झब्बु गुर्जर
70. सुडा पुत्र श्री झब्बु गुर्जर
71. कालूराम पुत्र श्री भूरसहाय गुर्जर
72. सुवालाल पुत्र श्री भरुसहाय गुर्जर
73. रामकरण पुत्र श्री प्रभात गुर्जर
74. पप्पुराम पुत्र श्री रामकरण गुर्जर
75. भवन पुत्र श्री श्योदान गुर्जर
76. रामकरण पुत्र श्री श्रवण गुर्जर
77. पप्पु पुत्र श्री श्रवण गुर्जर
78. रामसहाय गुर्जर
79. लक्ष्मण पुत्र श्री रामसहाय गुर्जर
80. मनोहर पुत्र श्री रामप्रताप गुर्जर
81. किशन पुत्र श्री रामप्रताप गुर्जर
82. प्रभु पुत्र श्री रामप्रताप गुर्जर
83. महराम पुत्र रामप्रताप गुर्जर
84. छोटा पुत्र रामप्रताप गुर्जर
85. महेश पुत्र श्री रामकरण
86. गुरुदयाल पुत्र रामकरण गुर्जर
87. नेतराम पुत्र श्री
88. कमलेश पुत्र रामकरण गुर्जर
89. सुरेश पुत्र श्री रामकरण गुर्जर
90. श्रीराम पुत्र श्री रामकिशन गुर्जर
91. सोमेश्वर पुत्र रामकिशन गुर्जर
92. दयाराम पुत्र श्री रामकिशन गुर्जर
93. राजाराम पुत्र श्री रामकिशन गुर्जर

नगद भुगतान के लिए चयनित परिवारों की सूची

1. महेश पुत्र श्री नारायण
2. सीताराम पुत्र श्री किशन
3. प्रभात
4. रामकरण पुत्र श्री श्योसाय
5. बिलादेवी पत्नी श्री रामनारायण
6. रामसहाय
7. रामप्रताप पुत्र श्री पांचू
8. उमराव
9. झब्बू
10. किशन
11. श्योजी

वनवासियों के सफल पुनर्वास का

एक उदाहरण-देवनगर